[2020] 14 एस. सी. आर 198

अमीश देवगन

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 160)

07 दिसंबर, 2020

[ए. एम. खानविलकर और संजीव खन्ना, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 19 (1) (क), 19 (2) और 32-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 295 ए, 153 ए, 505 (2)-घृणापूर्ण भाषण-याचिकाकर्ता

पूजा स्थलों पर एक बहस की मेजबानी और एंकरिंग (विशेष

प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक समाचार चैनल पर-बहस की मेजबानी करते हुए, याचिकाकर्ता ने पीर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को एक

आक्रमणकारी, आतंकवादी और डाकू जो अपनी आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए भारत आया था, प्रसारण के बाद सात एफ. आई. आर. एस. उक्त प्रकरण के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में दायर किया गया था और दर्ज किया गया था-यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और जानबूझकर एक पीर या मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक पवित्र संत का अपमान किया था, जो हिंदुओं द्वारा भी पूजनीय था, और इस तरह मुसलमानों के प्रति धार्मिक घृणा को आहत किया और उकसाया-याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की और (ए) प्राथमिकी/शिकायतों को रद्द करने की मांग की; (बी) वैकल्पिक रूप से, पहली प्राथमिकी के साथ उल्लिखित एफ. आई. आर. एस. को स्थानांतरित और क्लब किया, यानी। अजमेर, राजस्थान में एफ़. आई. आर.; (सी) निर्देश कि एफ़. आई. आर. में याचिकाकर्ता और भारत संघ के खिलाफ उसे और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई दंडात्मक प्रक्रिया नहीं की जाए-अपनी दलीलों में, याचिकाकर्ता ने खेद व्यक्त किया और दावा किया कि शब्द अनजाने में और गलती से कहे गए थे-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसने रिट याचिका में उल्लिखित एफ़. आई. आर. एस. पर आगे के कदमों/कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और याचिकाकर्ता को उक्त एफ़. आई. आर. एस. से उत्पन्न होने वाली या उससे संबंधित किसी भी दंडात्मक प्रक्रिया से संरक्षित किया गया था। घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करने और पहचानने के लिए तीन तत्वों का उपयोग किया जा सकता है।

अर्थात्-सामग्री आधारित तत्व, आशय आधारित तत्व और हानि आधारित तत्व सामग्री आधारित तत्व में सामग्री का खुला उपयोग शामिल है।

आम तौर पर किसी विशेष समुदाय के लिए आक्रामक और समाज के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से आक्रामक माने जाने वाले शब्द और वाक्यांश-'घृणापूर्ण भाषण' के इरादे-आधारित तत्व के लिए वक्ता के संदेश की आवश्यकता होती है।

केवल एक के खिलाफ घृणा, हिंसा या आक्रोश को बढ़ावा देने का इरादा रखना

किसी भी वैध संदेश को संप्रेषित किए बिना विशेष वर्ग या समूह हानि या प्रभाव-आधारित तत्व 'घृणापूर्ण भाषण' के परिणामों को संदर्भित करता है जो पीड़ित को नुकसान पहुंचाता है जो कर सकता है

हिंसक हो या जैसे कि आत्मसम्मान की हानि, आर्थिक या सामाजिक अधीनता-दंड संहिता का S.295A सभी तीन तत्वों को समाहित करता है, अर्थात्, यह सामग्री-आधारित तत्व को संदर्भित करता है जब यह बोले गए या लिखे गए शब्दों को संदर्भित करता है या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा।

इसी तरह, दंड संहिता की उप-धारा 505 किसी व्यक्ति को संदर्भित करती है।

अफवाह या खतरनाक समाचार वाले किसी भी बयान या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना-तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता केवल एक मेजबान के बजाय समान सह-प्रतिभागी था-प्रतिलेख, जिसमें अपमानजनक हिस्सा भी शामिल है, 'सामग्री' का एक हिस्सा होगा, लेकिन किसी भी मूल्यांकन के लिए परिवर्तनीय 'संदर्भ' के साथ-साथ इरादे और 'नुकसान/प्रभाव' की जांच और विचार की आवश्यकता होगी-इनका मूल्यांकन न्यायालय द्वारा इस बात पर राय बनाने से पहले किया जाना चाहिए कि क्या कोई अपराध किया गया है-याचिकाकर्ता अपनी माफी पर भी निर्भर करता है-इस प्रकार, यह प्राथमिकी को रद्द करने और मामले को रोकने के लिए एक उचित चरण नहीं है।

सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच-याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के खिलाफ दिया गया अंतरिम संरक्षण बशर्ते कि वह जांच में शामिल हो और सहयोग करना जारी रखे-इसके अलावा, सभी एफ. आई. आर. एस. को पुलिस स्टेशन दरगाह, अजमेर, राजस्थान में स्थानांतरित करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.156 (1) और s। 179 दंड संहिता, 1860-एस. एस. का संयुक्त पठन। 295 ए, 153 ए, 505 (2) हेट स्पीच-कॉज कॉज ऑफ एक्शन एक्शन-एक डिबेट शो की मेजबानी करते हुए याचिकाकर्ता ने पीर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का वर्णन इस प्रकार किया था -

आक्रमणकारी, आतंकवादी और डाकू जो अपनी आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए भारत आए थे-प्रसारण के बाद उक्त प्रकरण से संबंधित सात एफ. आई. आर. एस. दायर किए गए और याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में दर्ज किए गए-याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित एफ. आई. आर. से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ये एफ. आई. आर. एस. उन स्थानों पर दर्ज किए गए थे जहां कोई 'कार्रवाई का कारण' उत्पन्न नहीं हुआ था-आयोजितः एस. 179 Cr.P.C का प्रावधान है कि एक अपराध उस स्थान पर विचारण योग्य है जहां एक कार्य किया जाता है या इसका परिणाम सामने आता है-शिकायतकर्ताओं सहित दर्शक, भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित थे और याचिकाकर्ता के बयानों से प्रभावित थे-इसके अलावा, धाराओं का खंड (1)। 156 आई. डी. 1. का प्रावधान है कि पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है जिसे [2020] 14 एस. सी. आर. वाली अदालत कर सकती है।

ऐसे स्टेशन की स्थानीय सीमाओं पर अधिकार क्षेत्र में जांच करने या प्रयास करने की शक्ति होगी-इस प्रकार, एस. एस. का एक संयुक्त पठन। 179 और Cr.P.C का 156 (1). यह स्पष्ट करें कि आक्षेपित एफ. आई. आर. एस.

दंड संहिता, 1860s। 95 – मामूली नुकसान पहुँचाने वाला कार्य-एक वाद-विवाद कार्यक्रम की मेजबानी करते समय याचिकाकर्ता ने पीर हज़रत का वर्णन किया था मोइनुद्दीन चिश्ती, एक आक्रमणकारी, आतंकवादी और डाकू के रूप में

अपनी आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए भारत आए-याचिकाकर्ता ने

तुच्छ यू/एस की रक्षा। 95 दंड संहिता-आयोजितः तत्काल मामले की तुलना वीडा मेनेज़ या नीलम के साथ नहीं की जा सकती है। महाजन का मामला जहां तथ्यात्मक मैट्रिक्स निर्विवाद था और स्वीकार किया गया था

वर्तमान संदर्भ में यह गलत और अनुचित होगा कि

उन पहलुओं पर पूर्वाग्रह और उच्चारण करें जो तथ्यात्मक और विवादित हैं

याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका को इसके बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- तथ्यों और साक्ष्यों का पता लगाना।

प्रचारित किए जाने वाले मूल्यों, कथित नुकसान पर निर्भर करता है शामिल और इन नुकसानों का महत्व परिणामस्वरूप, ए

'घृणापूर्ण भाषण' की सार्वभौमिक परिभाषा कठिन बनी हुई है, सिवाय इसके

एक समानता यह है कि 'हिंसा के लिए उकसाना' दंडनीय है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून-घृणित भाषण-घृणित भाषण पर अमेरिकी ढांचा चार प्रमुख दार्शनिक औचित्य पर आधारित है;

लोकतंत्र से औचित्य, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, की खोज

सत्य और स्वायत्तता का विचार-कनाडाई दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है बहुसंस्कृतिवाद और सामूहिक समानता पर, क्योंकि यह अधिक जोर देता है

सांस्कृतिक विविधता पर और जातीय मोज़ेक के विचार को बढ़ावा देता है -

ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण काफी हद तक कनाडा के साथ जुड़ा हुआ है-दक्षिण अफ्रीकी स्थिति गरिमा को सर्वोपरि संवैधानिक मानती है।

मूल्य और कानून और अदालतें स्वतंत्रता को वश में करने के लिए तैयार हैं

अभिव्यक्ति की जब उत्तरार्द्ध पूर्व को पर्याप्त रूप से कमजोर करता है

यूनाइटेड किंगडम में स्थिति पिछले कुछ वर्षों से बदल गई है।

उकसावे को रोकने के लिए सरकार की सुरक्षा को मजबूत करना

गैर-लक्षित दर्शकों के बीच नस्लीय घृणा के उद्देश्य से

नस्लीय रूप से प्रेरित उत्पीड़न के खिलाफ लक्ष्यों की रक्षा करना-जर्मनी का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई अधिकारों में से एक है।

भारत और अन्य का संघ

जो समानता, गरिमा और बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतों द्वारा सीमित है-फ्रांसीसी कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रधानता देता है, जिसे वह मानता है कि अपमान करने के अधिकार के बिना अर्थहीन है, जिसमें कुछ लोगों के लिए न केवल आलोचना करने और उकसाने का अधिकार शामिल होगा, बल्कि धार्मिक मान्यताओं सहित विचारों और मान्यताओं के मामले में उपहास करने का अधिकार भी शामिल होगा।

दंड संहिता, 1860-- s.295A-आयोजितः एस का आयात। 295 रामजी लाल मोदी का मानना है कि दंड संहिता का ए भाषण पर अंकुश लगाने के लिए है।

' दुर्भावनापूर्ण इरादा 'और' आपत्तिजनक भाषण 'नहीं-आपराधिकता में अनजाने में, लापरवाही से या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना धर्म का अपमान शामिल नहीं होगा।

- धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से धर्म का अपमान करने पर ही धर्म का अपमान बढ़ता है उस समूह का दंडनीय है।

भारत का संविधान-कला। 19 – दंड संहिता, 1860 - s.153A और s. 505 (2) – रामजी लाल मोदी में और बिलाल में बाद का निर्णय

अहमद कालू, जिन्होंने एस. एस. की जाँच की थी। 153 दंड संहिता के ए और 505 (2) ने मुख्य रूप से 'खराब प्रवृत्ति परीक्षण' को लागू किया था जैसा कि अमेरिकी न्यायविदों ने प्रस्तावित किया था-डॉ. राम मनोहर लोहिया में, अनुच्छेद 19 के खंड (2) में 'सार्वजनिक व्यवस्था' के हित में शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि किसी भी संगठित समाज में व्यवस्था एक बुनियादी आवश्यकता है - इसका तात्पर्य समाज या समुदाय की व्यवस्थित स्थिति से है जिसमें नागरिक शांतिपूर्वक अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं।

शब्द और वाक्यांश-'मामूली उल्लंघन' और 'राज्य की सुरक्षा'

चर्चा करें और परिभाषित करें।

भारत का संविधान-कला। 19 - ' घृणित भाषण के संदर्भ में 'गरिमा'-आयोजितः लक्षित लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान का नुकसान

समूह के सदस्य समूहों के बीच वैमनस्य में योगदान करते हैं, सहिष्णुता और खुले दिमाग को नष्ट करते हैं जो समानता के विचार के लिए प्रतिबद्ध बहु-सांस्कृतिक समाज के लिए आवश्यक है-यह एक समूह के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को प्रभावित करता है-हालांकि यह आवश्यक है कि कम से कम दो समूहों या समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए; केवल किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना एक समुदाय या समूह की भावनाओं का उल्लेख करना 'घृणा भाषण' परिभाषा को आकर्षित नहीं करता है।

भारत का संविधान-कला। 19 – घृणापूर्ण भाषण-व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता-आयोजितः व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो [2020] 14 एस. सी. आर. में एक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों और दूसरों के प्रति व्यक्ति के दायित्व के रूप में-राष्ट्र की एकता और अखंडता को नजरअंदाज और तुच्छ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभाजन, अलगाव और योजनावाद को बढ़ावा देने वाले या बढ़ावा देने की संभावना रखने वाले कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विविधता और बहुलवाद पर प्रभाव डालते हैं, और जब वे सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या लक्षित समूहों की गरिमा को कम करने के उद्देश्य और इरादे के साथ होते हैं, तो उनसे कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए-इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति और भाषण के अधिकार पर अंकुश लगाना नहीं है, हालांकि सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए विशिष्ट गंभीर खतरों पर प्रकाश डालना नहीं है।

विशेष रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता।

भारत का संविधान-कला। 19 - घृणापूर्ण भाषण-विश्लेषण और

की परिभाषा-आयोजितः तीन अलग-अलग तत्व जिनका उपयोग विधायिकाएं और अदालतें 'घृणापूर्ण भाषण' को परिभाषित करने और पहचानने के लिए कर सकती हैं, अर्थात्-विषय-वस्तु आधारित तत्व, आशय-आधारित तत्व और हानि-आधारित तत्व (या प्रभाव-आधारित तत्व)-विषय-वस्तु आधारित तत्व में शब्दों और वाक्यांशों का खुला उपयोग शामिल है जिन्हें आम तौर पर किसी विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक और समाज के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से आपत्तिजनक माना जाता है-'घृणापूर्ण भाषण' के आशय-आधारित तत्व के लिए वक्ता के संदेश की आवश्यकता होती है।

किसी भी वैध संदेश को संप्रेषित किए बिना केवल किसी विशेष वर्ग या समूह के खिलाफ घृणा, हिंसा या आक्रोश को बढ़ावा देने का इरादा रखना नुकसान या प्रभाव आधारित तत्व को संदर्भित करता है -

'घृणापूर्ण भाषण' के परिणाम जो पीड़ित को नुकसान पहुँचाते हैं जो हिंसक हो सकते हैं या जैसे कि आत्मसम्मान, आर्थिक या सामाजिक अधीनता का नुकसान। भारत का संविधान-कला। 19- स्वतंत्र भाषण और घृणापूर्ण भाषण के बीच अंतर-आयोजितः 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के बीच एक अंतर जिसमें टिप्पणी करने, सरकार का पक्ष लेने या आलोचना करने का अधिकार शामिल है

नीतियाँ; और 'घृणापूर्ण भाषण' एक लक्षित समुदाय या समूह के खिलाफ घृणा पैदा करना या फैलाना-पहला मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों और नीतिगत मामलों से संबंधित है, दूसरा मुख्य रूप से विषय वस्तु पर नहीं बल्कि संदेश के सार पर ध्यान केंद्रित करेगा जो लक्षित समूह के अपमान और अलगाव का कारण बनता है।

बाद के प्रकार का भाषण गरिमा की रक्षा करने और विभिन्न पहचानों और समूहों के बीच राजनीतिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए है।

जाति, पंथ, धर्म, लिंग, लिंग पहचान, यौन अमीश देवगन v की परवाह किए बिना।

भारत और अन्य का संघ

अभिविन्यास, भाषाई वरीयता आदि। - राजनीतिक लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।

शब्द और वाक्यांश-'सहिष्णुता'-चर्चा और परिभाषित करते हैं।

दंड संहिता, 1860s। 153 ए-आयोजितः जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे आवश्यक हैं और शब्दों से ही एकत्र किया जा सकता है।

क्लैफम ऑम्निबस के शीर्ष की परीक्षा को संतुष्ट करना, टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को कौन कारक बनाता है, लक्षित और गैर-लक्षित समूह, संदर्भ और अवसर कारक-वह समय और परिस्थितियाँ जिसमें शब्द या भाषण किया गया था, दोनों समुदायों के बीच भावना की स्थिति, आदि और 'घृणित भाषण' की परीक्षा को संचयी रूप से तृप्त करने के लिए संरक्षित नुकसान के साथ निकट संबंध-'सद्भावना' और 'कोई वैध उद्देश्य नहीं' परीक्षण लागू होगा, क्योंकि वे आशय कारक पर विचार करने में महत्वपूर्ण हैं।

आदेश दिया। शब्द और वाक्यांश-घृणापूर्ण भाषण के संदर्भ में "प्रयास" आयोजितः 'अपराध' का गठन करने का प्रयास, आक्षेपित कार्य केवल तैयारी से अधिक होना चाहिए और यथोचित रूप से अपराध के निकट होना चाहिए।

'घृणापूर्ण भाषण' के संदर्भ में, जिसमें वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने और धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने से संबंधित अपराध शामिल हैं, निश्चित रूप से शब्दों के वास्तविक उच्चारण या विचार से अधिक कुछ की आवश्यकता होगी जो सामग्री का गठन करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-प्रारंभिक चरण में एफ. आई. आर. को रद्द करना-उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक चरण में एफ़. आई. आर. से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिनके नाम हैं, मंझर सईद खान, महेंद्र सिंह धोनी, रमेश और बलवंत सिंह, हालाँकि, बलवंत सिंह में अनुपात को सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए क्योंकि निर्णय अभियोजन की विफलता पर आगे बढ़ा था।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-प्रथम सूचना रिपोर्ट

(एफ. आई. आर.)-परिभाषा और अर्थ-आयोजितः संक्षिप्त नाम एफ. आई. आर., या प्रथम सूचना रिपोर्ट, न तो आपराधिक संहिता में परिभाषित है। न ही इसमें इसका उपयोग किया जाता है, हालांकि यह एक संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को संदर्भित करता है-यह जानकारी, यदि मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है, तो यह अनिवार्य है -

लिखित रूप में कम किया जाए-लिखित रूप में दर्ज की जाने वाली जानकारी आवश्यक रूप से एक चश्मदीद गवाह द्वारा नहीं होनी चाहिए, और इसलिए, इसे केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुनी-सुनाई बात है-S.154 दंड संहिता के अन्य प्रावधानों से अनिवार्य नहीं है और न ही यह आवश्यकता प्रकट होती है-ललिता कुमारी ने कहा कि एस। 154 आपराधिक संहिता, स्पष्ट रूप से

शर्तों के अनुसार, सभी संज्ञेय अपराधों की प्राप्ति पर एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य है, अपवादों के अधीन जिसमें प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होती है-तपन कुमार सिंह ने कहा कि एफ. आई. आर. एक अपराध नहीं है।

अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करने वाला विश्वकोश। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एफ. आई. आर.-पीर हजरत का वर्णन करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. एस. को रद्द करना।

मोइनुद्दीन चिश्ती, एक आक्रमणकारी, आतंकवादी और डाकू के रूप में, जो अपनी आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए भारत आया था-याचिकाकर्ता ने प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की-आयोजितः याचिकाकर्ता केवल एक मेजबान के बजाय एक समान सह-प्रतिभागी था-तीन अलग-अलग तत्व जो 'घृणापूर्ण भाषण' को परिभाषित और पहचानने के लिए उपयोग किए जाते थे, अर्थात्-सामग्री-आधारित तत्व, इरादे-आधारित तत्व और हानि-आधारित तत्व (या प्रभाव-आधारित तत्व), का मूल्यांकन अदालत के समक्ष करने की आवश्यकता है-अदालत द्वारा इस पर राय बनाने से पहले कि क्या कोई अपराध किया गया है, इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए-इस प्रकार, इस स्तर पर एफ. आई. आर. एस. को रद्द करना और सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच को रोकना उचित नहीं होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एकाधिक एफ. आई. आर. एस.

बाबूभाई वी. गुजरात राज्य और अन्य राज्य जहां एफ. आई. आर. की समानता निर्धारित करने के लिए परीक्षण को स्पष्ट किया गया है कि जब एफ. आई. आर. एस. की विषय वस्तु वही घटना है, वही घटना है या उसी संबंध में है। उन घटनाओं के लिए जो एक ही लेन-देन के दो या दो से अधिक भाग हैं यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी एफ. आई. आर. के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

शब्द और वाक्यांश-'आदेश सार्वजनिक', 'सार्वजनिक शांति' और 'सार्वजनिक व्यवस्था'-पर चर्चा की गई।

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. दंड संहिता की धारा 295 ए में शामिल है

सभी तीन तत्वों का, अर्थात्; विषय-वस्तु आधारित तत्व, आशय आधारित तत्व और हानि आधारित तत्व (या प्रभाव आधारित) तत्व), यह सामग्री-आधारित तत्व को संदर्भित करता है जब यह बोले गए या लिखित, या संकेतों या दृश्य शब्दों को संदर्भित करता है।

इसी तरह, धारा 505 की उप-धारा (2) किसी भी बयान या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करती है। अफवाह या खतरनाक खबर। इसके बाद, यह उस व्यक्ति के इरादे को संदर्भित करता है जिसे बनाना या बढ़ावा देना चाहिए और फिर संदर्भित करता है

हानि-आधारित तत्व अर्थात विभिन्न धर्मों, धार्मिक समूहों या जातियों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना या

समुदाय आदि। [पैरा 65] [275-ई-जी]

2. बिलाल अहमद कालू के मामले में, इस न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 505 की उप-धारा (2) और धारा 153 ए के खंड (ए) के बीच अंतर करते हुए कहा था कि प्रकाशन नहीं है। उत्तरार्द्ध में आवश्यक है जबकि यह धारा 505 के खंड (2) के तहत अनिवार्य है। दंड संहिता की धारा 505 के खंड (2) की अलग-अलग व्याख्या नहीं की जा सकती है और 'जो कोई भी बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है' शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। एकल संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक ही विषय के दो अलग-अलग खंड प्रदान करने में विधायिका का इरादा यह दिखाएगा कि वे एक ही रंग के दो अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल करते हैं। [पैरा 66] [275-एच; 276-ए-बी]

3. दंड संहिता की धारा 153 ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में क्रमशः 'बढ़ावा' और 'संभावित' शब्दों का उपयोग किया गया है।

इसी तरह, धारा 295-ए में 'प्रयास' शब्द का उपयोग किया गया है और धारा 505 की उप-धारा (2) में 'सृजन या प्रचार' शब्दों का उपयोग किया गया है। 'संभावित' शब्द, जैसा कि इस न्यायालय की राय में समझाया गया है, इसका अर्थ बताता है कि घटना होने की संभावना वास्तविक होनी चाहिए न कि

काल्पनिक या दूरस्थ। उकसाना अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से परिणामों का संकेत होना चाहिए। परिणामों को उकसाने के लिए पर्याप्त निश्चितता [2020] 14 एस. सी. आर. होने में सक्षम होनी चाहिए।

उकसाना। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को दिखाना और स्थापित करना है कि प्रमुख साक्ष्य द्वारा मानक का उल्लंघन किया गया है, जो मौखिक और दस्तावेजी दोनों हो सकते हैं। 'प्रचार' का अर्थ केवल किसी तथ्य का वर्णन और वर्णन करना, या किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण या कार्यों की आलोचना करने वाली राय देना नहीं है-इसके लिए आवश्यक है कि वक्ता को दर्शकों को सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से उकसाना चाहिए। इस सक्रिय उत्तेजना का अंदाजा भाषण की सामग्री, संदर्भ और आसपास की परिस्थितियों और वक्ता के इरादे से लगाया जा सकता है। हालाँकि, यदि वक्ता केवल यह इंगित कर रहा है कि कोई व्यक्ति या समूह एक विशेष तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है, उनकी मांगें और उनका दृष्टिकोण क्या है, या जब वक्ता ऐसे व्यक्ति या समूह का साक्षात्कार करता है, तो यह होगा। तथ्यों और विचारों का एक निष्क्रिय वितरण होना जो पदोन्नति के बराबर नहीं हो सकता है। [पैरा 67] [276-सी-एच; 277-ए-बी]

4. एक प्रयास अपराध के वास्तविक कारण से कम है और केवल तैयारी से अधिक है। 'घृणित भाषण' के संदर्भ में, जिसमें वैमनस्य या भावनाओं को बढ़ावा देने से संबंधित अपराध शामिल हैं शत्रुता, घृणा या दुर्भावना, और धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लिए, निश्चित रूप से शब्दों के वास्तविक उच्चारण या विचार से अधिक कुछ की आवश्यकता होगी जो

सामग्री। वास्तविक उच्चारण आदि के बिना यह केवल विचार होगा, और बिना प्रत्यक्ष कार्य के विचार दंडनीय नहीं हैं। 'प्रकाशन' के मामले में, फिर से एक मात्र विचार कार्रवाई योग्य नहीं होगा, हालांकि 'प्रकाशित' करने का प्रयास किया जाता है या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा। आक्षेपित कार्य केवल तैयारी से अधिक होना चाहिए और अपराध की समाप्ति के लिए यथोचित रूप से निकट होना चाहिए, जिसे बाधित किया गया है। इरादे का सवाल प्रासंगिक होगा। हानि के तत्व के प्रश्न पर, वही परीक्षण और सिद्धांत, जो 'संभावित' के मामले में लागू होता है, इस तथ्य को छोड़कर लागू होगा कि मध्यवर्ती कारणों या आधारों के लिए सार्वजनिक अव्यवस्था या हिंसा नहीं हुई होगी। [पैरा 68] [277-जी-एच; 278-ए-सी]

5. प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि नियम को प्रधानता दी गई है

'सार्वजनिक व्यवस्था के हित' और 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' सिद्धांत पर भरोसा करके, लक्षित और गैर-लक्षित दोनों समूहों पर प्रचार के रूप में 'घृणा' भाषण के दीर्घकालिक प्रभाव को उचित महत्व नहीं दिया गया है। यह गरिमा की अवधारणा को कमजोर करने के लिए नहीं है, अमीश देवगन बनाम।

जो मूल आधार है जिसके आधार पर नागरिकों को अपने और राज्य के बीच बातचीत करनी चाहिए।

इसके अलावा, 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे' या 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' के मानदंडों को पूरा करने वाले 'घृणित भाषण' का अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंत में, यह न्यायालय दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई से निपट रहा है और इसलिए, इसे अभिव्यक्ति के अधिकार को संतुलित करना होगा। और जवाबी आपराधिक कार्यवाही के साथ बात करें। यह न्यायालय दुरुपयोग को रोकने और दुरुपयोग की जांच करने के लिए भी है। यह केवल दंडात्मक खतरा नहीं है जो समूहों के बीच समानता हासिल कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है।

सभी जातियों, पंथ, धर्म और क्षेत्र के नागरिकों की गरिमा को गैर-लक्षित समूहों और यहां तक कि लक्षित समूहों से संबंधित साथी नागरिकों द्वारा सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है। [पैरा 69] [278-सी-एच]

एक संज्ञेय आयोग से संबंधित जानकारी के लिए अपराध। यह जानकारी, यदि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो लिखित रूप में कम करना अनिवार्य है।

7. यह न्यायालय अर्नब रंजन गोस्वामी में निर्धारित अनुपात से सम्मानपूर्वक सहमत है। आम तौर पर, यह न्यायालय होगा याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया और उसे उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, हालांकि वर्तमान मामले में दोनों पक्षों द्वारा विस्तृत तर्कों को संबोधित किया गया है।

विचाराधीन एफ. आई. आर. की स्थिरता और गुण-दोष और इसलिए, इस स्तर पर उनसे निपटा गया और खारिज कर दिया गया। [पैरा 77] [284-एफ]

8. यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित बहस की प्रतिलिपि के प्रासंगिक भागों को पहले ही पुनः प्रस्तुत कर चुका है। यह है।

यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता केवल एक मेजबान के बजाय एक समान सह-प्रतिभागी था। प्रतिलेख, जिसमें अपमानजनक भाग भी शामिल है, 'सामग्री' का एक हिस्सा होगा, लेकिन किसी भी मूल्यांकन के लिए परिवर्तनीय 'संदर्भ' [2020] 14 एस. सी. आर. की जांच और विचार की आवश्यकता होगी।

साथ ही 'इरादा' और 'नुकसान/प्रभाव'। अदालत द्वारा इस पर राय बनाने से पहले इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या अपराध किया जाता है। इन पहलुओं पर मूल्यांकन संबंधी निर्णय

यह तथ्यों पर आधारित होगा, जिनकी पुलिस जांच द्वारा जांच और पता लगाया जाना है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अपनी माफी पर निर्भर करता है, जो उत्तरदाताओं/मुखबिरों के अनुसार उसके कृत्यों की एक संकेत या निहित स्वीकृति है। [पैरा 78] [284-जी-एच; 285-ए-बी] 9. इस स्तर पर एफ. आई. आर. एस. को रद्द करना और इस प्रकार सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच को रोकना उचित नहीं है।

हालाँकि, इस निर्णय में वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर इस न्यायालय की टिप्पणियों को किसी भी तरह से पुलिस द्वारा जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग को लागू करेंगे और सभी सामग्री और प्रासंगिक पहलुओं पर सही और सही तथ्यों का पता लगाएंगे। इसी तरह, सक्षम प्राधिकारी

जाँच के दौरान पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए दंडात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यदि और यदि आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो अदालत इन निर्देशों के साथ-साथ इस फैसले में दर्ज तथ्य के किसी भी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना जमानत देने के सवाल की जांच करेगी। [पैरा 79] [285-सी-एफ] 10. भजन लाल, पी. पी. शर्मा मामले में इस न्यायालय के निर्णय और आर. पी. कपूर मामले में पहले के निर्णय में कहा गया था कि उच्च न्यायालय

न्यायालय, अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित मामले में कार्यवाही को रद्द कर सकता है। इन मामलों में चर्चा किए गए सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है। आवश्यकताओं के रूप में सख्त और प्रतिबंधित, वे इस स्तर पर वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं हैं। [पैरा 80] [285-एफ; 286-बी] अमीश देवगन बनाम।

11. याचिकाकर्ता की दूसरी प्रार्थना। राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों में दर्ज की जा रही एफ. आई. आर. की संख्या तेलंगाना, और मध्य प्रदेश (अब उत्तर में स्थानांतरित)

प्रदेश) उसी प्रसारण से संबंधित। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि यह मुद्दा टी. टी. एंटनी में इस अदालत के फैसले में शामिल है जिसका पालन अर्नब रंजन गोस्वामी के मामले में किया गया है। इसके अलावा, बाबूभाई वी. गुजरात राज्य और अन्य जहां प्राथमिकियों की समानता निर्धारित करने के लिए परीक्षण को स्पष्ट किया गया है कि जब प्राथमिकियों की विषय वस्तु एक ही घटना है, एक ही घटना है या उन घटनाओं के संबंध में है जो एक ही लेनदेन के दो या दो से अधिक भाग हैं। यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी एफ. आई. आर. के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 81] [286-डी; 290-बी-सी]

12. वर्तमान मामले में, यह न्यायालय टी. टी. एंटनी के अनुपात का पालन करना चाहेगा, जिसका प्रभाव यह है कि

एफ. आई. आर. एस. को दंड संहिता की धारा 162 के तहत बयान के रूप में माना जाएगा। [पैरा 82] [290-डी-ई]

13. यह न्यायालय यह भी स्पष्ट करना चाहेगा कि आपराधिक संहिता की धारा 17 अदालत में मामलों के अभियोजन की अनुमति देती है।

जिनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है या परिणाम सामने आए हैं। दंड संहिता की धारा 186

यह उन मामलों से संबंधित है जहां अलग-अलग प्राथमिकियों के आधार पर दो अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए हैं और यह अभिधारणा है कि अभियोजन वहाँ आगे बढ़ेगा जहाँ पहली बार की गई एफ़. आई. आर. के आधार पर पहला आरोप पत्र दायर किया गया है। धारा 186 में अंतर्निहित सिद्धांत को आरोप-पत्र के पूर्व चरण में, यानी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, लेकिन मजिस्ट्रेट को आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से पहले लागू किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आम तौर पर पहले

एफ. आई. आर., अर्थात समय पर पहले दर्ज की गई एफ. आई. आर. को मुख्य एफ. आई. आर. के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य को आपराधिक संहिता की धारा 162 के तहत बयान के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि, असाधारण मामलों में और अच्छे कारणों से, यह उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के लिए खुला रहेगा, जैसे - मामला, बाद में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को प्रमुख एफ़. आई. आर. के रूप में मानने के लिए हो सकता है। हालांकि, इससे पीड़ितों, गवाहों या आरोपी व्यक्ति को कोई पूर्वाग्रह, असुविधा या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इस न्यायालय ने उपरोक्त [2020] 14 एस. सी. आर. को स्पष्ट किया है।

उक्त पहलू पर किसी भी संदेह या बहस से बचने की स्थिति। [पैरा 84] [292-ए-डी]

14. निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रार्थना को स्वीकार करता है

पिछली संशोधित रिट याचिका में की गई और सूचीबद्ध सभी प्राथमिकियों को पुलिस स्टेशन दरगाह, अजमेर, राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस अदालत को उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्राथमिकियों को स्थानांतरित करने का कोई अच्छा आधार या विशेष कारण नहीं मिला है। स्थानांतरित एफ. आई. आर. के आधार पर शिकायत/सूचना देने वाले के बयान को आपराधिक संहिता की धारा 162 के तहत बयान के रूप में माना जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। [पैरा 85]

[292 - ई-एफ]

15. यह न्यायालय अस्वीकार करता है और की प्रार्थना को अस्वीकार करता है

याचिकाकर्ता ने एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए लेकिन याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है बशर्ते वह जांच में शामिल हो और जांच पूरी होने तक सहयोग करे। जांच पड़ताल की। हालाँकि, प्रसारण/प्रकरण के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाली सभी लंबित प्राथमिकियों को पी. एस. दरगाह, अजमेर में स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना, जहाँ पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी, स्वीकार की जाती है। तीसरी प्रार्थना पर, इस न्यायालय ने पूछा है कि

संबंधित राज्य याचिकाकर्ता और परिवार के सदस्यों की खतरे की धारणा की जांच करें और आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाएं। [पैरा 87] [293-ए-सी]

रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 620; केदार नाथ सिंह बनाम। बिहार राज्य, (1970) 2 एससीसी 780: [1971]

2 एससीआर 446; मधु लिमये बनाम। उप-मंडल

मजिस्ट्रेट, मोंगीर और अन्य, (1970) 3 एस. सी. सी. 746:

[1971] 2 एस. सी. आर. 711-अनुसरण किया गया।

श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1: [2015] 5 एससीआर 963; अनुराधा भसीन बनाम। भारत संघ और अन्य (2020) 3 एस. सी. सी. 637; आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 7 एससीसी 353: [2016] 3 एस. सी. आर. 579; मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 एस. सी. सी. 248 [1978] 2 एस. सी. आर. 621; राज्य बनाम। मोहम्मद. याकूब (1980)

3 एस. सी. सी. 57; ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

प्रदेश और अन्य (2014) 2 एससीसी 1; एच. पी. बनाम राज्य पिरथी चंद और एक अन्य, (1996) 2 एस. सी. सी. 37: [1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 29; अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम।

अमीश देवगन का संघ v. भारत और अन्य का संघ

भारत और अन्य (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 462; टी. टी. एंटनी वी। केरल राज्य और अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 181: [2001] 3 एस. सी. आर. 942-पर निर्भर।

पी. के. चक्रवर्ती बनाम द किंग एयर 1926 Cal.1133 - स्वीकृत किया गया।

महामहिम रानी बनाम। जेम्स कीग्स्ट्रा, (1990) 3 एससीआर 697; बलवंत सिंह और एक अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1995) 3 एससीसी 214: [1995] 2 एससीआर 411; बिलाल अहमद कालू बनाम। ए. पी. राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 431: [1997] 3 सप. एस. सी. आर. 327; बृज भूषण और एक अन्य बनाम। दिल्ली राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 129; ललाई सिंह यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 955; महेंद्र सिंह धोनी बनाम. येरागुंटला श्यामसुंदर और एक अन्य, (2014) 2 एस. सी. सी. 1 [2013] 14 एस. सी. आर. 713; मंजर सईद खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य, (2017) 7 एस. सी. सी. 760 [2017] 3 एस. सी. आर. 763; रानी-महारानी बनाम। बाल

गंगाधर तिलक (2014) 11 एस. सी. सी. 477: [2014] 4 एस. सी. आर. 446; रमेश पुत्र छोटालाल दलाल बनाम। भारत संघ और अन्य, (1988) 1 एस. सी. सी. 668 [1988] 2 एस. सी. आर. 1011; रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 12; बिहार राज्य और एक अन्य v. पी. पी. शर्मा, आई. ए. एस. और एक अन्य, 1992 सप. (1) एस. सी. सी. 222; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335; यू. पी. राज्य बनाम ओ. पी. शर्मा (1996) 7 एस. सी. सी. 705: [1996] 2 एस. सी. आर. 236; पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. और अन्य बनाम। तपन

कुमार सिंह (2003) 6 एस. सी. सी. 175: [2003] 3 एस. सी. आर. 485; अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ और एक अन्य

वी. डॉ. राम मनोहर लोहिया, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 633; विरेंद्र/K.Narendra वी. पंजाब राज्य और एक अन्य आकाशवाणी 1957

एससी 896; उड़ीसा राज्य बनाम। सरोज कुमार साहू (2005) 13 एससीसी 540: [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 548; चिंतामन राव बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 118; मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, ए. आई. आर 1952 एस. सी. 196; एन. बी. खरे (डॉ.) बनाम दिल्ली राज्य ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 211; मोहम्मद फारूक बनाम। मध्य प्रदेश और अन्य राज्य (1969) 1 एस. सी. सी. 853: [1970] 1 एससीआर 156; अरुण

घोष बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1 एससीसी 98: [1979] 1 एस. सी. आर. 955; न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ [2020] 14 एस।

(2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एस. सी. आर. 569; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ और अन्य (2016) 7 एस. सी. सी. 221: [2016] 3 एस. सी. आर. 865; रुस्तम कोवासजी कूपर बनाम। भारत संघ (1970) 2 एससीसी 298: [1971] 1 एस. सी. आर. 512; बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972) 2 एससीसी 788: [1973] 2 एससीआर 757; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1950 एस. सी.; चारू खुराना और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2015) 1 एस. सी. सी. इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स (सबरीमाला मंदिर, आरई में) v. केरल राज्य और अन्य (2019) 11 एस. सी. सी. 1; राम जेठमलानी और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2011) 8 एससीसी 1: [2011] 8 एस. सी. आर. 725; ध्वनि प्रदूषण (वी), रे में। (2005) 5 एससीसी 733: [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 624; इंदिरा साहनी बनाम। भारत संघ, (1992) सप. 3 एस. सी. सी. 217; अमिता बनाम भारत संघ, (2005) 13 एस. सी. सी. 721; इब्राहिम सुलेमान सैत बनाम। M.Mohammed और दूसरा (1980) 1 एस. सी. सी. 398; अमन कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. 379; धर्म राम भागरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1973) 1 एस. सी. सी. 537; बाबूभाई बनाम। गुजरात राज्य और अन्य, (2010) 12 एस. सी. सी. 254; प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश भुट्टो बनाम। गुजरात राज्य, (2005)

बम 56; प्रवासी भलाई संगठन बनाम। भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1926 कलकत्ता 1133; आर. वी. ज़ुंडेल, 21 आर. पी. कपूर बनाम। पंजाब राज्य, आई. एल. आर. (1898) 22 बॉम्बे 112; वीडा मेनेज़ बनाम। यूसुफ खान और एक अन्य, 1966 एससीआर 123; नीलम महाजन बनाम। पुलिस आयुक्त और अन्य, 1993 (27) डी. आर. जे. 357; ललाई सिंह यादव और एक अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1971 सी. आर. आई एल. जे. 1773 (एफ. बी.) (इलाहाबाद); पी. के. चक्रवर्ती बनाम द किंग, ए. आई. आर. 1926 कैल. 1133 - संदर्भित किया गया। निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम। राजा-सम्राट, 1942 एफसीआर 38; के. ए. अब्बास बनाम भारत संघ और एक अन्य अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ

1942 एफसीआर 38; सस्केचेवान (मानवाधिकार)

आयोग) v. वॉटकॉट, [2013] 1 एस. सी. आर. 467; कनाडा (मानवाधिकार आयोग) v. टेलर, (1990) 3 एससीआर 892; पैट ईटॉक बनाम। एंड्रयू बोल्ट (2011) एफ. सी. ए. 1103; शेनेक बनाम में मिस्टर जस्टिस होम्स। संयुक्त राज्य अमेरिका, 249 यू. एस. 47 (52); ब्रांडेनबर्ग बनाम। ओहायो 395 यू. एस. 444 (1969); डेनिस बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 341 यू. एस. 494 ओ 'नील (160) (161) और हिल बनाम। टोरंटो के चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, (1995) 2 एस. सी. आर. 1130 (117) और (120); बेउहरनाइस वी। इलिनोइस, 343 यू. एस. 250 (1952); टिल्मन्स बुचरीज़ पीटीवाई लिमिटेड बनाम। ऑस्ट्रेलियाई मांस उद्योग कर्मचारी संघ (1979) 27 ए. एल. आर. 380-संदर्भित। संवैधानिक न्यायशास्त्र में घृणित भाषणः मिशेल रोसेनफेल्ड द्वारा एक तुलनात्मक विश्लेषण, 24 कॉर्डोजो एल. रेव. 1523 2002-2003; 'घृणापूर्ण भाषण

संवैधानिक न्यायशास्त्रः एक तुलनात्मक विश्लेषण '

मिशेल रोसेनफेल्ड, 24 कॉर्डोजो एल. रेव. 1523 2002 2003; एंड्रयू एफ. सेलर्स, डिफाइनिंग हेट स्पीच, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बर्कमैन क्लेन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी द्वारा प्रकाशित; शब्द जो घायल हैंः ए.

नस्लीय अपमान, एपिथेट्स और नेम कॉलिंग के लिए टॉर्ट एक्शन ', 17 हार्व। सी. आर.-C.L.L.rev। 133 (1982) ; नस्लवादी भाषण पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाः पीड़ित को ध्यान में रखते हुए

कहानी ', 87 माइक। L.Rev। 2320 (1989) ; स्वतंत्र भाषण और उदार गुणों का विकासः झंडा जलाने और नफरत से जुड़े विवादों की जांच

भाषण ', 52 U.Miami के. रेव. 733 (1998); संवैधानिक न्यायशास्त्र में घृणित भाषणः एक तुलनात्मक

मिशेल रोसेनफेल्ड द्वारा विश्लेषण, 24 कार्डोजो एल. रेव. 1523 2002-2003; माइरा मर्क्स फेरी, विलियम ए. गैम्सन, जुर्गेन गेरहाड्र्स और डायटर रुच्ट, 'आधुनिक लोकतंत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के चार मॉडल', प्रकाशित किए गए

थियरी एंड सोसाइटी, वॉल्यूम। 31 , सं. 3 (जून, 2002), पृ. 289-324 ; जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, समाजवाद से दूर

करोड़पति, 16 (1901); जोसेफ ब्लॉचर, फ्री स्पीच एंड जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ ', हार्वर्ड लॉ रिव्यू, वॉल्यूम। 133 , नंबर 2, दिसंबर 2019; दर्शनशास्त्र का इंटरनेट विश्वकोश, एंड्रयू फियाला द्वारा सहिष्णुता, आईएसएसएन 2161 0002; मार्जोका वैन डोर्न, सहिष्णुता की प्रकृति [2020] 14 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और सामाजिक परिस्थितियाँ जिनमें यह

इमर्जेंस, करेंट सोशियोलॉजी रिव्यू, 2014, वॉल्यूम। 62 (6)

905-927 ; सैम हैरिस, विश्वास का अंत; माइकल सैंडल

डेमोक्रेसीज़ डिसकंनटेंट (1998); जॉन रॉल्स, थ्योरी

न्याय का (1971); सरकारों की घायल व्यर्थता

'बयानबाजी गणराज्य' में: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और

अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा रचित भारत का संविधान, पेंगुइन बुक्स इंडिया (2017)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1995 (2) एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1997] 3 सप. एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1990] 3 एससीआर 697

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[1971] 2 एससीआर 446

पै

रा 8

पीछा किया।

[2013] 14 एससीआर 713

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2017] 3 एससीआर 763

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[2014] 4 एससीआर 446

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 एससीआर 1011

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2015] 5 एससीआर 963

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[1995] 6 पूरक। एससीआर 29

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[1996] 2 एससीआर 236

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 एससीआर 485

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2001] 3 एससीआर 942

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[2005] 5 पूरक। एससीआर 548

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1971] 2 एससीआर 711

पै

रा 36

पीछा किया।

[1970] 1 एससीआर 156

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर 955

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2016] 3 एससीआर 579

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[2017] 10 एससीआर 569

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[2016] 3 एससीआर 865

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[1978] 2 एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पैरा 42 अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ

[1971] 1 एससीआर 512

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[1973] 2 एससीआर 757

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2005] 1 पूरक। एससीआर 624

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

आपराधिक मूल

(आपराधिक) 2020 का सं. 160

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

तुषार मेहता, एस. जी., एस. वी. राजू, ए. एस. जी., विनोद दिवाकर, ए. ए. जी., सिद्धार्थ

लूथरा, डॉ. मनीष सिंघवी, सुशील कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विवेक जैन, मृणाल भारती, समर्थ कृष्ण लूथरा, सुश्री सुचित्रा कुंभट, सुश्री शुभांगनी जैन, पंकज सिंघल, मनीष शेकारी, नितिन शर्मा, सुश्री पल्लवी गर्ग, कानू अग्रवाल, बी. वी. बलराम दास, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, जियो जोसेफ, डी. के. देवेश, अपूर्व सिंघवी, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री स्वाति भारद्वाज, सर्वेश सिंह बघेल, बी. एन. दुबे, सुश्री शिवरंजनी रलावता, पुनीत जैन, हर्ष जैन, हर्षित खांडुजा, सुश्री क्रिस्टी जैन, अनिरुद्ध जोशी, उमंग शंकर, रिजवान मर्चेंट, एस. हरिहरन, सुश्री। परवेज डबास, उज़्मी जमील हुसैन, दानिश अहमद सैयद, प्रेम चंद्र, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। प्रकट होने के लिए

पार्टियाँ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था संजीव खन्ना, जे।

1. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति है।

2. रिट याचिकाकर्ता, अमीश देवगन, एक पत्रकार हैं, जो

उन्होंने कहा कि वे वर्तमान में न्यूज 18 उत्तर सहित टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले कई समाचार चैनलों के प्रबंध निदेशक हैं।

प्रदेश/उत्तराखंड, न्यूज 18 मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ और न्यूज 18 राजस्थान।

3. याचिकाकर्ता बहस की मेजबानी और एंकर 'आर पारों' दिखाता है

सी. एन. बी. सी. आवाज़ पर न्यूज़18 इंडिया और 'टक्कर'। 15 जून, 2020 को लगभग 7 बजेः 30 शाम को, याचिकाकर्ता ने अधिनियम 1 पर एक बहस की मेजबानी और एंकरिंग की थी, जो अयोध्या को छोड़कर, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है

1 पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रावधान करता है। कुछ हिंदू पुजारी संगठनों ने इस अधिनियम के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, और कथित तौर पर एक मुस्लिम संगठन ने चुनौती का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी।

4. प्रसारण को सात प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में पोस्ट करें

(इस प्रकरण से संबंधित एफ. आई. आर. एस.) याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में दायर और दर्ज किया गया था। एफ. आई. आर. क विवरण निम्नलिखित अछि।

एस. नं. एफआइआर नं. अनुभाग

पुलिस थाना/राज्य

दरगाह, अजमेर

1 .

78/2020

153 बी, 295 ए, 298 आईपीसी

(राजस्थान)

66 एफ जानकारी प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

मकबरा, कोटा

153 बी, 295 ए, 298 आईपीसी

2 .

50/2020

(राजस्थान)

66 एफ जानकारी

प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

3 .

173/2020 295 आई. पी. सी.

(तेलंगाना)

इटवारा, नांदेड़

4 .

218/2020 295 आई. पी. सी.

(महाराष्ट्र)

217/2020 153 ए, 295 ए, 505 (2) आईपीसी

पैधुनी, मुंबई

5 .

(महाराष्ट्र)

मूल रूप से पंजीकृत

6 .

674/2020 295 आई. पी. सी.

सेक्टर-20, गौतम

बुद्ध नगर

(उत्तर प्रदेश)

नया नगर, ठाणे

7 .

337/2020 295 आई. पी. सी.

(महाराष्ट्र)

एफ. आई. आर. क सार लगभग समान अछि। याचिकाकर्ता, मेजबानी करते हुए

इस बहस में पीर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, को "आक्रांतक चिश्ती आया. आक्रांतक चिश्ती आया. लूटेरा चिश्ती आया. उस्के बड़ धर्म बदले" के रूप में वर्णित किया गया था। अंग्रेजी में अनुवादित किए गए शब्दों में लिखा होगा-"आतंकवादी अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

चिश्ती आई। आतंकवादी चिश्ती आया। डाकू चिश्ती आया-उसके बाद धर्म बदल गया ", यह कहते हुए कि 'पीर हजरत'

मोइनुद्दीन चिश्ती, एक आतंकवादी और डाकू, ने डर और धमकी से हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया था। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और जानबूझकर मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक पीर या एक पवित्र संत का अपमान किया था, जो हिंदुओं द्वारा भी पूजनीय था, और इस तरह मुसलमानों के प्रति धार्मिक घृणा को आहत और उकसाया था। 5. रिट याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रसारण के बाद उनके फोन, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। अपनी जान और अंग के डर से, याचिकाकर्ता ने 20 जून, 2020 को पी. एस. सेक्टर-20, नोएडा, उत्तर प्रदेश में एफ. आई. आर. संख्या 539 दर्ज की थी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त धमकियों के लिंक प्रस्तुत किए थे।

संबंधित एफ. आई. आर./शिकायतों में सूचना देने वाले। एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि सुनवाई की अगली तारीख तक 15 जून, 2020 के प्रसारण से संबंधित रिट याचिका में उल्लिखित प्राथमिकियों पर आगे के कदमों/कार्रवाई पर रोक होगी और याचिकाकर्ता को उक्त प्राथमिकियों से उत्पन्न होने या उनसे संबंधित किसी भी दंडात्मक प्रक्रिया से संरक्षित किया गया था। 7. उपरोक्त स्वतंत्रता के अनुसार, शिकायतकर्ताओं को शामिल करने के लिए रिट याचिका में संशोधन किया गया था। इसके बाद रिट याचिका में संशोधन किया गया।

दूसरे अवसर पर। इस न्यायालय को अंतिम संशोधित रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

(अ)

शिकायतों/एफ. आई. आर. एस. को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

ऊपर निर्दिष्ट या कोई अन्य एफ. आई. आर. या आपराधिक शिकायत जो 15 जून, 2020 के प्रश्नगत प्रसारण से संबंधित उसके बाद दर्ज की जा सकती है;

(ख) सख्ती से विकल्प में, एफ. आई. आर. एस. को स्थानांतरित और क्लब करें।

पहली एफ. आई. आर. के साथ ऊपर या देश में कहीं और उल्लिखित, यानी एफ. आई. आर. संख्या 78, पी. एस. दरगाह, अजमेर, राजस्थान; इस प्रभाव के लिए आदेश का एक रिट जारी करें कि कोई जबरदस्ती न हो

((ग)

याचिकाकर्ता के खिलाफ इस प्रकार दर्ज की गई एफ. आई. आर. या बाद की शिकायत या विषय पर एफ. आई. आर. में प्रक्रिया की जाएगी।

और [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत संघ को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देना और

((घ)

याचिकाकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों और उसकी सुरक्षा

देश में विभिन्न स्थानों पर सहकर्मी "।

8. याचिकाकर्ता, अपनी प्रस्तुतियों में, दावा करता है कि उसे विश्वास है

बंदा नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सम्मान व्यक्त करने और पूजा करने के लिए अजमेर शरीफ की जियारत तीर्थयात्रा पर भी गए हैं। खेद व्यक्त करते हुए, याचिकाकर्ता का दावा है कि कथित शब्द अनजाने में और गलती से कहे गए थे; वास्तव में, याचिकाकर्ता अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख करना चाहता था, न कि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन का। चिश्ती। अपनी गलती को महसूस करते हुए और अनजाने में हुई गलती को सुधारने और संदेह को दूर करने और खुद को सही साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने तुरंत 17 जून 2020 को एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्टीकरण और माफी जारी की थी। इसी तरह के स्पष्टीकरण और माफी के साथ एक वीडियो भी समाचार द्वारा प्रसारित किया गया था।

उसी दिन चैनल। याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक चक्कर में, उसने चिश्ती का नाम लिया था, हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, और वह अपनी चूक पर विलाप करता है क्योंकि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तदनुसार, उन्होंने जो कोई भी आहत हुआ था, उससे माफी मांगी थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा कई प्रस्तुतियाँ की गई हैं, जिनका सारांश इस प्रकार हैः

एक ही घटना से उत्पन्न होने वाली कई प्राथमिकियां कानून का दुरुपयोग हैं, और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, जिससे स्वतंत्रता पर भयावह प्रभाव पड़ता है।

भाषण और अभिव्यक्ति। एफ. आई. आर. याचिकाकर्ता को परेशान करने और डराने के लिए हैं; उन क्षेत्रों में 'कार्रवाई का कारण' का कोई हिस्सा सामने नहीं आया है जहां

एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153 ए, 295 ए और 505 (2) (संक्षेप में, 'दंड संहिता') और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-एफ की व्याख्या पर,

(संक्षेप में, 'आई. टी. अधिनियम'), कोई भी अपराध नहीं किया जा सकता है; आरोप अलग-अलग बयानों पर आधारित हैं।

चुनिंदा शब्दों को उठाकर और समग्र रूप से कार्यक्रम पर नहीं; याचिकाकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को आहत करने का कोई कारण नहीं था; कार्यक्रम को एक मानक से आंका जाना चाहिए।

तर्कसंगत और मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति और सबसे अच्छा शब्द बिना किसी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण एमीश देवगन के लापरवाही का प्रदर्शन करते हैं।

पुनः, वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी एफ. आई. आर. एस. इन्हें जोड़कर नोएडा या दिल्ली में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

उनके तर्क के समर्थन में-अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम। संघ का

3

3 (1995) 3 एससीसी 214 4 आकाशवाणी 1947 नागपुर 1

5 (1997) 7 एस. सी. सी. 431

6 ए. आई. आर 1950 एस. सी 129 7 ए. आई. आर. 1927 लाह 594

8 आकाशवाणी 1947 पी. सी. 82

9 9 एयर 1971 बम 56

10 (1990) 3 एससीआर 697

11 1942 एफ. सी. आर. 38

12 (1970) 2 एससीसी 780

13 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 955 14 1971 Crl.L.J. 1773

16 (2017) 7 एस. सी. सी. 760 17 (2007) 5 एससीसी 1

18 आकाशवाणी 1926 कलकत्ता 1133 [2020] 14 एस. सी. आर.

भारत और अन्य, 1 9 रानी-महारानी बनाम। बाल गंगाधर तिलक, 2 0 आर. वी. ज़ुंडेल, 2 1 आर. पी. कपूर बनाम। पंजाब राज्य ", 2 रमेश पुत्र छोटालाल दलाल बनाम। भारत संघ और अन्य, 23 रामजी लाल मोदी बनाम। की स्थिति यू. पी., 24 रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 25 सस्केचेवान (मानवाधिकार आयोग) v. व्हॉटकॉट, 26 श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ, 27 बिहार राज्य और एक अन्य v. पी. पी. शर्मा, आई. ए. एस. और अन्य, 28 स्टेट ऑफ एच. पी. बनाम। पिरथी चंद और एक अन्य, 29 हरियाणा राज्य बनाम। भजन लाल, 30 यू. पी. राज्य बनाम ओ. पी. शर्मा, 3 1 वीडा मेनेज़ बनाम। यूसुफ खान और एक अन्य, 32 नीलम महाजन बनाम।

पुलिस आयुक्त और अन्य, 3 3 पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. और अन्य बनाम तपन कुमार सिंह, 3 4 अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ और एक अन्य बनाम। डॉ. राम मनोहर लोहिया, 3 5 टी. टी. एंटनी बनाम। केरल राज्य और अन्य, 36 और विरेंद्र/K.Narendra v. राज्य

9. याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थनाओं का महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों और निजी उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया जाता है। मुखबिरों का कहना है कि याचिकाकर्ता आदतन है अपराधी और कई पहले के अवसरों पर इसी तरह की माफी की पेशकश की है। याचिकाकर्ता ने दो बार 'आक्रांतक चिश्ती आया' और उसके बाद 'लुटेरा चिश्ती आया' शब्दों को दोहराया था। तीन अवसरों पर यह दावा याचिकाकर्ता के इरादे को दर्शाता है और दर्शाता है, जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक आक्रमणकारी, आतंकवादी और डाकू के रूप में वर्णित किया था जो अपनी आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए भारत आया था। का बहाना

19 (2014) 11 एस. सी. सी. 477 20 आई. एल. आर. (1898) 22 बॉम्बे 112 21 [1992] 2 एस. सी. आर. 731

24 आकाशवाणी 1957 एससी 620 25 आकाशवाणी 1950 एससी 124

26 [2013] 1 एससीआर 467

27 (2015) 5 एससीसी 1 28 1992 सप. (1) एससीसी 222

29 (1996) 2 एस. सी. सी 37 30 1991 सप्लीमेंट (1) एससीसी 335

31 (1996) 7 एससीसी 705 32 1966 एससीआर 123।

33 1993 (27) डीआरजे 357।

36 (2001) 6 एससीसी 181 37 ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 896 अमीश देवगन बनाम

अनजाने में हुई गलती एक बाद की सोच और एक बनावटी और अवास्तविक बचाव है। प्रत्यर्थी संख्या 9, अर्थात्, साबेर चौसा मोहम्मद। नसीर ने अपने हलफनामे में

उन्होंने कहा है कि एक सूफी संत के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम पैनल के सदस्यों में से एक ने तब लिया था जब धर्मांतरण के विषय पर बहस चल रही थी। पैनलिस्ट ने रिकॉर्ड में कहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय धर्मांतरण नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से हुआ था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भक्त और अनुयायी उनकी शिक्षाओं से प्रेरित थे। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उस समय चर्चा मुगलों के संबंध में या औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में नहीं थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 16 जून, 2020 को यूट्यूब पर अपलोड की गई बहस के प्रसारण में जानबूझकर उस हिस्से को हटा दिया था जिसमें याचिकाकर्ता ने 'आक्रांतक चिश्ती' (दो बार) और 'लुटेरा चिश्ती' शब्द का इस्तेमाल किया था। आपत्तिजनक भागों को छानने और बाद में माफी मांगने के ये कार्य याचिकाकर्ता को अजमेर और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में पता चलने के बाद किए गए थे। उत्तरदाताओं का दावा है कि माफी वास्तविक नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा का कार्य है। अजमेर में 16 जून, 2020 को 11 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई थीः 58 जबकि याचिकाकर्ता की पहली माफी (ट्विटर के माध्यम से) 17 जून, 2020 को 12 बजे सामने आईः 12 कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के लगभग 30 घंटे बाद, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे।

10. उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है -

इसके अंतर्गतः

याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 32 को बेपरवाह तरीके से लागू किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'दंड संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत उपाय याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध था। 3 8 याचिकाकर्ता द्वारा अपमानजनक शब्द तीन बार बोले गए, जो उनके बुरे इरादे को दर्शाता है। 39 याचिकाकर्ता का इरादा

यह दोनों धर्मों/समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने और अव्यवस्था भड़काने के लिए था। 40

बहस एक मंचित कार्यक्रम था, जहाँ पैनल में कोई विशेषज्ञ या इतिहासकार नहीं थे; कार्यक्रम का मंचन मुसलमानों को बदनाम करने और नफरत को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 41.

38 हाजी सैयद चिश्ती, दरगाह के खादिम द्वारा आई. ए. जवाब सं। 9 , 39 हाजी सैयद चिश्ती, दरगाह के खादिम द्वारा आई. ए. उत्तरदाता नं. 9 , उत्तरदाता नं. 6 40 हाजी सैयद चिश्ती, दरगाह के खादिम द्वारा आई. ए.

4 साजिद नूर मोहम्मद शेख निवासी नासिक, महाराष्ट्र [2020] 14 एस. सी. आर.

याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के विषय सांप्रदायिक हैं। 42

याचिकाकर्ता का आचरण पत्रकारिता मानकों के मानदंडों के खिलाफ था। 43

याचिकाकर्ता ने यूट्यूब पर वीडियो का एक संपादित संस्करण अपलोड किया, जिसमें उसने आपत्तिजनक भाषण वाले हिस्से को हटा दिया था। एफ़. आई. आर. दर्ज होने के बाद ऐसा किया गया था

साक्ष्य के साथ छेड़छाड़/नष्ट करने का प्रयास। 44

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अनजाने में उन्होंने "खिलजी" के स्थान पर "चिश्ती" बोला, लेकिन इन दोनों ऐतिहासिक हस्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है। ख्वाजा चिश्ती भारत आए।

1136 में जब मो. पृथ्वी राज ने घोरी को हराया था। चौहान ने पहली बार तराइन की लड़ाई में भाग लिया। जबकि,

खिलजियों ने 1290 से 1320 तक भारत पर शासन किया। इसलिए खिलजी और ख्वाजा चिश्ती न तो समकालीन थे और न ही एक-दूसरे से संबंधित थे। 45

याचिकाकर्ता द्वारा माफी एक पश्चात्वर्ती विचार था। यह FIR.46 के पंजीकरण के बाद ही आया जब याचिकाकर्ता ने शुरू में माफी नहीं मांगी और लोकप्रियता हासिल करने के लिए ख्वाजा चिश्ती के अनुयायियों को नाराज होने दिया। 47

वे दो व्यक्ति, जिनकी साख का याचिकाकर्ता ने याचिका में उल्लेख किया है, यह कहने के लिए कि समुदाय के सदस्यों ने उन्हें माफ कर दिया है, गलत है। ये दोनों लोग टीवी हस्तियों के रूप में और कहीं भी ख्वाजा चिश्ती के भक्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 48

एफ. आई. आर. में घटना का विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही केवल भौतिक तथ्यों का खुलासा किया गया हो, यह पर्याप्त है

आपराधिक कार्यवाही जारी रखें। 49

विचारशील नं. 9 विचारशील नं. 9

हाजी सैयद चिश्ती, दरगाह के खादिम द्वारा; उत्तरदाता नं। 9 , 47 हाजी सैयद द्वारा आई. ए.

दरगाह के खादिम; प्रतिवादी नं। 9 , 48 उत्तरदाता नं. 9 .

विचारशील नं.

9 एच. देवगन वी. भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

महाराष्ट्र में कुछ सांप्रदायिक तत्व, के बाद

याचिकाकर्ता द्वारा बयानों का प्रसारण, इस अवसर का उपयोग किया और नफरत फैलाने के लिए इस वीडियो को प्रसारित करना शुरू कर दिया। 50

संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) व्यक्त करने के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत सीमाएँ।

पुलिस को आपराधिक संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए और अदालत को

केबल टीवी (विनियमन) अधिनियम की धारा 19 केबल टीवी नेटवर्क को नफरत या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामग्री को प्रसारित करने से रोकती है। 52 प्रसारण पूरे देश में हुआ और इस प्रकार अजमेर में भी कार्रवाई का कारण बना, जहाँ मध्यस्थ रहता है और ख्वाजा चिश्ती की दरगाह के खदीम के रूप में कार्य करता है।

उत्तरदाता नं. 5 , उत्तर प्रदेश राज्य, 5 3 ने दोहराया

मुखबिर अमीश देवगन के कहने पर दर्ज की गई प्राथमिकी के तथ्य। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि एक प्राथमिकी जो याचिकाकर्ता अमीश देवगन के खिलाफ जबलपुर में मामला दर्ज किया गया था, जिसे जबलपुर पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर में स्थानांतरित कर दिया था।

राजस्थान राज्य ने प्रस्तुत कियाः

याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई माफी कमजोर नहीं होगी।

(अ)

अपराध। इसके अलावा, यह 30 घंटे के बाद था

कार्यक्रम का प्रसारण।

(ख) तथ्यों के आरोप और जवाबी आरोप महत्वपूर्ण हैं।

मुकदमों से।

((ग)

सभी एफ. आई. आर. अजमेर को हस्तांतरित करें क्योंकि एफ. आई. आर. एस. में से एक है

वहाँ, और मामला भी अजमेर से संबंधित है।

नहीं। 9

नहीं। 9 और प्रत्यर्थी नं। 6

1 नूर मोहम्मद शेख निवासी नासिक, महाराष्ट्र एसपी/एएसएसटी। आयुक्त, नोएडा नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तेलंगाना राज्य ने प्रस्तुत कियाः

शिकायतकर्ता/मुखबिर पी. एस. के पास आए।

(अ)

बहादुरपुरा, हैदराबाद ने शिकायत की कि याचिकाकर्ता ने ख्वाजा चिश्ती का अपमान किया है। उड़ीसा राज्य बनाम के अनुसार। सरोज कुमार साहू, 56

(ख)

अभियोजन संस्करण की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है

प्रारंभिक अवस्था में।

जाँच के सामान्य पाठ्यक्रम को छोटा नहीं किया जा सकता है।

((ग)

आकस्मिक तरीके से। इसके अलावा, आरोपी के पास एक उपाय है

दंड संहिता की धारा 482 के अधीन।

प्रदर्शन और बहस

11. इससे पहले कि हम पहली प्रार्थना की जांच करें, हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा मूल रिट के साथ दायर की गई प्रतिलिपि

याचिका और संशोधित रिट याचिकाएं सही और सही प्रतिलिपि नहीं हैं। इन प्रतिलेखों के अनुसार कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने केवल ये शब्द बोले थे "अक्रांत चिश्ती आया. लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदल गया"। हालाँकि, 8 जुलाई, 2020 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिलिपि में, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने 'अक्रांत चिश्ती' शब्दों का उपयोग एक बार नहीं बल्कि दो बार किया था। यह सही संस्करण है। याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि बहस का विषय संबंधित था

एक हिंदू पुजारी संगठन द्वारा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती दी गई, जिसके अनुसार 15 अगस्त, 1947 को धार्मिक स्थानों की वास्तविक स्थिति को बदला या बदला नहीं जा सका, हालांकि अयोध्या को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था, और एक मुस्लिम संगठन ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि नोटिस जारी किया जाता है तो मुस्लिम समुदाय में व्यापक भय होगा। बहस शुरू करने के बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिलिपि के अनुसार कहा था, "आज, यह बहस का प्रमुख मुद्दा होगा। अयोध्या फैसला सुनाया गया, काशी-मथुरा मुद्दे को अनसुलझा क्यों छोड़ दिया गया? ..... हिंदू पुजारियों से पूछें! . प्रतिलिपि के अनुसार याचिकाकर्ता ने तब घोषणा की थीः

" अब काशी मथुरा मुद्दे की कानूनी स्थिति का विश्लेषण करें। हिंदू पुजारी संगठन पूजा स्थलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991। 1946 के इस अधिनियम के अनुसार, 55 उत्तरदाता नं. 4

56 (2005) 13 एस. सी. सी. 540 अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

किसी भी धार्मिक स्थान की वास्तविक स्थिति को किसी भी मामले में बदला नहीं जा सकता था।

स्थिति। अधिनियम के अनुसार मस्जिद को मंदिर में नहीं बदला जा सकता था या मंदिर को मस्जिद में नहीं बदला जा सकता था। यह असंभव है। अयोध्या मुद्दा इस दायरे से बाहर था क्योंकि यह पहले से ही मुकदमेबाजी में था। अयोध्या का मुद्दा 100 साल पुराना विवाद था। पुजारी संगठन का कहना है कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 हिंदुओं के खिलाफ है। आज हम काशी या मथुरा के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 पर बहस कर रहे हैं। इस अधिनियम में क्या बदलाव किए जाने चाहिए? ..... अगर हिंदू पुजारियों के तर्कों पर विश्वास किया जाए।

12. हमें इस स्तर पर भी इसके कुछ हिस्सों को पुनः उत्पन्न करना चाहिए

बहस, जिसमें वह भाग भी शामिल है जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहता हैः

" मैं इस बहस को हिंदुओं के बीच एक गर्म विषय नहीं बनाना चाहता।

मुस्लिम समुदाय। मैं इसके प्रावधानों पर चर्चा करना चाहूंगा। एक्ट। सबसे पहले, मैं महांत नवल किशोर से सवाल पूछने जा रहा हूँ।

दास जी। नवल जी। आप किन प्रावधानों में बदलाव चाहते हैं?

यह अधिनियम? ..... संकेत साफ है। अयोध्या झाँकी है। मथुरा।

काशी बाकी हैं। यह आरएसएस, विहिप और भाजपा का नारा था।

XX

XX

अतीक-उर-रहमानः अमीश जी, मैं आपके इस कथन का स्वागत करता हूँ कि आपने कहा कि आप इस मामले पर 'हिंदू-मुस्लिम' गाथा नहीं चाहते हैं।

और मैं महांत जी को भी सम्मान देता हूं। उन्होंने अपने विचारों को एक में रखा अच्छे तरीके से व्यवहार करें। महांत जी ने सवाल उठाया; 'एक तिल।

चोर की दाढ़ी में '(दर्ता वो है जिंकी दादी में टिंका होता है)।

XX

XX

XX

बिन्दु संख्या-2: यह आपने एक चतुराई भरे कदम के साथ कहा है। अतीक-उर रहमान जी मैंने आपका बयान सुना है, आपने लगभग 2-2 1⁄2 की बात की।

इनयूट्स। आपने कहा था कि अयोध्या मामले पर फैसला आया

चतुराई से बोर्ड करें। लेकिन, मैं आपकी यादों को ताज़ा करना चाहता हूँ; वर्ष में

1991-92 जब हवा में अयोध्या का नारा था

संत समाज, विहिप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रामाणिक

हिंदू समाज के लोग कहते थे अयोध्या झाँकी है, काशी। मथुरा बाकी है।

इसलिए मांग बहुत पुरानी है। इच्छा बहुत पुरानी है। लेकिन जब

अयोध्या की इच्छा पूरी हुई तो निश्चित रूप से उस फैसले के बाद आप [2020] 14 एस. सी. आर.

अपने तरीके से सवाल उठा रहे हैं। यही आपकी मान्यता है। अब मैं डॉ. सुधांशु त्रिवेदी की ओर बढ़ रहा हूं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद कह रहे हैं कि अगर इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की जाए तो आप मुस्लिम पूजा स्थलों के लिए खतरा होंगे।

XX

XX

XX

अमीश देवगनः डॉ. त्रिवेदी, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। मैं मौलाना अली कादरी के पास जा रहा हूँ, वह वरिष्ठ व्यक्ति हैं। कादरी साहब; मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सीधा। संतों/पुजारियों/पुरोहितों/महंतों को संवैधानिक अधिकार है कि वे 1991 के अधिनियम के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करें। और उन्हें काशी और मथुरा के बारे में बात करने का अधिकार है। लेकिन, अगर दुख की बात है तो डर की दुख से पहले ही खोल दी। उस याचिका में कहा गया था कि अगर इस पर कोई नोटिस दिया जाता है तो मुसलमानों को लगेगा कि उनके पूजा स्थल सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें डर लगता है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका में कहा गया है कि दार की दुकान कौन खोल रहा है। दार की दुकान पहले ही खुल चुकी है। क्या यह संवैधानिक अधिकार है?

XX

XX

XX

अमीश देवगनः अली कादरी साहब, जमीयत उलेमा-ए-हिंद अपनी नाकामी क्यों छिपा रहा है? संगठन क्यों कह रहा है कि नोटिस के कारण मुसलमानों में उनके पूजा स्थलों को लेकर डर होगा? यदि आप डॉ. सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी की विफलता को दिखाना चाहते हैं और

आर. एस. एस. और वी. एच. पी. का पर्दाफाश करना चाहते हैं, तो कृपया 20 सेकंड में बताएँ।

XX

XX

XX

अमीश देवगनः श्रीमान विनोद बंसल, आपके पीछे ओम का प्रतीक दिखाई दे रहा है। ओम, शांति का प्रतीक। लेकिन मौलाना अली कादरी कह रहे हैं; आप अशांति फैलाना चाहते हैं। आप कोरोना से पराजित हुए हैं और अब मथुरा-काशी के मुद्दों से आधार चाहते हैं। इन मुद्दों के बाद आप जामा मस्जिद का मामला उठाएंगे और ताजमहल आपकी हिट लिस्ट में होगा।

XX

XX

XX

अमीश देवगनः फिर काशी-मथुरा का मुद्दा कैसे सुर्खियों में आया? विनोद बंसलः स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 1947 की स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके बावजूद संपत्तियों को बड़े स्तर पर वक्फ बोर्ड को क्यों हस्तांतरित किया गया था? वक्फ बोर्ड ने अमीश देवगन बनाम संपत्तियों के बारे में पूछा।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

कई बार मज़ारों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों के नाम पर। क्या सभी चीजें उनके पिता की हैं (ये सारा इंक, इंक बाप का है?) यह सही तरीका नहीं है। पहली बात यह है कि यदि कानून लागू किया गया था, तो इसे एक आकार में पूरा होना चाहिए।

और दूसरा यह है कि क्या यह सच नहीं है कि हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था? हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया और उनका अपमान किया। ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। वे वास्तविकता से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अमीश देवगनः ऐतिहासिक गलती को सुधारना चाहिए। हालांकि कई इतिहासकारों का कहना है कि मथुरा में ईदगाह और कृष्ण जन्म भूमि एक-दूसरे के बगल में स्थित हैं। कई इतिहासकारों ने दावा किया कि 17 वीं शताब्दी में सम्राट औरंगजेब ने

एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसी पर एक मस्जिद का निर्माण किया था

जगह। विहिप के गिरिराज किशोर ने भी यही बात कही कि जिस स्थान पर मथुरा में मस्जिद स्थित है, वहां भगवान कृष्णन हैं।

उसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कहीं। अब मैं शादाब चौहान के पास जाना चाहता हूँ। वह कहना चाहता है

कुछ। कृपया आगे बढ़ें।

शादाब चौहानः पीस पार्टी भारत के संविधान और सामाजिक सद्भाव का सम्मान करती है। इसलिए, हमने न्याय के लिए सुधारात्मक याचिका दायर की है। अब हम काशी और मथुरा के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस से हारने के बाद सरकार काशी और मथुरा का मुद्दा उठाकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

और अब मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि पूजा स्थल के नाम पर 1992 की तरह कोई 'नंग-नाच' नहीं होना चाहिए। हम 1991 के कानून का सम्मान करते हैं। मैंने गहराई से कहा कि मेरे बड़े भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि 15 अगस्त, 1947 के बाद जो मंदिर बने थे, उन्हें हटा दिया जाएगा। क्या आप मंदिरों को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं? जो राम मंदिर बनेगा, क्या आप उसे भी ध्वस्त कर देंगे?

और दूसरी बात यह है कि राम मंदिर का फैसला आस्था के आधार पर आया और हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम

अदालत में चले गए। यह न्याय का मामला है न कि किसी धर्म का।

मुद्दा। अब हम किसी भी गुंडे को भगवा रंग का अपमान नहीं करने देंगे। यह आतंक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के साथ किया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अमीश देवगनः क्या कहा आपने? इसे दोहराएँ। केसरिया रंग का अपमान. हम. कोई भी. आपने क्या कहा?

शादाब चौधरीः सुनो. केसरिया रंग का अपमान। हम किसी भी गुंडे को किसी भी पूजा स्थल को ध्वस्त करने की अनुमति नहीं देते हैं और निर्दोष लोगों को मारने की अनुमति नहीं देते हैं। अमीश देवगनः नहीं। आप संत समाज को गुंडे नहीं कह सकते। मैंने पूरी तरह से विरोध किया। शादाब चौहान आपने गलत बात कही। आपने कहा था कि भारत के संत समा/पुरोहित-पांडे हैं

महांत नवल किशोर दासः इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आप. ऐसे लोगों को बहस के लिए आमंत्रित करें? वे अपने पूर्वजों का भी सम्मान नहीं करते थे। डर के कारण उन्होंने दूसरे धर्म में धर्मांतरण कर लिया।

शादाब चौहानः वे गुंडे हैं।

XX

XX

XX

अमीश देवगनः आप गलत हैं। हमें मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है। हमें अब्दुल कलाम से कोई समस्या नहीं है, हमें दारा शिकोह से कोई समस्या नहीं है लेकिन हां। हमें औरंगजेब से समस्या है। हिंदुस्तानी होने के नाते हमें औरंगजेब से समस्या होनी चाहिए।

XX

XX

XX

अमीश देवगनः मौलाना साहब, आपने चिश्ती का नाम लिया। अब मुझे बताइए, आप आज की उम्र में हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को देखने के बाद, वह ईसाई है, आप अपना धर्म नहीं बदलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद धर्म नहीं बदलेंगे। धर्म।

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

XX

XX

XX

मौलाना कादरीः तलवार के किनारे पर किसी भी व्यक्ति ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। वह इस्लाम से मुत्तसीर बन गया और इस्लाम के शिक्षकों को पसंद करके इस्लाम स्वीकार कर लिया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। XX

XX

XX

अमीश देवगनः विनोद जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जमीयत मुस्लिम समुदाय में भय क्यों पैदा कर रही है। जमीयत गलत धारणा पैदा कर रही है कि उनका पूजा स्थल बंद हो रहा है। XX

XX

XX

अतीक-उर-रहमानः अमीश शो की शुरुआत में ही एक्ट की चर्चा करते हैं, आपने उल्लेख किया था कि हिंदू-मुस्लिम स्लगफेस्ट नहीं होना चाहिए। हम इसका पालन कर रहे हैं। विनोद बंसल अब कह रहे हैं कि 1991 के एक्ट के प्रावधान पर फिर से चर्चा की जानी चाहिए। क्या यह संसद का अपमान नहीं है। यह अधिनियम संसद में तब पारित हुआ जब भाजपा भी सदन में मौजूद थी। उन्होंने राम मंदिर के फैसले से पहले इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की। वे चुप क्यों थे। विनोद बंसलः यह मामला राम मंदिर मुद्दे से पहले विचाराधीन था।

अतीक-उर-रहमानः अमीश जी.....।

XX

XX

XX अमीश देवगनः मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं सुधांशु जी सुधांशु जी मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं लेकिन जनता की मांग पर शादाब चौहान ब्रेक के बाद माफी मांगेंगे। मैं ब्रेक के बाद शादाब चौहान के पास जाऊंगा। वह पूरे संत समाज से माफी मांगेंगे। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं और अगर वह माफी नहीं मांगते हैं, तो उन्हें इस बहस से बाहर निकलना होगा।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XX

XX

XX

अमीश देवगनः हाँ या नहीं। मैं हां या ना कहने का मौका नहीं दे रहा हूं। आप या तो माफी मांगेंगे, आपका ऑडियो खुल जाएगा। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं धन्यवाद कहूंगा। आने के लिए धन्यवाद।

शादाब चौहानः किसान का बेटा कहता है कि वह।

अमीश देवगनः किसान का बेटा किसान के बेटे की बात नहीं है, यह संतों की बात है।

शादाब चौहानः मैं बहस छोड़ देता हूँ। वे गुंडे हैं, वे

गुंडे। जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, वे गुंडे हैं।

अमीश देवगनः मैं माफी नहीं मांगूंगा, चिल्लाते रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्षमा नहीं माँगूँगा।

शादाब चौहानः नहीं।

किसान का बेटा

माफी नहीं मांगेंगे।

अमीश देवगनः इसलिए फिर से बाहर निकलें। आप इस व्यक्ति को बहस से बाहर निकालें। इसका ऑडियो बंद कर दें। मैं कभी किसी से ऐसा नहीं कहता।

मेहमान। लेकिन आपने अपमानजनक शब्द बोले। इस व्यक्ति को एक पूरा फ्रेम दिखाएँ। आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। ऑडियो खोलें, वह क्या कह रहा है। शादाब चौहानः और लेकिन गुंडों को गुंडे कहा जाएगा।

अमीश देवगनः संत समुदाय से माफी मांगें।

शादाब चौहानः मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं लेकिन गुंडों को बुलाया जाएगा। गुंडे।

अमीश देवगनः सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, सभी धर्म के बारे में बात करते थे। किसी ने भी जमीयत उलेमा के लिए कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा

हिंद. कोई नहीं बोला। जो संत सामाजिक याचिका दायर कर रहे हैं, उन्हें गुंडे कहा जाएगा। गुंडे? .....

शादाब चौहानः ऐसे गुंडे हैं जो धर्म तोड़ते हैं

स्थान। कुछ गुंडे हैं जो संविधान तोड़ते हैं, वे गुंडे हैं जो संविधान को नष्ट करते हैं।

अमीश देवगनः चुप रहो और बाहर निकलो। आप बाहर हैं। आप इस बहस में बैठने के योग्य नहीं हैं। तुम बाहर हो। इन्हें बाहर निकालें। ऑडियो बंद कर दें। अपने परिवार के दिमाग को खाते रहो, यहाँ से चले जाओ। मैं आपसे कादरी साहब पूछ रहा हूं. शादाब चौहान द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द,

वे गलत थे या सही?

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

मौलाना अली कादरीः देखें. इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग

कोई भी धर्म मेरे या किसी के द्वारा अनुमोदित नहीं है।

अमीश देवगनः धन्यवाद. मौलाना कादरीः किसी भी गुरु का सम्मान करना आवश्यक है।

धर्म। मेरा मानना है कि यह आपका भी है और आपका भी अनुरोध है।

जो इस्लामी आतंकवाद शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि आतंक का कोई अर्थ नहीं है।

धर्म।

XX

XX

XX अमीश देवगनः बहुत-बहुत धन्यवाद। महांत जी, मुझे खेद है।

इससे अधिक समय नहीं दे पाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बहुत. हमारी चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। अंत में, मैं

मैं हमेशा निष्कर्ष निकालता हूँ।

लेकिन अंत में आज मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो हमें कहना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करें। लेकिन कई लोगों ने लिखा कि शादाब चौहान

इस बहस में नहीं बुलाया जाना चाहिए, ऐसे लोग अपमानजनक हैं।

हम लोगों को उनके चेहरे के आधार पर नहीं आंक सकते। उन्होंने ऐसा किया था।

गलत। हमने उसे बहस से बाहर कर दिया। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है

ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और इसलिए हमने उनका बहिष्कार किया।

बहस। नमस्कार। "

उ. पहली प्रार्थना-क्या एफ. आई. आर. को रद्द किया जाना चाहिए?

((i) कार्रवाई का कारण

13. हम याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हैं कि आपराधिक

आक्षेपित एफ. आई. आर. से उत्पन्न होने वाले अनुलेखन को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि

एफ. आई. आर. उन स्थानों पर दर्ज की गई जहां कोई 'कार्रवाई का कारण' सामने नहीं आया।

दंड संहिता की धारा 179 में यह प्रावधान है कि एक अपराध पर विचार किया जा सकता है -

फीता जहाँ कोई कार्य किया जाता है या उसका परिणाम सामने आता है। यह प्रदान करता हैः

" 179. अपराध विचारण योग्य जहाँ कार्य किया जाता है या परिणाम सामने आता हैः जब कोई कार्य किसी ऐसी चीज़ के कारण अपराध हो जो

किया गया और जिसके परिणामस्वरूप, अपराध हो सकता है जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में हो, उससे पूछताछ या मुकदमा चलाया जाए।

ऐसा किया गया है या ऐसा परिणाम सामने आया है। ”

याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित बहस-कार्यक्रम एक पर प्रसारित किया गया था

ली ने टेलीविजन नेटवर्क देखा। दर्शकों सहित

लैनेंट्स, भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित थे और प्रभावित हुए थे

याचिकाकर्ता के कथन; इस प्रकार, [2020] 14 एस. सी. आर. शब्दों का परिणाम।

याचिकाकर्ता की याचिका विभिन्न स्थानों पर दायर की गई, जिसमें विवादित एफ. आई. आर. एस. के पंजीकरण के स्थान भी शामिल हैं। इसके अलावा, दंड संहिता की धारा 156 के खंड (1) में यह प्रावधान है कि किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी किसी भी मामले की जांच कर सकता है।

संज्ञेय मामला जिसमें ऐसे स्टेशन की स्थानीय सीमाओं पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को जांच करने या प्रयास करने की शक्ति होगी। इस प्रकार, दंड संहिता की धारा 17 और 156 (1) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि आक्षेपित प्राथमिकियां इस अधिकार क्षेत्र संबंधी दोष से ग्रस्त नहीं हैं।

((ii) मामूली नुकसान पहुँचाने से बचाव

14. याचिकाकर्ता ने वीडा मेनेज़ में इस अदालत के फैसले और नीलम में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

महाजन दंड की धारा 95 के तहत छोटी-मोटी बातों के बचाव की गुहार लगाएंगी

कोड। हम इस स्तर पर याचिकाकर्ता के इस बचाव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। धारा 95 का उद्देश्य नगण्य गलतियों या तुच्छ चरित्र के अपराधों के दंड को रोकना है। क्या कोई कार्य, जो एक अपराध के बराबर है, तुच्छ है, निस्संदेह चोट या नुकसान के संबंध में एकत्रित साक्ष्य, उस ज्ञान या इरादे पर निर्भर करेगा जिसके साथ अपमानजनक कार्य किया गया था, और अन्य संबंधित परिस्थितियाँ। इन पहलुओं की जांच के दौरान पुलिस द्वारा उचित स्तर पर जांच और विचार किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद मंजूरी देते या अस्वीकार करते समय या

न्यायालय, यदि आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। वर्तमान मामले की तुलना वीडा मेनेज़ या नीलम महाजन के मामले से नहीं की जा सकती है, जहां तथ्यपूर्ण है।

मैट्रिक्स निर्विवाद और स्वीकार किया गया था। यह गलत और अनुचित होगा।

वर्तमान संदर्भ में उन पहलुओं पर पूर्वाग्रह और उच्चारण करना जो तथ्यात्मक और विवादित हैं। तथ्यों और साक्ष्य का पता लगाए बिना 'सामग्री' याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई इस याचिका की स्वीकृति की गारंटी नहीं देती है। बचाव पक्ष को बिना कोई राय व्यक्त किए खुला छोड़ दिया जाता है।

(iii) घृणापूर्ण भाषण

15. 1722 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा थाः

" विचार की स्वतंत्रता के बिना, ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है

बुद्धि; और सार्वजनिक स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं, बोलने की स्वतंत्रता के बिना; जो हर आदमी का अधिकार है, जहां तक इसका संबंध है, वह दूसरे के अधिकार को चोट नहीं पहुंचाता है या नियंत्रित नहीं करता है; और यह एकमात्र नियंत्रण है जिससे उसे पीड़ित होना चाहिए, और केवल सीमाएँ हैं जिन्हें उसे जानना चाहिए। अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

दो शताब्दियों के बाद भी कानूनी रूप से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे बाहरी सीमाओं को खोजना मुश्किल बना हुआ है, वह सीमा जिसके परे अधिकार गलत हो जाएगा और अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक कानून के विचारों के अधीन हो सकता है, ताकि एक आपराधिक अपराध का गठन किया जा सके। वैध प्रतिगामी सार्वजनिक कर्तव्य का पता लगाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, और प्रतिबंध की आनुपातिकता और तर्कसंगतता में जो

लिखित या बोले गए शब्दों को अपराधी बनाता है। इसके अलावा, भाषण के अपराधीकरण को अक्सर अतीत और हाल के महत्वपूर्ण द्वारा सीमांकित और चित्रित किया जाता है।

राष्ट्र को प्रभावित करने वाली घटनाएं जिनके कारणों की व्याख्या भी शामिल है।

16. इस न्यायालय ने 2014 में प्रवासी भलाई संगठन में भारत के विधि आयोग से 'घृणापूर्ण भाषण' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने की संभावना की जांच करने और इसके लिए सिफारिशें करने का अनुरोध किया था। संसद इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए, विशेष रूप से चुनावी अपराधों के संबंध में। इस न्यायालय ने 'निषेध को कुछ प्रबंधनीय मानक तक सीमित रखने' में कठिनाई व्यक्त की थी। विधि आयोग ने घृणा भाषण पर अपनी 267 वीं रिपोर्ट में आपराधिक कानूनों में संशोधन की सिफारिश की थी।

घृणा को भड़काने और भड़काने पर प्रतिबंध लगाने वाले नए प्रावधानों को शामिल करने के लिए

सामग्री, यह जनता के पूर्वाग्रहों द्वारा सूचित बहस पैदा कर सकता है जो कमजोर समूहों को हाशिए पर डाल देगा और उन्हें समान स्थान से वंचित कर देगा समाज को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग का तरीका, संदर्भ और स्वतंत्रता के दुरुपयोग की सीमा अनुमेय प्रतिबंधों की रूपरेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं। आयोग ने यह भी महसूस किया कि एक निश्चित मानक निर्धारित करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती हो सकती है।

जिसने न्यायपालिका को भारत में घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करने से रोक दिया है। हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अदालतें प्रत्येक मामले का निर्णय लेती हैं

57 संवैधानिक न्यायशास्त्र में घृणित भाषणः मिशेल रोसेनफेल्ड द्वारा एक तुलनात्मक विश्लेषण, 24 कार्डोजो एल. रेव. 1523 2002-2003 [2020] 14 एस. सी. आर.

अनिवार्य रूप से विधायी के संदर्भ में एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू करना होगा प्रावधान। निश्चितता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए यह एक अपरिहार्य कानूनी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करने में विफलता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कभी-कभार सनक और यहां तक कि अधिकारियों की व्यक्तिपरक समझ के अत्याचार के अधीन कर देगी। दंडात्मक कानून के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणापूर्ण भाषण के बीच के अंतर को समझना चाहिए।

17. विधि आयोग की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न साधनों के तहत कानूनी मानकों का विश्लेषण किया गया है जो शासन को निर्धारित करते हैं घृणापूर्ण भाषण को नियंत्रित करना और रोकना, जिसे हम समाहित करेंगे। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 (आई. सी. सी. पी. आर.) का अनुच्छेद 20 (2) 'राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की वकालत को प्रतिबंधित करता है जो भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को उकसाता है'। इसी तरह, नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1966 (सी. ई. आर. डी.) के अनुच्छेद 4 और 6 में नस्लीय श्रेष्ठता या घृणा, नस्लीय भेदभाव के लिए उकसाने के साथ-साथ हिंसा के सभी कृत्यों या ऐसे कृत्यों के लिए उकसाने पर आधारित विचारों के प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है।

किसी अन्य रंग या जातीय मूल के व्यक्तियों की किसी भी जाति या समूह के विरुद्ध। मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट

अव्यवस्था या अपराध की रोकथाम. दूसरों की प्रतिष्ठा या अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा, कन्वेंशन का अनुच्छेद 17 'किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति' द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है। घृणापूर्ण भाषण पर यूरोपीय मंत्रियों की समिति ने 'घृणापूर्ण भाषण' को 'उन सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया है जो नस्लीय घृणा, विदेशी घृणा, यहूदी-विरोधी या असहिष्णुता पर आधारित घृणा के अन्य रूपों को फैलाती हैं, उकसाती हैं, बढ़ावा देती हैं या उचित ठहराती हैं, जिनमें शामिल हैंः द्वारा व्यक्त असहिष्णुता आक्रामक राष्ट्रवाद और जातीयता, अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और अप्रवासी मूल के लोगों के खिलाफ भेदभाव और शत्रुता।

कानून अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुलवाद, सहिष्णुता, शांति और अहिंसा यूरोपीय लोगों द्वारा भेदभाव को गैर-अपमानजनक मूल्य कहा गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का पता लगाने में मानवाधिकार न्यायालय ने अनुमति दी

सम्मेलन के तहत; धार्मिक असहिष्णुता का प्रचार करने वाला भाषण, निषेधवाद, होमोफोबिया आदि को अनुच्छेद के दायरे से बाहर रखा गया है।

10 मानवाधिकारों का यूरोपीय सम्मेलन और इसका महत्व

एक बहुसांस्कृतिक समाज में जिम्मेदार भाषण पर जोर दिया गया है

कई मामलों में अदालत। विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि

हाल के वर्षों में, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय एक सख्त तटस्थ दृष्टिकोण से आगे बढ़ा है, जिसमें हर आपत्तिजनक भाषण नहीं था।

अवैध माना जाता है, यह मानते हुए कि हस्तक्षेप को केवल वैध लक्ष्य परीक्षण पर नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि यह भी कि क्या एक लोकतांत्रिक समाज में इस तरह का हस्तक्षेप आवश्यक था। इस संयम को ध्यान में रखा जाता है

जो सभी प्रकार के भाषणों को सुरक्षा प्रदान करता है, यहां तक कि आपत्तिजनक भी, कई बार समानता के कारण को बदनाम करता है। 18. अब हम संक्षेप में अमेरिकी स्थिति का उल्लेख करेंगे जो समानता पर स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत प्राथमिकता और व्यक्तिवाद के प्रति प्रतिबद्धता का खुलासा करती है, जो इस विश्वास पर आधारित है किः

" ..... सत्य निश्चित और प्रदर्शन योग्य था और यह कि उसके पास जीवित रहने की अनूठी शक्तियाँ थीं जब उसे "स्वतंत्र और स्वतंत्र" में खुद को स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।

खुली मुलाकात "। [.....] कुछ भी कहने के लिए सभी को खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने दें। सत्य और ध्वनि जीवित रहेंगे; मिथ्या और अस्वास्थ्य को पराजित किया जाएगा। सरकार को लड़ाई से बाहर रखा जाना चाहिए और एक या दूसरे पक्ष के पक्ष में बाधाओं को नहीं तौलना चाहिए। और भले ही झूठा एक अस्थायी जीत हासिल कर सकता है,

जो सच है, अपनी रक्षा के लिए अतिरिक्त बलों को आकर्षित करके,

आत्म-अधिकार प्रक्रिया के माध्यम से अंततः जीवित रहता है। 58

19. घृणापूर्ण भाषण पर अमेरिकी ढांचा चार पर आधारित है

प्रमुख दार्शनिक औचित्य "। लोकतंत्र से औचित्य इस विश्वास पर आधारित है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को विचारों को व्यक्त करने और प्राप्त करने की अनुमति देकर एक लोकतांत्रिक स्वशासन को सक्षम बनाती है। यह तर्क उन भाषणों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जो सामान्य रूप से लोकतांत्रिक विरोधी और घृणित हैं।

या विशेष रूप से राजनीतिक चरमपंथी। एक और औचित्य से आता है

58 फ्रेडरिक सीबर्ट जॉन मिल्टन की एरियोपैजिटिका, 1644 पर द लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ द प्रेस में, प्रेस 39 के चार सिद्धांतों में लिखते हुए, 44-45

59 " लोकतंत्र से औचित्य, सामाजिक अनुबंध से औचित्य, ट्रस्ट की खोज से औचित्य, और व्यक्तिगत स्वायत्तता से औचित्य। - कार्डोजो L.Rev। 1523 2002-2003 (हेनऑनलाइन)।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, जिसके लिए आवश्यक है कि 'मौलिक राजनीतिक संस्थान संबंधित समाज के सभी सदस्यों के बीच एक वास्तविक या काल्पनिक समझौते के संदर्भ में न्यायोचित होने चाहिए।' तीसरा औचित्य-की खोज

सत्य, उपयोगितावादी दर्शन पर आधारित है। 'विचारों के मुक्त बाजार' पर आधारित औचित्य के रूप में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, यह इस धारणा पर आधारित है कि खुली चर्चा के माध्यम से सच्चाई के प्रबल होने की अधिक संभावना है, और यह कि समाज बेहतर प्रगति करने में सक्षम होगा यदि सरकार को इस बारे में निर्णय लेने से बाहर रखा जाए कि क्या सच है या गलत, वैध बनाम अमान्य, या घृणित के खिलाफ स्वीकार्य है। चौथा औचित्य स्वायत्तता के विचार से आता है, और मुख्य रूप से व्यक्तिवादी है, पिछले तीन के विपरीत जो सामूहिक अच्छे को महत्व देते हैं। इसके अनुसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सक्षम बनाती है

व्यक्तिगत स्वायत्तता, सम्मान और आत्म-अभिव्यक्ति के माध्यम से कल्याण।

20. अमेरिकी न्यायशास्त्र में सीमा या मानक

उन परिस्थितियों का निर्धारण करें जिनके तहत भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता को समय के साथ प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

'खराब प्रवृत्ति परीक्षण' से, अर्थात, भाषण को प्रतिबंधित करना यदि इसमें लोक कल्याण को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है, 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे' की परीक्षा, 60 और अंत में 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' की परीक्षा। श्री न्यायमूर्ति डगलस ने ब्रांडेनबर्ग बनाम में अपनी सहमति वाली राय में कहा। ओहायो '1 ने कहा था कि ' प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घोषणाओं में स्पष्ट और वर्तमान खतरे का नियम और मार्क्सवाद को रोकने के लिए डेनिस बनाम के रूप में प्रथम संशोधन आदर्श से दूर चला गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 62 'असंभव नहीं' मानक का पालन किया गया। 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' परीक्षण के तीन अलग-अलग तत्व हैं, अर्थात्-इरादा, निकटता और संभावना। दूसरे शब्दों में, राज्य बल या कानून के उपयोग द्वारा वकालत को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करके प्रथम संशोधन संरक्षण को प्रतिबंधित और सीमित नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि जब अध्यक्ष कानून के उल्लंघन को उकसाने का इरादा रखता है-जो कि आसन्न और संभावित दोनों है।

21. मिशेल रोसेनफेल्ड ने अपने निबंध 6 3 में कहा है कि स्वतंत्र भाषण के प्राथमिक कार्य ने चार ऐतिहासिक चरणों में अलग-अलग रूप ले लिए हैं। द.

60 शेनेक बनाम में मिस्टर जस्टिस होम्स। संयुक्त राज्य अमेरिका, 249 यू. एस. 47 (52) ने परीक्षण का वर्णन इस प्रकार किया हैः

" हर मामले में सवाल यह है कि क्या इसमें उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग किया जाता है।

परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ ऐसी प्रकृति की हैं जो एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा करती हैं कि वे उन मूल बुराइयों को लाएंगी जिन्हें रोकने का कांग्रेस को अधिकार है। यह निकटता और डिग्री का सवाल है।

61 395 अमेरिका 444 (1969)

62 341 अमेरिका 494 63 ' संवैधानिक न्यायशास्त्र में घृणित भाषणः मिशेल रोसेनफेल्ड द्वारा 'एक तुलनात्मक विश्लेषण', 24 कॉर्डोजो एल. रेव. 1523 2002-2003 एमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

पहला चरण, स्वतंत्रता संग्राम से पहले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रमुख कार्य के रूप में सरकार के खिलाफ लोगों की सुरक्षा स्थापित की। दूसरे चरण में, जैसे-जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य बहुमत के अत्याचार के खिलाफ अलोकप्रिय विचारों के समर्थकों की रक्षा करना था। चरण तीन, 1950 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के बीच जब आवश्यक मूल्यों पर व्यापक सहमति थी, देखा गया

बोलने की स्वतंत्रता का मुख्य कार्य वक्ताओं पर प्रतिबंध हटाने से लेकर यह सुनिश्चित करना है कि श्रोता खुले दिमाग वाले रहें। अंत में, नारीवादी और आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांतों जैसे वैकल्पिक प्रवचनों के उदय के साथ मुख्यधारा और आधिकारिक भाषण पर स्वाभाविक रूप से दमनकारी के रूप में हमला करते हुए, प्राथमिक

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भूमिका शक्तिशाली लोगों के प्रवचनों के आधिपत्य के खिलाफ उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े प्रवचनों की सुरक्षा बन गई। तदनुसार, ऐसे सुझाव हैं कि 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' को ध्यान में रखने में विफल रहता है और स्वायत्तता को कमजोर करने की संभावना है या

उन लोगों का आत्म-सम्मान जिन्हें घृणापूर्ण भाषण लक्षित करता है। आलोचक दूसरों के प्रवचनों की कीमत पर प्रमुख प्रवचनों के आधिपत्य द्वारा अनियंत्रित भाषण से उत्पन्न खतरे पर जोर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केवल दूसरे के अपमान और आत्म सम्मान और स्वायत्तता से इनकार हो सकता है। जवाबी दृष्टिकोण लक्षित और गैर-लक्षित दर्शकों पर घृणापूर्ण भाषण के प्रभाव को दर्शाता है। लक्षित दर्शक कर सकते हैं

क्रोध, भय, चिंता और अलगाव का अनुभव करें। गैर-लक्षित दर्शकों को मिश्रित भावनाओं में परिवर्तन से लेकर मुख्य घृणा के सार के लिए स्पष्ट सहानुभूति तक अलग-अलग अनुभव हो सकते हैं।

विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है जब रक्षा करने के लिए आवश्यक हो युवा और व्यक्तिगत सम्मान का अधिकार। कनाडाई दृष्टिकोण बहुसंस्कृतिवाद और समूह समानता पर जोर देता है, क्योंकि यह अधिक जोर देता है

सांस्कृतिक विविधता और जातीय मोज़ेक के विचार को बढ़ावा देता है। जेम्स कीग्स्ट्रा मामले में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने सेमिटिक विरोधी प्रचार के लिए एक उच्च विद्यालय के शिक्षक की आपराधिक सजा को इस आधार पर बरकरार रखा था कि यह रंग, नस्ल, धर्म या जातीय मूल के आधार पर पहचाने जाने वाले समूह के खिलाफ जानबूझकर घृणा को बढ़ावा देने के बराबर है। यह निम्नानुसार देखा गयाः

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" (1) सत्य की खोज और प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक अच्छी गतिविधि है; (2) सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; और (3) व्यक्तिगत रूप में विविधता।

पूर्ति और मानव समृद्धि को एक सहिष्णु और स्वागत योग्य वातावरण में विकसित किया जाना चाहिए, दोनों के लिए जो संदेश देते हैं।

एक अर्थ और जिनके लिए अर्थ व्यक्त किया जाता है।

कनाडा की स्थिति, इसलिए, लक्षित समूहों और गैर-लक्षित समूहों दोनों पर घृणित भाषण के संभावित प्रभाव पर विचार करती है। पहले वाले बड़े समाज में अपने आत्म-मूल्य और स्वीकृति की भावना को चोट पहुँचाने के लिए अपमानित और अपमानित होने की संभावना रखते हैं और नतीजतन, राजनीति के भीतर दूसरे समूह के सदस्यों के साथ संपर्क से बचें। दूसरी ओर समूह के गैर-लक्षित सदस्य, जो कभी-कभी बड़े पैमाने पर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, धीरे-धीरे असंवेदनशील हो सकते हैं और लंबे समय में नस्लीय और धार्मिक समूहों के प्रति निर्देशित घृणा के संदेशों को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना शुरू कर सकते हैं। ये कपटी प्रभाव केवल हिंसा के लिए तत्काल खतरे पेश करने के बजाय सामाजिक एकता के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। डिक्सन, सी. जे., कनाडा में (मानवाधिकार आयोग) बनाम। 64 वर्षीय टेलर ने देखा थाः

" ..... घृणा प्रचार के संदेश गरिमा और स्वयं को कमजोर करते हैं

लक्षित समूह के सदस्यों के मूल्य और, अधिक सामान्य रूप से, विभिन्न नस्लीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों के बीच असंगत संबंधों में योगदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सहिष्णुता और खुले दिमाग का क्षरण होता है जो एक बहुसांस्कृतिक समाज में पनपना चाहिए।

समानता के विचार के लिए प्रतिबद्ध "।

23. सस्केचेवान (मानवाधिकार आयोग) ने यह निर्धारित करने के लिए तीन परीक्षण निर्धारित किए थे कि क्या एक अभिव्यक्ति नफरत के रूप में योग्य हो सकती है।

जिन समाचारों को गलत माना जाता था, वे जनहित और बहुसंस्कृतिवाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 64 (1990) 3 एस. सी. आर. 892 अमीश देवगन बनाम।

24. ऑस्ट्रेलिया में, कानून की स्थिति काफी हद तक कनाडा के साथ संरेखित है। पैट ईटॉक बनाम के मामले में ऑस्ट्रेलियाई संघीय न्यायालय। एंड्रयू बोल्ट्स ने कीग्स्ट्रा में इस कथन का पालन किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कानून के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है जिसने नस्लीय घृणा को एक आपराधिक अपराध बना दिया। संघीय न्यायालय ने कीग्स्ट्रा में टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, जिन्होंने अंतर्निहित तर्क सिद्धांत की जांच की और उसे खारिज कर दिया थाः

सत्य की खोज से औचित्य का समर्थन नहीं करता है

(अ)

घृणा प्रचार का संरक्षण, और यहाँ तक कि सच्चाई के लिए हमारी खोज को भी नुकसान पहुँचा सकता है। जितना अधिक गलत या भ्रामक ए

कथन, सत्य की खोज में इसका मूल्य जितना कम होगा। हमें इस बात पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए कि तर्कसंगतता सभी पर हावी हो जाएगी। झूठ बोलते हैं।

आत्म-पूर्ति और स्वायत्तता, एक बड़े हिस्से में, यहाँ से आती है

(ख)

एक सांस्कृतिक या धार्मिक समूह में सदस्यता के आधार पर एक पहचान को स्पष्ट करने और पोषित करने की क्षमता। यह मूल्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस हद तक आगे बढ़ाता है, इसे संशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक असहिष्णु और पूर्वाग्रहपूर्ण उपेक्षा की वकालत करता है।

व्यक्तिगत आत्म-विकास और मानव विकास की प्रक्रिया के लिए

फलता-फूलता है।

(ग) लोकतंत्र में भागीदारी का औचित्य दर्शाता है कि

जब अभिव्यक्ति का उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल विचारों के प्रचार के लिए किया जाता है, तो यह कमी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को कम करती है। घृणा प्रचार एक के लिए तर्क देता है

लोकतंत्र के विध्वंस और समूह पहचान के आधार पर व्यक्तियों को सम्मान और गरिमा से वंचित करने वाला समाज।

25. दक्षिण अफ्रीकी स्थिति गरिमा को सर्वोपरि मानती है

गैर-लक्षित दर्शकों के बीच नस्लीय घृणा की रक्षा करने के उद्देश्य से 65 (2011) एफसीए 1103 [2020] 14 एस. सी. आर.

नस्लीय रूप से प्रेरित उत्पीड़न के खिलाफ लक्ष्य। नस्ल संबंध अधिनियम,

1965 सार्वजनिक रूप से बोलना या ऐसे शब्द प्रकाशित करना अपराध बनाता है जो धमकी देने वाले, अपमानजनक या अपमानजनक हों और जिनका उद्देश्य नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर घृणा भड़काना हो। यह अधिनियम 'हिंसा के लिए उकसाने' के बजाय 'घृणा के लिए उकसाने' पर केंद्रित है, लेकिन दोषसिद्धि के इरादे के प्रमाण की आवश्यकता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच भी अंतर करता है और राजनीतिक स्थिति की अभिव्यक्ति की रक्षा करता है लेकिन जाँच और अपराधीकरण करता है।

नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर घृणापूर्ण भाषण का अवैध प्रचार। 66 27. दूसरी ओर, और इसके विपरीत, जर्मनी का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई अधिकारों में से एक है जो सीमित है

समानता, गरिमा और बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत। इसके अलावा, का मूल्य व्यक्तिगत सम्मान हमेशा अपने झूठ के ज्ञान के साथ किए गए असत्य बयानों या तथ्यों को बोलने के अधिकार पर विजय प्राप्त करता है। यदि तथ्य के सच्चे कथन किसी व्यक्ति के अंतरंग व्यक्तिगत क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, तो व्यक्तिगत सम्मान का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विजय प्राप्त करता है। यदि इस तरह की सच्चाई सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो अदालत एक बार फिर संतुलन का सहारा लेती है। अंत में, यदि किसी तथ्य के विपरीत राय की अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति की गरिमा का गंभीर अपमान है, तो व्यक्ति का मूल्य भाषण पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन अगर प्रतिष्ठा को मामूली नुकसान होता है, तो फिर से, मामले का परिणाम सावधानीपूर्वक न्यायिक संतुलन पर निर्भर करेगा। इसलिए, जर्मन अनुप्रयोग अधिकारों और कर्तव्यों के बीच, व्यक्ति और समुदाय के बीच और वक्ता की आत्म अभिव्यक्ति की जरूरतों और श्रोताओं के आत्म-सम्मान और गरिमा के बीच संतुलन बनाता है। यह सामग्री-आधारित भाषण विनियमन को मान्यता देता है। यह तथ्य और राय के बीच के अंतर को भी पहचानता है। 67

28. संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने 18 वीं शताब्दी की क्रांतियों के माध्यम से लोकतंत्र का जन्म देखा, जिन्होंने व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देने का प्रयास किया। हालांकि, परिस्थितियां काफी अलग थीं। फ्रांस में, क्रांति ने समृद्ध और शक्तिशाली कैथोलिक चर्च के विशेषाधिकारों को सीमित करने की मांग की, यदि समाप्त नहीं किया। फ्रांसीसी संसद ने व्यक्तिगत शब्दों में 'धार्मिक स्वतंत्रता' को परिभाषित किया और अगस्त, 1789 में डेस ड्रोइट्स डी ल 'होम एट डू सिटोय एन घोषणा को अपनाया, जिसमें घोषणा की गई-' किसी को भी उनकी राय के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि धार्मिक भी, बशर्ते कि उनकी अभिव्यक्ति

66 ' संवैधानिक न्यायशास्त्र में घृणित भाषणः मिशेल रोसेनफेल्ड, 24 कॉर्डोजो एल. रेव. 1523 द्वारा एक तुलनात्मक विश्लेषण 67 संवैधानिक न्यायशास्त्र में घृणापूर्ण भाषण देखें। मिशेल रोसेनफेल्ड, 24 कार्डोजो एल. रेव. 1523 द्वारा एक तुलनात्मक विश्लेषण।

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान नहीं करता है। 1905 में, लैसिटे की घोषणा, विवेक की स्वतंत्रता, विश्वास करने या न करने की स्वतंत्रता, संविधान में निहित की गई थी। यह सिद्धांत निजी या सार्वजनिक रूप से धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, जब तक कि अभ्यास की अभिव्यक्ति शांति को बाधित नहीं करती है। राज्य सभी नागरिकों को उनके दार्शनिक या धार्मिक विश्वास की परवाह किए बिना समानता की गारंटी देता है क्योंकि सभी व्यक्ति जन्म लेते हैं और अधिकार में स्वतंत्र और समान रहते हैं। हर कोई अपने विशेष विश्वासों को व्यक्त करने और उनका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। लैसिटे गणराज्य के मूल्यों का पालन करके नागरिकों को एक साथ लाकर राष्ट्र की एकता को मजबूत करता है जिसमें मतभेदों को स्वीकार करने का अधिकार शामिल है। 68 उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार, फ्रांसीसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में अपराध करने के अधिकार को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं, जिसका बचाव या समर्थन अपराध करने के अलावा अन्य माध्यमों से किया जाना चाहिए। फ्रांस में नस्लवाद और विदेशी घृणा के खिलाफ घृणापूर्ण भाषण कानून हैं, जिसमें समूहों और व्यक्तियों को राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म, जातीयता के आधार पर बदनाम या अपमानित होने से बचाने के लिए धार्मिक घृणा अपराध शामिल हैं।

लिंग, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान या क्योंकि उनमें कोई बाधा है। हालाँकि, फ्रांसीसी कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रधानता देता है, जिसे वह मानता है कि अपमान करने के अधिकार के बिना अर्थहीन है, जिसमें न केवल आलोचना करने और उकसाने का अधिकार शामिल है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं सहित विचारों और मान्यताओं के मामले में उपहास करने का अधिकार भी शामिल है। 29. एंड्रयू एफ. सेलर्स ने अपने निबंध 'डिफाइनिंग हेट स्पीच' 6 9 में विभिन्न लोकतांत्रिक क्षेत्राधिकारों में घृणापूर्ण भाषण की अवधारणा की जांच की है, और मारी जे. मात्सुदा, मेयो मोरन, केनेथ डी. वार्ड, सुसान सहित विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा 'घृणापूर्ण भाषण' को परिभाषित करने के प्रयासों का उल्लेख किया है।

बेनेश, भिक्खु पारेख और अन्य। लेखक ने 'घृणापूर्ण भाषण' को परिभाषित करने में सामान्य लक्षणों को तैयार किया है और कहा है कि यह इस बात पर विचार करने में सहायक और प्रासंगिक होगा कि समाज को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

घृणापूर्ण भाषण किसी समूह या किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में लक्षित करता है।

(अ)

समूह से। 'समूह' शब्द का उपयोग पारंपरिक रूप से ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित लोगों के संदर्भ में किया जाता रहा है। वंचित या अल्पसंख्यक, लेकिन कुछ एक की तलाश नहीं करना पसंद करते हैं

परिभाषित समूह लेकिन यह देखने के लिए कि वक्ता लक्ष्य करता है या नहीं

68 लैसिटे के लिए घोषणा-ऑब्जर्वेटायर डे ला लैसाइट (रिपब्लिक फ्रैंचाइज़) 69 एंड्रयू एफ. सेलर्स, डिफाइनिंग हेट स्पीच, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय [2020] 14 एस. सी. आर. में बर्कमैन क्लेन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मनमाना या मानक रूप से अप्रासंगिक पर आधारित कोई व्यक्ति

विशेषता। अभिव्यक्ति 'समूह' में नस्ल, जातीयता, धर्म, लिंग, यौन के आधार पर पहचान शामिल होगी।

अभिविन्यास, यौन पहचान, उपस्थिति, शारीरिक क्षमता आदि। ; संदेश की सामग्री में घृणा व्यक्त की जानी चाहिए। बोले गए शब्दों में एक समूह के प्रति शत्रुता के इरादे को दर्शाता है

वक्ता। किसी को उद्देश्यपूर्ण रूप से भाषण को लक्षित समूह के सदस्यों के लिए अपमान या खतरे के रूप में पहचानने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें लक्षित समूह को अवांछनीय के रूप में व्यापक रूप से उपेक्षित गुणों के लिए बदनाम करना शामिल है।

भाषण से नुकसान होना चाहिए, जो हिंसा या उकसावे और हिंसा की सच्ची धमकियों जैसे शारीरिक नुकसान हो सकते हैं और इसमें पीड़ित की हताशा के कारण मौन नुकसान के कारण होने वाले गहरे संरचनात्मक विचार शामिल हो सकते हैं कि वे घृणा को जन्म देने वाले गुण को बदल नहीं सकते। भाषण दूसरों के साथ पीड़ित के संबंधों में व्याप्त हो सकता है और प्रभावित कर सकता है, स्वयं को अस्वीकार कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप समाज के भीतर संरचनात्मक नुकसान हो सकता है।

उपेक्षा या घृणित, या हिंसा को बढ़ावा देने, या सीधे हमलों जैसे भौतिक पहलुओं को संदर्भित करना। हालाँकि, वक्ता अपने इरादे के बारे में न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी झूठ बोल सकते हैं। इरादा प्रच्छन्न और अस्पष्ट हो सकता है; भाषण के परिणामस्वरूप भाषण को किसी अन्य परिणाम को उकसाना चाहिए। उत्तेजना गैर-शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे घृणा, या हिंसा जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं की हो सकती है।

कुछ क्षेत्राधिकारों के लिए आवश्यक है कि उत्तेजना आसन्न या लगभग अपरिहार्य होनी चाहिए और बहुत दूर नहीं होनी चाहिए;

भाषण का संदर्भ और अवसर महत्वपूर्ण है। इस आवश्यकता का अर्थ है कारकों पर ध्यान देना जैसे कि

वक्ता की शक्ति, स्थान और अवसर जब भाषण दिया गया था, दर्शकों की ग्रहणशीलता और इतिहास अमीश देवगन V.

उस क्षेत्र में हिंसा जहाँ भाषण दिया जाता है। यह. जाँच की आवश्यकता है कि क्या बयान में दिया गया था

लक्षित समूह की अवांछनीय उपस्थिति और शत्रुता के वैध उद्देश्य के रूप में जनता का दृष्टिकोण। निश्चित रूप से

संदर्भों में, 'घरेलू भाषण' स्वयं घृणित भाषणों के बराबर हो सकते हैं क्योंकि उक्त भाषण अब इंटरनेट आदि के माध्यम से आभासी दुनिया में अपलोड और प्रसारित किए जाते हैं। ; और अंत में भाषण का कोई उद्धार उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है

(जी)

कि 'भाषण का मुख्य रूप से किसी विशेष समूह के प्रति घृणा के अलावा कोई अर्थ नहीं है'। यह अनिवार्य रूप से व्यक्तिपरक है और वक्ता की ओर से सद्भावना और अच्छे उद्देश्यों की जांच की आवश्यकता है। कोई वैध उद्देश्य नहीं होने के सिद्धांत के अमूर्त होने में कठिनाइयाँ हैं, हालांकि यह ठीक है।

प्रलेखित '। सद्भावना 'और' कोई वैध उद्देश्य नहीं 'बहिष्करण को एक अच्छे अपवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ग. इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की व्याख्या करना

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (2) और दंड संहिता की धारा 505 की धारा 153 ए, 295 ए और खंड (2)

30. रामजी लाल मोदी में, पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ,

रोमेश थापर और बृज भूषण में पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए, धारा 295 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, एक ऐसा प्रावधान जो नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर इरादे से धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के कार्य को अपराध मानता है।

यह निर्णय देते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उचित प्रतिबंधों की परिकल्पना की गई है, इस अदालत ने कहा कि वाक्यांश 'सार्वजनिक व्यवस्था', अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के आधार के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में शामिल किया गया है।

संशोधन) अधिनियम, 1951 पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में पढ़ता है, जो इससे कहीं अधिक व्यापक महत्व को दर्शाता है।

' सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव '। 'सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव' और 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' के बीच इस अंतर को इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक अन्य संविधान पीठ ने विरेंद्र/K.Narendra में दोहराया था।

31. फिर भी, रामजी लाल मोदी में दंड संहिता की धारा 295 ए की व्याख्या समय का पालन करते हुए की गई थीः

“ 9 ..... धारा 295-ए किसी वर्ग [2020] 14 एस. सी. आर. के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने या अपमान करने के प्रयास के किसी भी और हर कार्य को दंडित नहीं करती है।

लेकिन यह केवल नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के उन कृत्यों या उन प्रकार के प्रयासों को दंडित करता है, जो उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए जाते हैं।

रामजी लाल मोदी का मानना है कि दंड संहिता की धारा 295 ए का महत्व 'दुर्भावनापूर्ण इरादे' से किए गए भाषण पर अंकुश लगाना है, न कि 'आपत्तिजनक'।

32. केदार नाथ सिंह मामले में इस अदालत के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दंड संहिता की धारा 124 ए और 505 की व्याख्या की थी। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) में संशोधन के बाद 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' शब्दों को शामिल करके इसका दायरा बढ़ाया गया है। निहारेन्दु दत्त मजूमदार में संघीय न्यायालय की ओर से बोलते हुए सर मौरिस ग्वायर, सी. जे. द्वारा दृष्टिकोण और व्याख्या में अंतर का संदर्भ दिया गया था और सदाशिव नारायण भालेराव में प्रिवी काउंसिल के फैसले का, जिसने बाल गंगाधर तिलक में स्ट्रेची, जे. द्वारा स्पष्टीकरण को मंजूरी दी थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निहारेन्दु के मामले में संघीय न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या उचित और अनुच्छेद 19 के संशोधित खंड (2) के अनुरूप होगी। विशिष्ट।

रोमेश थापर और बृज भूषण में फजल अली, जे. की असहमत राय का संदर्भ दिया गया था, ताकि यह देखा जा सके कि दोनों के बीच अंतर है।

दोनों मामलों में बहुमत की राय और न्यायमूर्ति फजल अली की अल्पमत की राय ने संसद को संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 19 के खंड (2) में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन करने के लिए प्रेरित किया था। जे. फजल अली ने माना था कि 'राज्य की सुरक्षा' की अवधारणा 'सार्वजनिक व्यवस्था' की अवधारणा से बहुत अधिक संबद्ध थी और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वैध रूप से लागू किए जा सकते हैं। सार्वजनिक आदेश। साथ ही, इस अदालत ने आगाह किया था कि दो अमीश देवगन बनाम।

दबाने के लिए। 33. दंड संहिता की धारा 505 के संदर्भ में, केदार नाथ सिंह का मानना है कि धारा के तीन खंडों में से प्रत्येक का उल्लेख करता है -

किसी अपराध को बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के रूप में अपराध की गंभीरता बयान, अफवाह या रिपोर्ट-(ए) कारण बनाने के इरादे से या जो है

सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी सदस्य को विद्रोह करने या अन्यथा अपने कर्तव्य की अवहेलना करने या असफल होने का कारण बनने की संभावना; या (बी) जनता या जनता के किसी वर्ग के लिए भय या चेतावनी पैदा करना जो राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकता है; या (सी) व्यक्तियों के एक वर्ग या समुदाय को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने या उकसाने की संभावना है। तीन खंडों में से प्रत्येक के घटक तत्वों में राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव का संदर्भ है। इसलिए, ये प्रावधान बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध की सीमा से अधिक नहीं होंगे।

34. हमने केदार नाथ सिंह के फैसले का उल्लेख किया है, क्योंकि यह दंड संहिता की धारा 505 के खंड (2) की व्याख्या करता है और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में दंडात्मक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को भी निर्धारित करता है। दूसरा,

और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय निहारेन्दु के मामले में संघीय न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है कि अभिव्यक्ति 'सरकार द्वारा स्थापित

'कानून' को 'प्रशासन चलाने में लगे व्यक्तियों' से अलग किया जाना चाहिए। पहला राज्य का दृश्य प्रतीक है, जो कानून द्वारा स्थापित सरकार को नष्ट करने पर राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ने पर समाप्त हो जाता है।

लिखित या बोले गए शब्द आदि जो राज्य को अवमानना या घृणा में लाते हैं या असंतोष पैदा करते हैं, वे दंडात्मक कानून के दायरे में आते हैं जब कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अविश्वास या उसके प्रति शत्रुता की भावना वास्तविक हिंसा या हिंसा के लिए उकसावे के उपयोग से सार्वजनिक अव्यवस्था की प्रवृत्ति का विचार आयात करती है। समान रूप से, दृढ़ता से शब्दबद्ध अभिव्यक्ति

व्याख्या और अनुप्रयोग जो अनुच्छेद 19 के खंड (2) के माध्यम से अनुमेय संवैधानिक सीमा के वरिष्ठ आदेश से दूर और परे है, अस्वीकार्य है। 35. रामजी लाल मोदी में निर्णय और बिलाल अहमद कालू में बाद के निर्णय, जिसमें दंड संहिता की धारा 153 ए और 505 (2) की जांच की गई थी, ने मुख्य रूप से अमेरिकी न्यायविदों द्वारा प्रस्तावित 'खराब प्रवृत्ति परीक्षण' को लागू किया था। डॉ. राम मनोहर लोहिया के मामले में, पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 19 के खंड (2) में 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा था कि किसी भी संगठित समाज में व्यवस्था एक बुनियादी आवश्यकता है। इसका तात्पर्य समाज या समुदाय की व्यवस्थित स्थिति से है जिसमें नागरिक शांतिपूर्वक अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह आवश्यक है क्योंकि आदेश के बिना अन्य अधिकारों की कोई गारंटी नहीं हो सकती है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था तीन संकेंद्रित वृत्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं: कानून और व्यवस्था सबसे व्यापक है, जिसके भीतर सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला अगला वृत्त है और सबसे छोटा अमीश देवगन v.

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। 'राज्य की सुरक्षा' वाक्यांश राज्य की नींव को खतरे में डालने या उसे उखाड़ फेंकने की धमकी देने से कम नहीं है। इसमें ऐसी घटनाएं शामिल हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व या उथल-पुथल है, जैसे कि क्रांति, नागरिक संघर्ष, युद्ध, राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करना, लेकिन विशुद्ध रूप से स्थानीय महत्व के उल्लंघनों को शामिल नहीं किया गया है। 'मामूली उल्लंघन' वाक्यांश सार्वजनिक असुविधा, झुंझलाहट या अशांति को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 19 के खंड (2) के संदर्भ में 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' वाक्यांश का अर्थ विशुद्ध रूप से स्थानीय महत्व का उल्लंघन होगा, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने या खतरे में डालने वाले विभिन्न प्रकार के आचरण शामिल होंगे। संशोधन के इतिहास को देखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक शांति का पर्याय है।

यह तर्क कि एक लोकतांत्रिक समाज में आंदोलनकारी दृष्टिकोण की कोई गुंजाइश नहीं है और कानून, यदि खराब है, तो केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नष्ट कर देगा। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षा और शांति का पर्याय है, इस अर्थ में कि बाद वाले शब्द पूर्व को संदर्भित करते हैं। द. ये शब्द अव्यवस्था की अनुपस्थिति को संदर्भित करते हैं, जिसमें राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय उथल-पुथल के विपरीत स्थानीय महत्व के उल्लंघन शामिल हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1873 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ठीक से समझे गए आक्षेपित प्रावधान अनुच्छेद 19 (1) खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं थे। संविधान पीठ को अनुच्छेद 19 के खंड (2), (3), (4) और (5) की व्याख्या करने की आवश्यकता थी और क्या व्याख्या किए जाने पर चुनौती के तहत प्रावधान को अनुच्छेद 19 में संरक्षित किया जाएगा। यह समझते हुए कि वे खंड (2), (3) और (4) में आने वाले 'ब्याज of.public आदेश' और खंड (5) में आने वाले 'आम जनता के हित' के अंतर्गत आएंगे। यह देखते हुए कि 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' वाक्यांश की व्याख्या प्रतिबंधों के दायरे के विस्तार के रूप में की गई है, जो पहले केवल राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए की गई उग्र गतिविधियों तक ही सीमित था, डॉ. राम मनोहर लोहिया में निर्णय का संदर्भ दिया गया था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी उद्धृत किया गया था जिसमें यह माना गया था कि सार्वजनिक व्यवस्था समानार्थी है।

और इसका अर्थ है ऑर्ड्रे पब्लिक, एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है विद्रोह की अनुपस्थिति, दंगा, अशांति या हिंसा का शोर। 'सार्वजनिक अव्यवस्था' अभिव्यक्ति में वे सभी कार्य शामिल हैं जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो 'सार्वजनिक आदेश' अभिव्यक्ति द्वारा समझे जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्य नहीं जो केवल दूसरों की शांति को बाधित करते हैं। के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, यह आवश्यक नहीं है कि इस अधिनियम से राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, जो कि एक बहुत सख्त परीक्षा है, लेकिन इसमें समाज की हर तरह की अशांति शामिल नहीं होगी। यह स्वीकार करना कि 'कानून और व्यवस्था' सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला वृत्त 'सार्वजनिक व्यवस्था' का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अंदर सबसे छोटा वृत्त 'राज्य की सुरक्षा' का प्रतिनिधित्व करता है।

70 (1970) 3 एस. सी. सी. 746 अमीश देवगन बनाम।

यह देखा गया कि राज्य केंद्र में है और समाज इसे घेरता है। समाज की अशांति जीवन की शांति में अशांति से लेकर राज्य को खतरे में डालने तक व्यापक दायरे में आ सकती है। इसलिए, यात्रा पहले सार्वजनिक शांति के माध्यम से फिर सार्वजनिक व्यवस्था के माध्यम से और अंत में राज्य की सुरक्षा के लिए यात्रा करती है। धारा 144 की अनिवार्यताओं की व्याख्या करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह समाज को गंभीर चरित्र की गड़बड़ी के खतरे से मुक्त करने के लिए राज्य की शक्ति से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि इस मामले को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लाने के लिए नाराजगी को पर्याप्त रूप से गंभीर अनुपात में लिया जाना चाहिए। इस तर्क को खारिज करते हुए कि धारा 144 की भाषा व्यापक थी, दंड संहिता की धारा 188 का संदर्भ यह मानने के लिए दिया गया कि केवल आदेश की अवज्ञा पर्याप्त नहीं है

एक अपराध का गठन करने के लिए; इसके अलावा बाधा, झुंझलाहट होनी चाहिए,

या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा या दंगे या दंडात्मक प्रावधान के तहत मेरे लिए किए गए अपराध के लिए झगड़ा। इस प्रकार, दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध विधायी जनादेश द्वारा प्रतिबंधित और सीमित है। धारा 144 के तहत सामान्य आदेश इस आधार पर उचित है कि यह तब आवश्यक हो सकता है जब व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक हो कि धारा में उल्लिखित जोखिम के बिना उनके और आम जनता के बीच अंतर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक सामान्य आदेश उचित है, और यदि कार्रवाई बहुत सामान्य है, तो आदेश पर आपराधिक संहिता में प्रदान किए गए उचित उपचार द्वारा सवाल उठाया जा सकता है।

37. हाल ही में, श्रेया सिंघल में इस अदालत ने स्वीकार किया

संवैधानिक चुनौती और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए को निरस्त करते हुए श्रेणियों के बीच अंतर किया गया था और जब आपत्तिजनक भाषण को अपराध माना जाएगा तो स्केल टेस्ट को अपनाया गया था, जिसमें कहा गया थाः

" 13 ..... तीन अवधारणाएँ हैं जो मौलिक हैं

मानवाधिकारों की इस सबसे बुनियादी पहुंच को समझना। पहला चर्चा है, दूसरा वकालत है, और तीसरा उत्तेजना है। केवल चर्चा या किसी विशेष कारण की वकालत चाहे जो भी हो

अलोकप्रियता अनुच्छेद 19 (1) (ए) के केंद्र में है। यह केवल तभी होता है जब इस तरह की चर्चा या वकालत उत्तेजना के स्तर तक पहुंचती है कि अनुच्छेद

19 (2) अंदर घुसते हैं। यह इस स्तर पर है कि भाषण या अभिव्यक्ति को कम करने के लिए एक कानून बनाया जा सकता है जो सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनता है या भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है।

यह निर्णय 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे' और 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' के अमेरिकी सिद्धांतों पर निर्भर करता है, जिसमें इसे अपराध घोषित किया जाता है। 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे' के साथ बोले जाने वाले शब्दों के बीच कारण संबंध स्थापित किया जाना चाहिए और

' आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई '।

38. श्रेया सिंघल के मामले में, इस न्यायालय ने विभिन्न आधारों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए को निरस्त कर दिया है, जिनमें शामिल हैं -

प्रतिबंध की अनुचितता, अनुच्छेद 19 के खंड (2) की आवश्यकताओं का अभाव, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था भी शामिल है; भयावह प्रभाव और व्यापकता; अस्पष्टता आदि। खंड के सार्वजनिक व्यवस्था पहलू का उल्लेख करते हुए

प्रदेश ", 1 मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो ", 2 72 एन. बी. खरे (डॉ.) बनाम। दिल्ली राज्य 7 3 और मोहम्मद फारूक बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 74 का मानना है कि उचित प्रतिबंध परीक्षण मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं में संतुष्ट होना चाहिए। तर्कसंगतता का यह परीक्षण प्रत्येक व्यक्तिगत विवादित क़ानून पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी मामलों में तर्कसंगतता का कोई अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न लागू नहीं होता है। तर्कसंगतता में हमेशा बुराई का संदर्भ होता है जिसे ठीक करने की कोशिश की जाती है और अधिरोपण के अनुपात की जांच की आवश्यकता होती है।

39. श्रेया सिंघल में, अनुच्छेद 19 के खंड (2) में सार्वजनिक व्यवस्था की शर्त को उजागर करने के लिए, अरुण घोष बनाम का संदर्भ दिया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य "जिसमें डॉ. राम मनोहर में निर्धारित परीक्षण

71 AIR 1951 SC 118 72 AIR 1952 SC 196 73 AIR 1950 SC 211 74 (1969) 1 एस. सी. सी. 853 75 (1970) 1 एस. सी. सी. 98 अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

" 3 ..... उदाहरण के लिए, एक आदमी दूसरे को चाकू मारता है। लोग हैरान और परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन समुदाय का जीवन एक समान गति से आगे बढ़ता रहता है, चाहे कोई भी इस कृत्य को कितना भी नापसंद करे। एक अन्य शहर का मामला लीजिए जहाँ सांप्रदायिक तनाव है। एक आदमी दूसरे समुदाय के एक सदस्य को चाकू मारता है। यह एक बहुत ही अलग तरह का कार्य है। इसके निहितार्थ गहरे हैं और यह समान रूप से प्रभावित करते हैं।

..... अतः इसका अर्थ यह है कि यह प्रश्न कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है या उसने इस तरह से कार्य किया है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होने की संभावना है, यह स्तर और समाज पर अधिनियम की पहुंच का प्रश्न है। फ्रांसीसी कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को अलग करते हैं
उत्तरार्द्ध को सार्वजनिक आदेश के रूप में नामित करना।

अरुण घोष में, यह माना गया था कि जनता के उल्लंघन के गंभीर और बढ़े हुए रूपों के बीच सीमांकन की एक रेखा खींची जानी चाहिए आदेश जो समुदाय के जीवन को प्रभावित करता है या सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के रूप जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को खतरे में डालते हैं, शांति के मामूली उल्लंघनों से जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करते हैं। व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित अधिनियम जो समाज को परेशान करने की सीमा तक नहीं करते हैं

सार्वजनिक शांति की सामान्य गड़बड़ी सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट नहीं करती है, बल्कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया के मामले का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि विभिन्न संदर्भों में इसी तरह के कार्य एक मामले में कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और दूसरे में सार्वजनिक व्यवस्था को। यह हमेशा नुकसान की मात्रा और समुदाय पर इसका प्रभाव होता है। प्रत्येक मामले में जिस परीक्षण की जांच की जानी है, वह यह है कि क्या यह अधिनियम समुदाय के वर्तमान जीवन में अशांति पैदा करेगा ताकि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो, या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे समाज की शांति बाधित नहीं होती है। उत्तरार्द्ध इसके अंतर्गत नहीं आता है और प्रतिबंध को इलाके में समुदाय को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक आदेश के परीक्षण को पूरा करना चाहिए।

40. अनुराधा भसीन बनाम। भारत संघ और अन्य, 76 यह न्यायालय, सार्वजनिक व्यवस्था [2020] 14 एस. सी. आर. की पृष्ठभूमि में जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर विचार करते हुए।

और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के लिए, संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत "उचित" शब्द की व्याख्या की गई। इसे इस रूप में समझाया गया था

इसके अंतर्गतः

(ग) ऐसा प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में।

39. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिबंधों का मतलब पूर्ण निषेध नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में, हम ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त विवाद को इस न्यायालय के कई निर्णयों के आलोक में कायम नहीं रखा जा सकता है, जिसमें उचित मामलों में पूर्ण निषेध को शामिल करने के लिए प्रतिबंध भी लगाया गया है। [मध्य भारत कपास संघ। लिमिटेड वी. भारत संघ, नरेंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, महाराष्ट्र राज्य बनाम। हिम्मतभाई नरभेरम राव, सुशीला सॉ मिल बनाम। उड़ीसा राज्य, प्रताप फार्मा

(पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ और धरम दत्त बनाम। भारत संघ।]

40. उपरोक्त मामले कानून का अध्ययन तीन प्रस्तावों की ओर इशारा करता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के संबंध में सामने आते हैं। (i) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध में निषेध के मामले शामिल हो सकते हैं। ((ii) मुफ्त पर अत्यधिक बोझ नहीं होना चाहिए। भाषण भले ही एक पूर्ण निषेध लागू किया गया हो, और सरकार को इस तरह के निषेध को लागू करने को उचित ठहराना होगा और अमीश देवगन v की व्याख्या करनी होगी।

कम विकल्प क्यों अपर्याप्त होंगे। (iii) क्या कोई प्रतिबंध पूर्ण निषेध के बराबर है, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। [राज्य का संदर्भ लें

गुजरात बनाम. मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात]

41. परीक्षण का दूसरा भाग, जिसमें इस न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया प्रतिबंध/निषेध सबसे कम था

घुसपैठ, हमें संतुलन और आनुपातिकता के सवाल पर लाता है। संविधान के तहत ये अवधारणाएं कोई नई रचना नहीं हैं।
संविधान के विभिन्न भागों में, इस न्यायालय ने दो प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। मिनर्वा मिल्स में

लिमिटेड वी. भारत संघ और संजीव कोक एम. एफ. जी. को. वी. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड], यह न्यायालय पहले ही मौलिक अधिकारों और निर्देश के संबंध में संतुलनकारी दृष्टिकोण लागू कर चुका है।

राज्य नीति के सिद्धांत "।

41. अनुराधा भसीन का मामला इस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य में इस न्यायालय द्वारा तैयार की गई आनुपातिकता v. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य "निम्नलिखित शब्दों में:

ऐसी सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े हैं; (iii) उपाय ऐसा कोई
वैकल्पिक उपाय नहीं है जो कम सीमा के साथ उसी उद्देश्य को प्राप्त कर सके और अंत में (iv) उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और संवैधानिक अधिकार पर सीमा को रोकने के सामाजिक महत्व के बीच एक उचित संबंध ('आनुपातिकता स्ट्रिक्टो सेंसु' या 'संतुलन') होने की आवश्यकता है।

किए गए उपायों की तर्कसंगतता और क्या वे हैं

आवश्यक है कि ऐसे कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं जो कम सीमा के साथ एक ही उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। दूसरा, के महत्व के बीच उचित आनुपातिकता या संतुलन होना चाहिए

संवैधानिक अधिकार पर सीमा को रोकने के उचित उपाय और सामाजिक महत्व को प्राप्त करना। 42. सुब्रमण्यम स्वामी में उद्धृत किए गए कई निर्णयों में 'उचित प्रतिबंध' अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया गया है।

वी. भारत संघ और अन्य "यह दर्शाने के लिए कि प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक नहीं हो सकता है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक प्रत्यक्ष और निकट संबंध होना चाहिए। हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा पी. एन. भगवती, जे. (जैसा कि उनका प्रभुत्त्व तब था) की टिप्पणियों का पुनरुत्पादन मेनका गांधी बनाम में। भारत संघ 80 जिसमें उन्होंने रुस्तम कोवासजी कूपर बनाम में प्राधिकरण का उल्लेख किया था। भारत संघ 3 1 और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ, 8 2 का पालन करने के लिएः

" 20. यह याद किया जा सकता है कि आर. सी. कूपर मामले में तैयार किया गया परीक्षण केवल "प्रत्यक्ष संचालन" या "प्रत्यक्ष परिणाम" को संदर्भित करता है।

और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार पर राज्य की कार्रवाई का प्रभाव और इस संबंध में "अपरिहार्य" शब्द का उपयोग नहीं करता है। लेकिन शाह, जे. की प्रासंगिक टिप्पणियों को पढ़ने पर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस तरह का परीक्षण वास्तव में उस मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना था। यदि परीक्षण केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव का था, तो यह एक खुली अवधारणा होगी और "प्रत्यक्षता" का न्याय करने के लिए परिचालन मानदंडों के अभाव में, यह न्यायालय को यह तय करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विवेकाधिकार देगा कि किसी दिए गए मामले में कोई परिणाम या प्रभाव प्रत्यक्ष है या नहीं। कुछ अन्य अवधारणा-वाहन की मात्रा निर्धारित करने के लिए आवश्यकता होगी

परीक्षण को लागू करने के लिए प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता। और यह एक्सप्रेस समाचार पत्र मामले में "अपरिहार्य" परिणाम या प्रभाव के मानदंड द्वारा प्रदान किया जाता है। यह मानदंड गठन के लिए आवश्यक प्रत्यक्षता की सीमा को निर्धारित करने में मदद करता है।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन। अब, यदि मौलिक अधिकार पर राज्य की कार्रवाई का प्रभाव प्रत्यक्ष और अपरिहार्य है, तो यह माना जाना चाहिए कि ऐसा करने वाले प्राधिकारी का इरादा था।

80 (1978) 1 एस. सी. सी. 248 81 (1970) 2 एससीसी 298

82 (1972) 2 एस. सी. सी. 788 अमीश देवगन बनाम।

कार्रवाई और इसलिए प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव के इस सिद्धांत को कुछ न्यायविदों द्वारा इच्छित और वास्तविक प्रभाव के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है।

43. रुस्तम कोवासजी कूपर और मेनका गांधी के निर्णय भी हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में निहित अधिकारों के बीच अंतर्संबंध पर विचार किया है और ए. के. गोपालन बनाम में बहुमत के दृष्टिकोण से विचलन किया है। मद्रास राज्य ने यह अभिनिर्धारित किया कि ये स्वतंत्रताएँ भाग III में निहित हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं और जलरोधक नहीं हैं

डिब्बे। वे मानवाधिकारों की बुनियादी संरचना पर गारंटी का एक पैटर्न बुनते हैं और राज्य पर नकारात्मक दायित्वों को लागू करते हैं

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों का अतिक्रमण करना। भाग-III के तहत अधिकार व्यापक और व्यापक हैं, हालांकि उन्हें विभिन्न शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रत्येक स्वतंत्रता का एक अलग आयाम होता है और केवल इसलिए कि एक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की सीमाएँ पूरी हो जाती हैं, कानून दूसरी गारंटीकृत स्वतंत्रता की चुनौती का सामना करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं है। दूसरा, मेनका गांधी में, यह माना गया था कि अनुच्छेद 21 में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं, हालांकि उनमें से कुछ को विशिष्ट मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 19 के तहत अतिरिक्त संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 या इसके विपरीत, या उस मामले के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को बाहर नहीं करता है। इस प्रकार, संविधान का भाग III विस्तृत है और इसका अर्थपूर्ण अर्थ अत्यधिक पोषित अधिकारों का संग्रह या गुलदस्ता है। सुब्रमण्यम स्वामी में, इस न्यायालय ने चारू खुराना और अन्य बनाम का उल्लेख किया। भारत संघ और अन्य 84 जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि गरिमा सर्वोत्कृष्ट गुण है

अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत और संरक्षित अधिकारों के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यक्तित्व और एक बुनियादी घटक। गरिमा व्यक्तिगत अधिकारों का एक हिस्सा है जो सामूहिक सद्भाव और समाज के हित का मूल आधार है। जबकि बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार इस मायने में बिल्कुल पवित्र है कि यह व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र का विकास और प्रगति जो असहमति की आवाज, असंगत टिप्पणियों के लिए सहिष्णुता और विभिन्न आवाजों की स्वीकृति को मान्यता देता है।

83 आकाशवाणी 1950 एससी 27

84 (2015) 1 एससीसी 192 [2020] 14 एस. सी. आर.

अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के एक हिस्से के रूप में गरिमा का अधिकार का अपना महत्व है। उपरोक्त प्रस्ताव को डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे., ने इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स (सबरीमाला मंदिर, आरई में) बनाम में दोहराया है। केरल राज्य और अन्य, 85 जो निर्णय चार उपदेशों को संदर्भित करता है जो प्रस्तावना से उभरते हैं, अर्थात् न्याय, अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता; सभी नागरिकों के बीच स्थिति और अवसर की समानता; और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना जो मानव जीवन की गरिमा को सुनिश्चित करती है। व्यक्तिगत गरिमा को एक ऐसे शासन में प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य नागरिकों के साथ समानता को मान्यता देता है, चाहे वह किसी की धार्मिक मान्यताओं या उस समूह से संबंधित हो। धार्मिक विश्वास और विश्वास मानव गरिमा और स्वतंत्रता की व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करते हैं, लेकिन जब दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, तो मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की खोज प्रबल होनी चाहिए। संवैधानिक व्याख्या को संतुलन की भावना लानी चाहिए, ताकि व्यक्तिगत रूप से और एक साथ पढ़ें, संविधान के प्रावधान समकालीन समझौते में मौजूद हों। इस प्रकार, संविधान के विभिन्न भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए और

विभिन्न अधिकारों की एक साथ व्याख्या की जानी चाहिए ताकि वे सद्भाव में रहें। भाग III में विस्तृत स्वतंत्रताओं का प्रयोग समाज के भीतर किया जाता है जो नेटवर्क किया गया है। इसलिए, स्वतंत्रताओं के संबंध हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी में, इस न्यायालय ने एक

86 (2011) 8 एससीसी 1 87 (2005) 5 एस. सी. सी. 733 अमीश देवगन बनाम।

मानो कोई बोलने के अधिकार का दावा करता है, दूसरों को सुनने या सुनने से इनकार करने का अधिकार है। बोलने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत शांतिपूर्ण, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

44. अनुच्छेद 14 में निहित समानता का अधिकार यह मान्यता है कि

समानता का सिद्धांत कानून के शासन में निहित है। सकारात्मक अर्थों में, इसका अर्थ है विशेष व्यक्तियों के लिए किसी भी विशेषाधिकार का अभाव और

नकारात्मक भावना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है; और किसी के साथ भी और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उत्तरार्द्ध समानता के अधिकार का सार और मूल है और राज्य पर आवश्यक कदम उठाने का दायित्व अधिरोपित करता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, पंथ, धर्म, पहचान, यौन वरीयता आदि की परवाह किए बिना दूसरों की तरह समान सम्मान और गरिमा प्राप्त हो। समानता का अधिकार न केवल अनुच्छेद 14 में सन्निहित है, बल्कि भाग III के अनुच्छेद 15 से 18 में भी अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं, और

भाग IV के अनुच्छेद 38,39,39 क, 41 और 46। इस प्रकार, समानता के अधिकार के कई पहलू हैं, और यह गतिशील और विकसित हो रहा है। 88

45. यह केवल प्रस्तावना और अनुच्छेद 14,21 और अन्य नहीं हैं।

ऊपर उल्लिखित जो व्यक्ति की गरिमा के अधिकार की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 51 ए का खंड (ई), जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, कहता है कि यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व होगा कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या विभागीय विविधताओं को पार करते हुए भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे। खंड (च) में कहा गया है कि हमें अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना चाहिए और संरक्षित करना चाहिए।

46. इस स्तर पर, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसका क्या अर्थ है

'घृणापूर्ण भाषण' के संदर्भ में 'गरिमा' की अभिव्यक्ति-एक विस्तृत अर्थ के लिए, यदि दिया जाता है, तो विचारों को व्यक्त करने, विचारों, विचारों और कार्यों को चुनौती देने और चुनौती देने की स्वतंत्रता को दबाया और बाधित किया जाएगा। गरिमा, भाषण के अपराधीकरण के संदर्भ में, जिसके साथ हम संबंधित हैं, किसी व्यक्ति की अच्छी स्थिति में समाज के सदस्य के रूप में मूल अधिकार, सामाजिक समानता के रूप में उसकी स्थिति और मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के वाहक के रूप में संदर्भित करता है। 89 यह नागरिकों के बीच, और राज्य और नागरिकों के बीच अंतर-व्यक्तिगत संबंधों में सहभागी समानता का आश्वासन देता है, और इस तरह आत्म-मूल्य को बढ़ावा देता है। 9 0 इस अर्थ में गरिमा का उल्लेख नहीं है

88 इंदिरा साहनी बनाम। भारत संघ, (1992) सप. 3 एस. सी. सी. 217 और अमिता बनाम। भारत संघ, (2005) 13 एस. सी. सी. 721

89 देखें-पैट ईटॉक बनाम। एंड्रयू बोल्ट 9 0 ओ 'नील (160)-(161) और हिल बनाम। टोरंटो के चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, (1995) 2 एस. सी. आर. 1130 (117) और (120)

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक व्यक्ति के रूप में सम्मान या सम्मान का कोई विशेष स्तर, जैसा कि मानहानि के मामले में जो व्यक्तिगत है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय बेहरनाइस बनाम में। इलिनोइस, 9 1 को बनाए रखते हुए

हालांकि यह आवश्यक है कि कम से कम दो समूहों या समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए; किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल एक समुदाय या समूह की भावनाओं का उल्लेख करना 'घृणित भाषण' की परिभाषा को आकर्षित नहीं करता है। मंजार सईद खान ने बिलाल अहमद कालू में टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए लिखा है कि धारा 153 ए और 505 (2) की सामान्य विशेषताएँ विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय लोगों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना है। समूह या जाति या समुदाय, कम से कम दो समूहों या समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। इसके अलावा, किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल एक समुदाय या समूह की भावना को भड़काना किसी भी प्रावधान को आकर्षित नहीं करेगा। एंड्रयू एफ. सेलर्स द्वारा व्याख्या की गई 'घृणापूर्ण भाषण' की परिभाषा में कहा गया है कि घृणापूर्ण भाषण किसी समूह या व्यक्ति को लक्षित करना चाहिए क्योंकि वे किसी समूह से संबंधित हैं।

47. संविधान की प्रस्तावना सचेत रूप से एक साथ रखती है

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुत्व। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति के अधिकारों के रूप में और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दूसरों के प्रति व्यक्ति के दायित्व के रूप में। राष्ट्र की एकता और अखंडता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभाजन, अलगाव और योजनावाद को 'बढ़ावा' देने वाले या 'संभावित' कृत्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र पर प्रभाव डालते हैं।

विविधता और बहुलवाद, और जब वे सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या लक्षित समूहों की गरिमा को कम करने के उद्देश्य और इरादे के साथ होते हैं, तो उनसे कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति और बोलने के अधिकार में कटौती करना नहीं है, हालांकि सार्वजनिक अव्यवस्था और विशेष रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए विशिष्ट गंभीर खतरों को कम करना नहीं है। इस तरह के खतरे न केवल विविधता के गुण और श्रेष्ठता को कपटी रूप से कमजोर करते हैं, बल्कि संदर्भ और अवसर के आधार पर कटौती करते हैं और मांगों की ओर ले जाते हैं।

91 343 यूएस 250 (1952)

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

तर्कसंगतता के आधार पर अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के दमन के लिए। स्वतंत्रता और अधिकार सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या देश की अखंडता और एकता को चुनौती देने या हिंसा को बढ़ावा देने और उकसाने वालों को संरक्षण देने के लिए नहीं हो सकते हैं। स्वीकार्य सार्वजनिक व्यवस्था के बिना, बोलने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता को चुनौती दी जाती है और यह लोगों के लिए प्रतिबंधित हो जाएगी। आम जनता और कानून का पालन करने वाले नागरिक। यह हमेशा राज्य की प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है और इसलिए, जो लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता या सार्वजनिक अव्यवस्था को चुनौती देने के लिए हिंसा को बढ़ावा देने और उकसाने में लिप्त होते हैं, वे दूसरों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को रौंदते हैं।

48. दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करने से पहले, हम करेंगे

फोर्डहैम विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क (यू. एस. ए.) के एलिस ई. मारविक और रॉस मिलर के एक लेख का उल्लेख करना पसंद करते हैं, "2 तीन अलग-अलग तत्वों पर स्पष्ट करते हुए जिनका उपयोग विधायिकाएं और अदालतें 'घृणापूर्ण भाषण' को परिभाषित करने और पहचानने के लिए कर सकती हैं, अर्थात्-सामग्री-आधारित तत्व, इरादे-आधारित तत्व और हानि-आधारित तत्व (या प्रभाव-आधारित तत्व)। विषय-वस्तु आधारित तत्व में आम तौर पर आपत्तिजनक माने जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों का खुला उपयोग शामिल है। विशेष समुदाय और समाज के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से आक्रामक। इसमें कुछ प्रतीकों और प्रतिमाओं का उपयोग शामिल हो सकता है। उद्देश्य को लागू करके

मानकों के अनुसार, कोई यह जानता है या उसके पास यह जानने के लिए उचित आधार है कि सामग्री नस्ल के आधार पर दूसरों में क्रोध, चेतावनी या आक्रोश की अनुमति देगी,

रंग, पंथ, धर्म या लिंग। 'घृणापूर्ण भाषण' के आशय-आधारित तत्व के लिए वक्ता के संदेश का उद्देश्य केवल किसी वैध संदेश को संप्रेषित किए बिना किसी विशेष वर्ग या समूह के खिलाफ घृणा, हिंसा या आक्रोश को बढ़ावा देना है। इसके लिए वक्ता की ओर से वर्ग से जुड़े समूह या व्यक्ति को लक्षित करने के लिए व्यक्तिपरक इरादे की आवश्यकता होती है।

समूह। हानि या प्रभाव-आधारित तत्व 'घृणापूर्ण भाषण' के परिणामों को संदर्भित करता है, अर्थात, पीड़ित को हानि जो हिंसक हो सकती है या जैसे कि आत्मसम्मान की हानि, आर्थिक या सामाजिक अधीनता, शारीरिक और मानसिक तनाव, पीड़ित को चुप कराना और राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावी बहिष्कार। फिर भी, ये तीनों तत्व जलरोधी साइलो नहीं हैं और ओवरलैप करते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं। केवल जब वे मौजूद होते हैं तो वे 'घृणापूर्ण भाषण' का गठन करने के लिए संरचनात्मक निरंतरता पैदा करते हैं।

49. विषय-वस्तु के पहलू पर रमेश का कहना है कि

शब्दों को उचित, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी पुरुषों के स्तर से आंका जाना चाहिए, न कि उन लोगों द्वारा जो कमजोर हैं और अस्थिर दिमाग वाले हैं, और न ही उन लोगों के लिए जो हर शत्रुतापूर्ण स्थिति में खतरे की गंध लेते हैं।

92 ' ऑनलाइन उत्पीड़न, मानहानि और घृणित भाषणः कानूनी परिदृश्य का एक प्राइमर [2020] 14 एस. सी. आर.

देखें। परीक्षण है, जैसा कि वे अंग्रेजी कानून में कहते हैं,-'एक क्लैफम सर्वव्यापी के शीर्ष पर आदमी'। इसलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकतम करने और 'स्वतंत्र वक्ता का बोझ' पैदा न करने के लिए, मूल्यांकन जनता के उचित सदस्य के शीर्ष के दृष्टिकोण से होना चाहिए, जिसमें संवेदनशील, भावनात्मक और असामान्य को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। यह विवेकपूर्ण व्यक्ति के परीक्षण के लगभग समान या मामूली रूप से कम है। तर्कसंगतता के परीक्षण में उन सीमाओं की पहचान शामिल है जिनके भीतर उचित प्रतिक्रियाएँ गिरेंगी, न कि स्वीकार्य उचित प्रतिक्रियाओं की एक सीमित संख्या की पहचान। इसके अलावा, इसका मतलब यह नहीं है कि विशेष परिस्थितियों का बहिष्कार किया जाए क्योंकि अक्सर अलग-अलग व्यक्ति कार्य करते हैं।

यथोचित रूप से संदर्भ में विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया देगा और

परिस्थितियाँ। इसका अर्थ है स्थिति और अवसर की विशिष्टताओं को ध्यान में रखना और क्या समूह के नाराज होने की संभावना है। साथ ही, एक सहिष्णु समाज को सहिष्णुता की अपेक्षा करने का अधिकार है क्योंकि वे दूसरों के लिए विस्तार करने के लिए बाध्य हैं।

50. रिचर्ड डेलगाडो ने 'घृणापूर्ण भाषण' की परिभाषा प्रस्तावित की है।

एक ऐसी भाषा के रूप में जिसका उद्देश्य एक समूह को नीचा दिखाना था जिसे एक उचित व्यक्ति 'नस्लीय अपमान' के रूप में मान्यता देगा। मारी जे. मात्सुदा 9 4 94

'घृणापूर्ण भाषण' को नस्लीय हीनता, अभियोजन, घृणित और अपमानजनक संदेश के रूप में संदर्भित किया जाता है। केनेथ वार्ड 'ने' घृणापूर्ण भाषण 'का विश्लेषण अभिव्यक्ति के एक रूप के रूप में किया है, जिसके माध्यम से वक्ता मुख्य रूप से अपने लक्ष्यों के खिलाफ घृणा को बदनाम करने, अपमानित करने या उकसाने का इरादा रखता है। जैसा कि नीचे बताया गया है, 'सामग्री' का संबंध विषय-वस्तु से है, लेकिन यह पर्यायवाची नहीं है। विषय के साथ-पदार्थ। ' सामग्री का अधिक संबंध अभिव्यक्ति, भाषा और संदेश से है जो अपमानित करने, नीचा दिखाने और उकसाने के लिए होना चाहिए।

लक्षित समूह के खिलाफ मनोसामाजिक घृणा या शारीरिक हिंसा।

51. जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'संदर्भ' में एक निश्चित प्रमुख चर है, अर्थात्, 'कौन' और 'क्या' शामिल है और 'कहाँ' और 'अवसर,

समय और किन परिस्थितियों में मामला उत्पन्न होता है। 'कौन' हमेशा बहुवचन होता है क्योंकि इसमें वह वक्ता शामिल होता है जो यह कथन करता है कि

'घृणापूर्ण भाषण' का गठन करता है और उन दर्शकों को भी जिन्हें बयान संबोधित किया जाता है जिसमें लक्ष्य और अन्य दोनों शामिल होते हैं। परिवर्तनीय

93 ' घायल होने वाले शब्दः नस्लीय अपमान, एपिथेट्स और नेम-कॉलिंग के लिए एक अपकृत्य कार्रवाई, 17 हार्व। सी. आर.-C.L.L.rev। 133 (1982)

94 " नस्लवादी भाषण पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाः पीड़ित की कहानी को ध्यान में रखते हुए ', 87 माइक। एल. रेव. 2320 (1989)

95 ' स्वतंत्र भाषण और उदार गुणों का विकासः झंडा जलाने और नफरत भरे भाषण से जुड़े विवादों की जांच, 52 U.Miami के. रेव. 733 (1998)

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

संदर्भ समीक्षा यह स्वीकार करती है कि सभी भाषण समान नहीं हैं। यह केवल समूह संबद्धताओं के कारण नहीं है, बल्कि एक कमजोर और भेदभावपूर्ण समूह के खिलाफ प्रमुख समूह के घृणित भाषण के संदर्भ में है, और घृणित भाषण का प्रभाव उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जिसने शब्द बोले हैं। %

चर यह मानता है कि 'एक प्रभावशाली व्यक्ति' जैसे कि शीर्ष सरकार या कार्यकारी पदाधिकारी, विपक्षी नेता, फॉलो करने वाले राजनीतिक या सामाजिक नेता, या टी. वी. शो पर एक विश्वसनीय एंकर का भाषण सड़क पर एक आम व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीयता और प्रभाव रखता है। बाद में क्रोध, भावनाओं, गलत धारणाओं या गलत जानकारी से प्रेरित हो सकता है। यह उनके इरादे को प्रभावित कर सकता है। उनके भाषण का प्रभाव केवल उदासीनता होगी, साथियों द्वारा सुधार/आलोचना का सामना करना होगा, या कभी-कभी ध्यान देने के लिए नगण्य होगा और यह मानना होगा कि वे विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों के बीच घृणा, शत्रुता आदि को भड़काने या बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा, वक्ताओं की कुछ श्रेणियों को उनके भाषण के लिए राज्य की प्रतिक्रिया के संदर्भ में अक्षांश की एक डिग्री दी जा सकती है। अभाव, उत्पीड़न और उत्पीड़न के इतिहास वाले समुदाय कभी-कभी अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में बोल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शब्द और स्वर सामान्य से अधिक कठोर और अधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभव को अक्सर समाज द्वारा नियम के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके शब्द उस गंभीरता को खो देते हैं जिसके वे अन्यथा हकदार हैं। ऐसी स्थिति में, इन समुदायों के व्यक्तियों के लिए सभ्यता के सिद्धांत को अस्वीकार करने की संभावना है, क्योंकि विवादास्पद भाषण और भावनात्मक भार को पकड़ने वाले प्रतीक जुटाने में एक मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। 97 इस तरह के भाषण को नहीं देखा जाना चाहिए

विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति या ऐसे ऐतिहासिक अनुभव के बिना एक समुदाय के पद से, बल्कि, अदालतों को ऐसे भाषण को दंडित करते समय अधिक चौकस रहना चाहिए। यह अतीत में गरिमा से इनकार की मान्यता है, और प्रयास सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। फिर भी, इस तरह के भाषण को लक्षित समूह के प्रति 'घृणा' और हिंसा को उकसाना और 'उकसाना' नहीं चाहिए-जैसा कि चर्चा या वकालत से अलग है।

हिंसा, सार्वजनिक अव्यवस्था या 'घृणा' के लिए संभावना या इसी तरह के वैधानिक जनादेश के संतुष्ट होने पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होगी। प्रत्येक

अधिकार और भोग की एक सीमा होती है। इसके अलावा, जब उल्लंघनकारी कार्य सार्वजनिक अव्यवस्था और हिंसा पैदा करता है, चाहे वह अकेले हो या दूसरों के साथ, तो पहलू

9 6 96 संवैधानिक न्यायशास्त्र में घृणापूर्ण भाषणः मिशेल रोसेनफेल्ड, 24 कार्डोजो एल. रेव. 1523 द्वारा एक तुलनात्मक विश्लेषण

97 माइरा मर्क्स फेरी, विलियम ए. गैम्सन, जुर्गेन गेरहार्ड्स और डायटर रुच्ट, आधुनिक लोकतंत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के चार मॉडल, 'थियरी एंड सोसाइटी, वॉल्यूम में प्रकाशित। 31 , सं. 3 (जून, 2002), पृ.

'कौन' और भोग का प्रश्न महत्व खो देगा और इसका बहुत कम परिणाम हो सकता है।

52. प्रभाव वाले व्यक्ति, अपनी पहुंच, प्रभाव और अधिकार को ध्यान में रखते हुए वे आम जनता या उस विशिष्ट वर्ग पर प्रभाव डालते हैं जिसके लिए वे प्रभावित होते हैं

संबंधित हैं, एक कर्तव्य है और अधिक जिम्मेदार होना है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए अर्थ को जानेंगे और समझेंगे, जिसमें संभावित अर्थ भी शामिल है जिसे व्यक्त किए जाने की संभावना है। अनुभव और ज्ञान के साथ, उनसे उच्च स्तर के संचार कौशल की उम्मीद की जाती है। यह मानना उचित है कि वे अपने इरादे को व्यक्त करने वाले शब्दों का उपयोग करने में सावधानी बरतेंगे। तर्कसंगत-आदमी का परीक्षण हमेशा निर्माता को ध्यान में रखेगा। दूसरे शब्दों में, 'उचित व्यक्ति' अभिव्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव को ध्यान में रखेगी और तदनुसार मानक को लागू करेगी, जैसे हम पेशेवर लापरवाही के परीक्षण को लागू करते समय उचित व्यक्ति के परीक्षण को उचित पेशेवर के परीक्षण से प्रतिस्थापित करते हैं। 98 इसका मतलब यह नहीं है कि पत्रकारों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को अन्य नागरिकों की तरह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ऊपर जो कहा गया है उसकी यह सरासर गलत समझ होगी। यह तीन तत्वों की संतुष्टि को कम करने के लिए नहीं है, हालांकि 'कौन' के महत्व को स्वीकार करने के लिए जब हम 'नुकसान या प्रभाव तत्व' की जांच करते हैं और किसी दिए गए मामले में 'इरादा' और/या 'सामग्री तत्व' भी।

53. इसके अलावा, 'घृणापूर्ण भाषण' का कानून यह मानता है कि सभी वक्ता 'सद्भावना' और '(नहीं)-वैध उद्देश्य' संरक्षण 'के हकदार हैं। सद्भावना 'का अर्थ है कि आचरण में निष्ठा के साथ-साथ एक

अपमान, अपमान या धमकी को कम करने वाले मूल्यों का सम्मान करने में कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण। बाद वाला वस्तुनिष्ठ है, जबकि पहला व्यक्तिपरक है। 'सद्भावना' की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि व्यक्ति को विवेक, सावधानी और परिश्रम का प्रयोग करना चाहिए। इसके परिणामों से बचने या उन्हें कम करने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। सद्भावना 'या' नहीं-वैध उद्देश्य 'अपवाद चिकित्सा के एक उचित निकाय द्वारा उचित के रूप में स्वीकार किए गए अभ्यास के साथ किसी भी वास्तविक की रक्षा के लिए अधिक कठोरता के साथ लागू होंगे।

उस विशेष कला में कुशल पुरुष। इसे दूसरी तरह से रखते हुए, एक डॉक्टर लापरवाही नहीं करता है, अगर वह इस तरह के अभ्यास के अनुसार काम कर रहा है, केवल इसलिए कि एक राय है जो एक विपरीत दृष्टिकोण लेती है। अकादमिक, कलात्मक, धार्मिक या वैज्ञानिक उद्देश्य, या उस मामले के लिए कोई भी उद्देश्य जो सार्वजनिक हित में है, या एक निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट का प्रकाशन 98 बोलम वी। फ्रायर्न अस्पताल प्रबंधन समिति, [1957] 2 ऑल ई. आर. 118, यह देखा गया थाः " एक डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं है यदि उसने अमीश देवगन बनाम के अनुसार काम किया है।

प्रकाशन जिसमें अनावश्यक पक्ष होते हैं जिनका अपमान करने के अलावा कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं प्रतीत होता है, इस बात का प्रमाण देगा कि प्रकाशन दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिखे गए थे। हालाँकि, राय दुर्भावनापूर्ण इरादे को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।

54. यह कहा गया है कि वर्तमान मामला राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के नुकसान से संबंधित 'अभद्र भाषा' से संबंधित नहीं है।

लेकिन धारा 153 ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी), धारा 295 ए और दंड संहिता की धारा 505 की उप-धारा (2) के संदर्भ में 'घृणित भाषण' के साथ। इस संदर्भ में, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के बीच अंतर करना आवश्यक है जिसमें सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने, समर्थन करने या आलोचना करने का अधिकार शामिल है; और 'घृणित भाषण' एक लक्षित समुदाय या समूह के खिलाफ नफरत पैदा करना या फैलाना। पहला मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों और नीतिगत मामलों से संबंधित है, दूसरा मुख्य रूप से विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, बल्कि संदेश के सार पर ध्यान केंद्रित करेगा जो लक्षित समूह के अपमान और अलगाव का कारण बनता है। बाद के प्रकार के भाषण को अपराधी बनाने का उद्देश्य गरिमा की रक्षा करना (जैसा कि ऊपर बताया गया है) और जाति की परवाह किए बिना विभिन्न पहचानों और समूहों के बीच राजनीतिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है।

पंथ, धर्म, लिंग, लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास, भाषाई वरीयता आदि। अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण शर्त है

विचारों का स्थान और 'सत्य की खोज' सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं। सरकार को यह निर्णय लेने से बख्शा जाना चाहिए कि क्या सही है या गलत, अच्छा या बुरा, वैध या अमान्य है क्योंकि इन पहलुओं को सार्वजनिक क्षेत्र में खुली चर्चा के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यह औचित्य इस विश्वास पर भी आधारित है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन में एक अनिवार्य कार्य करती है जिसके बिना नागरिक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते हैं। 99 नस्लीय और धार्मिक सहिष्णुता, 2001 (विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया)

विचारों को व्यक्त करने और प्राप्त करने के कार्य को पूरा करें। सरकारी नीतियों से संबंधित राजनीतिक भाषणों को लोकतंत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आरोप का झूठा होना पर्याप्त नहीं होगा। 'घृणापूर्ण भाषण' का आपराधिक अपराध। केदार नाथ सिंह मामले में इस अदालत के संवैधानिक पीठ के फैसले और उसके बाद के फैसलों में स्पष्ट और समान रूप से कहा गया है कि दोनों के बीच अंतर है।

' कानून द्वारा स्थापित सरकार 'और' कुछ समय के लिए प्रशासन चलाने में लगे व्यक्ति 'और उनकी टिप्पणी या आलोचना

सरकारी कार्रवाई चाहे कितने भी कठोर शब्दों की रक्षा की जानी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई करने का आधार नहीं हो सकता है जब तक कि लिखित या बोले गए शब्दों आदि में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा न हो। उन भावनाओं को उत्तेजित किए बिना जो हिंसा के कृत्यों द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करती हैं, राजनीतिक विचारों और आलोचना को दंडात्मक कार्रवाई का विषय नहीं बनाया जा सकता है। अरुण घोष में सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने वाले सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन से गंभीर और गंभीर के बीच अंतर करने वाले बाद के निर्णय का संदर्भ ऐसे उल्लंघन जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करते हैं, उचित होंगे। उचित प्रतिबंध के संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप

और प्रत्येक मामले के तथ्यों में आनुपातिकता के सिद्धांत का यह पता लगाना होगा कि क्या अधिनियम क्लैफम सर्वव्यापी परीक्षण के शीर्ष को पूरा करता है और क्या यह अधिनियम समुदाय के वर्तमान जीवन में गड़बड़ी पैदा करने के लिए 'संभावित' था ताकि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो; या यह किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है जिससे समाज की शांति में कोई बाधा न आए। क्लैफम ऑम्निबस परीक्षण के शीर्ष के आवेदन पर बाद वाले और बहिष्कृत कार्यों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, विरोधी सामान्य रूप से लोकतांत्रिक भाषण और विशेष रूप से राजनीतिक चरमपंथी भाषण, जिसका कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है, अगर और केवल तभी जब हिंसा के लिए उकसाने की प्रकृति में 'पैदा करता है', या 'पैदा करने की संभावना है' या 'बढ़ावा देता है' या सार्वजनिक अव्यवस्था को 'बढ़ावा देने की संभावना है', तो संरक्षित नहीं किया जाएगा।

55. कभी-कभी, कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और अदालतों और अधिकारियों को यह तय करने में विवेक और सावधानी बरतनी होगी कि क्या

' 'सामग्री' एक राजनीतिक या नीतिगत टिप्पणी है, या लक्षित समूह या समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करती है या फैलाती है। यह महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है क्योंकि ओवरलैप संभव है और सिद्धांतों को विकसित करना होगा

भेद कीजिए। हम अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण का उल्लेख करेंगे। सकारात्मक कार्रवाई के समर्थक और इसका विरोध करने वाले, पूरी तरह से और समान रूप से अपनी चिंताओं को उठाने के हकदार हैं और यहां तक कि किसी क़ानून द्वारा स्वीकृत होने या संवैधानिक बैठक होने पर भी अपनाई गई नीतियों की आलोचना करने के हकदार हैं।

बिना किसी डर या चिंता के कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा या उन्हें दंडित किया जाएगा। हालाँकि, दंडात्मक कार्रवाई तब उचित होगी जब भाषण आगे बढ़ता है और उस प्रकृति का होता है जो हिंसा या मनोसामाजिक घृणा को भड़काने वाले लक्षित समूह को बदनाम, कलंकित और अपमानित करता है। 'विषय-वस्तु' में घृणा को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो विषय वस्तु से परे और उसके अलावा समूह की पहचान के आधार पर लक्षित समूह के खिलाफ घृणा या हिंसा को अपमानित, अपमानित और उकसाती है।

'ए टेल ऑफ फोर सिटीज' नामक वृत्तचित्र देश के चार प्रमुख शहरों में अमीर और गरीब के जीवन के बीच अंतर को दर्शाता है। चुनौती वयस्कों तक सीमित प्रदर्शनी के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने की थी। यह देखा गया कि भारत में दर्शकों से विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों और कहानियों को समानता के साथ देखने की उम्मीद की जा सकती है। नरसंहार या रक्तपात को दिखाने में कोई रोक नहीं है जिसका ऐतिहासिक मूल्य और चित्रण हो। नादिर शाह द्वारा दिल्ली की लूट जैसे दृश्यों की अनुमति दी जा सकती है, अगर मोहम्मद के साथ टकराव के कलात्मक चित्रण के हिस्से के रूप में नाजुक तरीके से संभाला जाए। शाह रंगिला। स्पष्ट रूप से, प्रतिबंधों को उस स्तर तक कम नहीं किया जाना था जहां सुरक्षा कम से कम सक्षम और सबसे अधिक हो।

हमारे बीच वंचित होना लागू होगा। इब्राहिम सुलेमान सैत में

वी. एम. सी. मोहम्मद और अन्य, 100 में यह देखा गया कि सच बोलना भ्रष्ट व्यवहार के आरोप का जवाब नहीं था और जो प्रासंगिक था वह यह था कि क्या भाषण ने शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा दिया था या बढ़ावा देने का प्रयास किया था। संभावना का आकलन किया जाना चाहिए

स्वस्थ और उचित मानक से इस प्रकार पद स्वीकार करना

कि ऐतिहासिक सत्य एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। हालाँकि, ऐतिहासिक सत्य को किसी भी तरह से प्रकट या प्रकट किए बिना चित्रित किया जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों या समुदायों के बीच घृणा या शत्रुता को प्रोत्साहित करना। ललाई सिंह यादव और एक अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 101 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा दलितों के उत्पीड़न और शोषण पर प्रकाश डालते हुए और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का सुझाव देते हुए लिखी गई पुस्तक को एक संयमित भाषा में लिखा गया था और यह एक अपराध नहीं है। धार्मिक सिद्धांतों की तर्कसंगत आलोचना, वैध आलोचना के रूप में स्वीकार्य है, कोई अपराध नहीं है क्योंकि सामान्य संवेदनशीलता वाला कोई भी उचित व्यक्ति इस पर आपत्ति नहीं करेगा। रमेश में, धारावाहिक 'तमस' की चुनौती को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह एक निर्देशात्मक धारावाहिक था जो परीक्षण की अनुमेय सीमा के भीतर इतिहास के एक बुरे पहलू को प्रकट करता था, भले ही इसमें विभाजन से पहले के सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को दर्शाया गया हो। एक चोट, जो एक परोपकारी इरादे का एक उत्पाद है, पीड़ित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को भड़का सकता है लेकिन आपराधिक चोट, यानी घृणा से कम हो सकता है। विभाजन के साथ हुए रक्तपात को देखते हुए, औसत व्यक्ति "अतीत की गलतियों से सीख लेगा और कट्टरपंथियों की साजिशों का एहसास करेगा और शायद उन गलतियों को फिर से नहीं करेगा"। के दुखद अनुभवों का ज्ञान

अतीत "हमारे वर्तमान को तर्कसंगत और उचित तरीके से बनाने और हमारे भविष्य को ज्ञान और देखभाल के साथ देखने" में मदद करेगा। लार्ड मोर्ले को उद्धृत करते हुए, जे. मुखर्जी ने पैराग्राफ 20 में उल्लेख कियाः

" 20 ..... लॉर्ड मोर्ले ने "ऑन कम्प्रोमाइज" में कहा है कि यह दुनिया में सभी अंतर पैदा करता है कि क्या आप सच्चाई को अंदर रखते हैं।

पहले या दूसरे स्थान पर। यह सच है कि एक लेखक या उपदेशक को सच और सही से चिपकना चाहिए, अगर स्वर्ग गिरता है। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत आधार है। फिर भी व्यवहार में, सभी स्कूल

समान रूप से एक उपाय की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं

सत्य के हित में ही समायोजन। धर्मांध एक ऐसी खराब प्रतिष्ठा का नाम है, ठीक इसलिए कि वह व्यक्ति जो होने का हकदार है तथाकथित समय पर और हानिरहित रियायत से इनकार करके अच्छे कारणों को नुकसान पहुंचाता है; उन पूर्वाग्रहों को परेशान करके जो उनकी अपनी राय का आग्रह करने का एक बुद्धिमान तरीका अलग हो सकता है; कोई भत्ते नहीं देकर, किसी भी उद्देश्य का सम्मान नहीं करते हैं, और उन योग्यता सिद्धांतों में से किसी को भी मान्यता नहीं देते हैं जो किसी दिए गए समाज में उनके अपने सिद्धांत को सच और उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक से कम नहीं हैं। इतिहास को प्रस्तुत करने के एक आम आदमी के दृष्टिकोण के सभी मानकों द्वारा आंका गया

101 1971 क्राई एल. जे. 1773 (एफ. बी.) (इलाहाबाद)

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

बुराइयों और उन बुराइयों के परिणामों का संकेत देने वाला प्रकाश शिक्षाप्रद है और यह संदेश उच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार "तमस" में है। वे इसे एक औसत, स्वस्थ और सामान्य दृष्टिकोण से देखते थे। यही पैमाना है। कोई आशंका नहीं हो सकती कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है या किसी भी अपराध के लिए उकसाने की संभावना है। दूसरी ओर, यह अधिक है

संभावना है कि यह भविष्य में चरमपंथियों और कट्टरपंथियों द्वारा इस तरह के अपराधों को उकसाने से रोकेगा। यह भी
ध्यान दिया जाना चाहिए कि के सकारात्मकवादी दावे के विपरीत

'सत्य' की विलक्षणता और निरपेक्षता, वास्तव में, एक व्यक्तिपरक तत्व हो सकता है, जिससे यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर सापेक्ष सत्य बन जाता है। सांस्कृतिक

मूल्य प्रणाली, ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक प्रणालियों की जीवित वास्तविकताएँ और पदानुक्रम-ये सभी इस बात के निर्धारक हैं कि कोई व्यक्ति सत्य को कैसे समझता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता का हमारा पूरा सिद्धांत इस धारणा पर नहीं है कि हर कोई सही था, बल्कि इस निश्चितता पर है कि हर कोई किसी न किसी बिंदु पर गलत था, जिस पर कोई और सही था, ताकि किसी को भी अनसुना जाने देने में सार्वजनिक खतरा था। 1 02 कई तथाकथित सत्यों को संशोधित और सही किया गया है क्योंकि वे विवादित थे

वैज्ञानिक या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। सत्य और लोकप्रिय विश्वास के बीच विचलन की संभावना या यहां तक कि ऐसी स्थितियों से भी इंकार नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें 'पोस्ट' की ज्ञानशास्त्रीय समस्या के रूप में वर्णित किया गया है।

सत्य 'युग, जो ऐसा नहीं है कि लोग सत्य को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग झूठ पर विश्वास कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। 103 फिर भी, कई मायनों में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने उन लोगों को सशक्त बनाया है जो हाशिए पर थे और भेदभाव किया गया था और इस प्रकार यह मान लेना पूरी तरह से गलत होगा और यह एक गलती होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक कुलीन अवधारणा और भोग है। 58. हानि के प्रश्न पर, विधान वास्तविक या कभी-कभी संभावित या प्रत्याशित खतरे को संदर्भित करते हैं, जिनमें से बाद वाला दूर, अनुमानित या दूरगामी नहीं होना चाहिए। इसका 'सार्वजनिक व्यवस्था' आदि अभिव्यक्ति के साथ निकटवर्ती और सीधा संबंध होना चाहिए। अन्यथा, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता को दबा दिया जाएगा

102 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सोशलिज्म ऑफ मिलियनेयर्स, 16 (1901) 103 जोसेफ ब्लॉचर, 'फ्री स्पीच एंड जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ', हार्वर्ड लॉ रिव्यू, वॉल्यूम। 133 , नंबर 2, दिसंबर 2019।

सामुदायिक हित खतरे में है। भारतीय संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे' या 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' के परीक्षण समान हैं जैसा कि श्रेया सिंघल के मामले में प्रतिपादित किया गया है। डॉ. राम मनोहर लोहिया में भाषण और उसके परिणामों के बीच निकटता और कारण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता को बहुत विस्तार से समझाया गया है। सार्वजनिक विकार की वास्तविक घटना के मामले में, 'भाषण' और परिणामी 'सार्वजनिक विकार' के बीच संबंध दिखाने वाले प्रमुख साक्ष्य द्वारा कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जा सकता है। अन्य मामलों में जहां पुलिस, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप या अन्यथा के कारण सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं हुई है, 'स्पष्ट और वर्तमान खतरा' या 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' परीक्षण प्रासंगिकता और महत्व के हैं। वास्तविक हिंसा, सार्वजनिक अव्यवस्था आदि के अभाव में स्वतंत्रता और तर्कसंगत उक्ति को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब संदर्भ संभावना के लिए होता है, तो संभावना को संभावना कहा जाता है जब संभावना उचित रूप से या काफी हद तक निश्चित होती है, यानी होने की तुलना में काफी निश्चित होती है। इसलिए, वास्तविक हिंसा, सार्वजनिक अव्यवस्था, आदि के अभाव में, निर्माता द्वारा या निर्माता के उकसावे पर अन्य लोगों द्वारा 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे' या 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' के रूप में शब्दों से कुछ अधिक की आवश्यकता होती है। इस पहलू की बाद में जांच की गई है, जबकि

दंडात्मक प्रावधानों की व्याख्या करना। 59. हमने बार-बार 'सहिष्णुता' शब्द का उल्लेख किया है, और नोट किया है कि अभिव्यक्ति 'कौन' वक्ता और लक्षित श्रोता दोनों को संदर्भित करता है; और बाद में कलकत्ता उच्च के अनुपात को संदर्भित करेगा।

पी. के. चक्रवर्ती बनाम में न्यायालय का निर्णय। राजा, 104 ने कहा कि जिस तरह के लोगों को शब्द संबोधित किए जाते हैं, उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसी तरह, पैराग्राफ 49 में, हमने देखा है कि एक सहिष्णु समाज सहिष्णुता की उम्मीद करने का हकदार है क्योंकि वे दूसरों के लिए विस्तार करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, 'सहिष्णुता' अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, फिर भी इसे परिभाषित करना समस्याग्रस्त है क्योंकि इसके अलग-अलग अर्थ हैं। हमें दर्शन या अर्थों की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सदस्य देशों द्वारा सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा के अनुच्छेद 1 को उद्धृत करना पसंद करेंगे, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के 28 वें सत्र में पेरिस में अपनी बैठक में अपनाया गया था।

सम्मेलन, जो निम्नानुसार हैः

" अनुच्छेद 1-सहिष्णुता का अर्थ 1.1 सहिष्णुता हमारी विश्व संस्कृतियों, हमारी अभिव्यक्ति के रूपों और तरीकों की समृद्ध विविधता का सम्मान, स्वीकृति और सराहना है।

104 ए. आई. आर. 1926 कैल.

1133 अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ

[संजीव खन्ना, जे।]

मनुष्य होने के लिए। यह ज्ञान, खुलेपन से पोषित होता है,

संचार, और विचार, विवेक और विश्वास की स्वतंत्रता। सहिष्णुता अंतर में सामंजस्य है। यह न केवल एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह एक राजनीतिक और कानूनी आवश्यकता भी है। सहिष्णुता, वह गुण जो शांति को संभव बनाता है, संस्कृति के प्रतिस्थापन में योगदान देता है

शांति की संस्कृति द्वारा युद्ध।

1.2 सहिष्णुता रियायत, सहानुभूति या भोग नहीं है। सहिष्णुता, सबसे बढ़कर, सार्वभौमिक मानवाधिकारों और दूसरों की मौलिक स्वतंत्रताओं की मान्यता से प्रेरित एक सक्रिय दृष्टिकोण है। किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग इन मौलिक मूल्यों के उल्लंघन को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। सहिष्णुता का प्रयोग व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, समूह और राज्य।

1.3 सहिष्णुता वह जिम्मेदारी है जो मानवाधिकारों, बहुलवाद (सांस्कृतिक बहुलवाद सहित), लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखती है। इसमें हठधर्मिता और निरंकुशता की अस्वीकृति शामिल है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों में निर्धारित मानकों की पुष्टि करता है।

1.4 मानवाधिकारों के सम्मान के अनुरूप, सहिष्णुता के अभ्यास का अर्थ सामाजिक अन्याय को सहन करना या किसी के विश्वास को छोड़ना या कमजोर करना नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने स्वयं के विश्वासों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है और इसे स्वीकार करता है अन्य लोग उनका पालन करते हैं। इसका अर्थ है इस तथ्य को स्वीकार करना कि मनुष्य, जो अपने स्वरूप, स्थिति, वाणी, व्यवहार और मूल्यों में स्वाभाविक रूप से विविध हैं, उन्हें शांति से रहने और समान रूप से रहने का अधिकार है।

वे हैं। इसका यह भी अर्थ है कि अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपा जाना चाहिए।

'सहिष्णुता' के लिए कई औचित्य हैं, जिनमें स्वायत्तता के लिए सम्मान शामिल है; शांतिवाद के लिए एक सामान्य प्रतिबद्धता; दया और उदारता जैसे अन्य गुणों के लिए चिंता; शैक्षणिक चिंताएँ; और

पारस्परिकता की इच्छा; और दूसरों की मान्यताओं और कार्यों का न्याय करने की क्षमता के बारे में विनम्रता की भावना। 105 हालाँकि, सहिष्णुता को तुष्टिकरण, अनुमति या उदासीनता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह भी है

तटस्थता के समान नहीं। सहिष्णुता के लिए आत्म-चेतना और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता इस अर्थ में होती है कि यह स्वतंत्र और जानबूझकर किए गए नकारात्मक निर्णय का एक संयम है। इसका तात्पर्य अपने स्वयं के विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता की कमी नहीं है, लेकिन 105 दर्शनशास्त्र का इंटरनेट विश्वकोश, एंड्रयू फियाला द्वारा सहिष्णुता, आई. एस. एस. एन. 21610002 [2020] 14 एस. सी. आर.

बल्कि यह दूसरों के उत्पीड़न या उत्पीड़न की निंदा करता है। 106 इस अर्थ में व्याख्या की जाए तो 'सहिष्णुता का विरोधाभास' नहीं है। 107 इस विरोधाभास का जवाब तर्कसंगत सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित मूल्यांकनकारी निर्णय देकर दिया जाता है कि क्या जो लोग अपने विचारों या गतिविधियों को व्यक्त करते हैं जो स्वयं असहिष्णु हैं, उन्हें बर्दाश्त किया जाना चाहिए। 108 यह परीक्षण असहिष्णु दर्शन को नियंत्रण में रखने के लिए तर्कसंगत तर्क सिद्धांत को स्वीकार करता है। इस प्रकार, सहिष्णुता उन चीजों को स्वीकार करने के लिए नहीं है जिन पर काबू पाना बेहतर है, 1 09 या जब प्रथाएं अपने भीतर असहिष्णुता को दर्शाती हैं, जैसे कि मानवाधिकारों की अवहेलना और समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। इसके अलावा, नैतिकता, राजनीति, मानवता की उत्पत्ति, सामाजिक पदानुक्रम आदि के संबंध में अनुचित धार्मिक मान्यताएं भी हो सकती हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 110 तर्क हो सकता है

व्यापक नैतिक सिद्धांत पर भी आधारित होना चाहिए। सहिष्णुता का अर्थ व्यक्तियों और लोगों के बीच एक 'अतिव्यापी सहमति' विकसित करना भी है।

न्याय के कुछ सिद्धांतों के बारे में सहमत होने का कारण खोजने के लिए विविध दृष्टिकोण वाले समूह। 1 12 मतभेदों के बावजूद उचित सर्वसम्मति की अनुमति देना उचित है। संक्षेप में, इसका तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों के साथ भेदभाव न करना है, लेकिन असहमति और विश्वास और व्यवहार को अस्वीकार करने के अधिकार को नकारने के बिना। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति या समूह

स्वीकार किया और सराहा गया। 106 जॉन एफ कैनेडी 107 द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ में कार्ल पॉपर, जिन्होंने कहा हैः

" ..... अगर हम असहिष्णु लोगों के लिए भी असीमित सहिष्णुता का विस्तार करते हैं, अगर हम असहिष्णु के हमले के खिलाफ एक सहिष्णु समाज की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सहिष्णु नष्ट हो जाएंगे, और उनके साथ सहिष्णुता होगी।

विशिष्ट समाजों और संस्कृतियों के कई आदेश; आदेश आकस्मिक होते हैं जबकि नैतिकता और अच्छे को सार्वभौमिक रूप से सम्मोहक होना चाहिए। 109 मार्जोका वान डोर्न, सहिष्णुता की प्रकृति और सामाजिक परिस्थितियाँ जिसमें यह उभरता है, वर्तमान समाजशास्त्र समीक्षा, 2014, खंड। 62 (6) 905-927

110 सैम हैरिस, द एंड ऑफ फेथ 111 माइकल सैंडल डेमोक्रेसी का असंतोष (1998)

112 जॉन रॉल्स, न्याय का सिद्धांत (1971)। न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखने का राव का विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय राजनीतिक है और जरूरी नहीं कि यह नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो।

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

((iv) वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या

60. अब हम दंड संहिता की धारा 153 ए की व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार हैः

" 153 ए. धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना,

भाषा, आदि, और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। — (1) जो भी हो।

कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। पूजा आदि के स्थान पर किया गया अपराध। — (2) जो कोई भी किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी सभा में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे [2020] 14 एस. सी. आर. से दंडित किया जाएगा।

कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ सकता है और

जुर्माने के लिए उत्तरदायी "।

61. वर्तमान मामले में, हम धारा 153 ए की उप-धारा (1) के खंड (सी) से संबंधित नहीं हैं और इसलिए हम इसकी जांच नहीं करेंगे।

एक ही। इस अदालत ने मंज़र सईद खान और बलवंत सिंह और अन्य मामलों में धारा 153 ए की व्याख्या की है। हालाँकि, इस धारा के विधायी इतिहास का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसे भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1898 द्वारा प्रवर समिति की सिफारिश पर पेश किया गया था। उस समय अधिनियमित धारा में उन शब्दों, बोले गए या लिखित, या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्य साधनों का उल्लेख किया गया था जो भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देते हैं या बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। कारावास जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उक्त धारा का स्पष्टीकरण इस प्रकार थाः

" स्पष्टीकरण। - यह अपराध के अंतर्गत नहीं आता है दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना इंगित करने के लिए इस खंड का अर्थ

और उन्हें हटाने के लिए एक ईमानदार दृष्टिकोण के साथ, जो मामले हैं

महामहिम की प्रजा के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना पैदा करना या पैदा करने की प्रवृत्ति होना।

मूल अधिनियमित धारा को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा खंड (ए) और (बी) के साथ संशोधित किया गया था और खंड (सी) को बाद में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972.113 द्वारा जोड़ा गया था।

62. पी. के. चक्रवर्ती में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि

इरादे के सवाल में और यह देखा था कि आरोपी व्यक्ति दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा था या नहीं, इसका इरादा शब्दों के आंतरिक साक्ष्य से एकत्र किया जाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य सबूतों पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, दुर्भावनाओं को बढ़ावा देने की संभावना के सवाल की जांच करते समय तथ्य और

उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस तरह के लोगों को शब्द संबोधित किए जाते हैं, उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। शब्द आम तौर पर निर्णायक होंगे, विशेष रूप से उन मामलों में जहां इरादे को स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है यदि स्वाभाविक रूप से, स्पष्ट रूप से या निर्विवाद रूप से उपयोग किए गए शब्दों में ऐसी प्रवृत्ति है। फिर, इस तरह के इरादे को माना जा सकता है क्योंकि यह उपयोग किए गए शब्दों का स्वाभाविक परिणाम है। हालाँकि, उपयोग किए गए शब्द और उनका वास्तविक अर्थ कभी भी इरादे के प्रमाण से अधिक नहीं होते हैं, और यह वास्तविक है।

113 बयानबाजी गणराज्य में सरकारों की घायल व्यर्थताः 'फ्री स्पीच एंड द कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' अभिनव चंद्रचूड़, पेंगुइन बुक्स इंडिया (2017)

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

आरोपित व्यक्ति का इरादा वह परीक्षण है। फैसला रचनात्मक इरादे की अवधारणा को खारिज करता है। इसी तरह, देवी शरण शर्मा मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ने कहा था कि शब्दों के आंतरिक साक्ष्य के साथ-साथ उस पत्र की सामान्य नीति, जिसके लिए संबंधित लेख प्रकाशित किया गया था, उस व्यक्ति के विचार, जिसके लिए यह लिखा गया था और दोनों के बीच भावना की स्थिति से इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है।

लेखन की भाषा उस प्रकृति की होती है जिसकी गणना शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने कार्य के प्राकृतिक परिणामों का इरादा रखने के लिए माना जाना चाहिए। बंबई उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार गोपाल में विनायक गोडसे ने शब्दों पर ही काफी जोर दिया है, लेकिन पी. के. चक्रवर्ती और देवकी शर्मा में व्यक्त विचार एक बहुत व्यापक और व्यापक तस्वीर लेते हैं, जो हमारी राय में, यह जांचने का सही तरीका होगा कि क्या धारा 153 ए, खंड (ए) और (बी) के तहत कोई अपराध किया गया था। शिकायत किए गए मामले का सामान्य उचित अर्थ या तो प्रकाशित मामले का शाब्दिक अर्थ हो सकता है या उस मामले में क्या निहित है या उससे क्या अनुमान लगाया गया है। एक विशेष आरोप व्यक्त किए जाने के साधनों में सक्षम है और इसका तात्पर्य है कि यह यथोचित रूप से इतना सक्षम है और इसे तनाव, मजबूर या पूरी तरह से अनुचित व्याख्या के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। हम यह भी मानेंगे कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे आवश्यक हैं और शब्दों से ही एकत्र किया जा सकता है- क्लैफम सर्वव्यापी के शीर्ष की परीक्षा को संतुष्ट करना, टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को कौन कारक बनाता है, लक्षित और गैर-लक्षित समूह, संदर्भ और अवसर कारक-जिस समय और परिस्थितियों में शब्द या भाषण किया गया था, दोनों समुदायों के बीच भावना की स्थिति, आदि और 'घृणित भाषण' की परीक्षा को संचयी रूप से तृप्त करने के लिए संरक्षित नुकसान के साथ निकट संबंध। सद्भावना 'और' कोई वैध उद्देश्य नहीं 'परीक्षण लागू होंगे, क्योंकि वे आशय कारक पर विचार करने में महत्वपूर्ण हैं।

63. बलवंत सिंह के मामले में इस अदालत ने स्वीकार किया था कि पुरुष न्याय है

धारा 153 ए के तहत अपराध का एक अनिवार्य घटक और केवल तभी जब बोले गए या लिखित शब्दों का इरादा कानून और व्यवस्था को बाधित करने के लिए सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक 'शांति' को प्रभावित करने का हो, तो अपराध को किया गया कहा जा सकता है। बिलाल अहमद [2020] 14 एस. सी. आर. में इस निर्णय पर भरोसा किया गया था।

कालू 1 1 4 खंड की उप-धारा (2) का उल्लेख और व्याख्या करते हुए 505 दंड संहिता। इसी तरह, मंझर सईद खान में, विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने का इरादा है।

इसे आवश्यक माना गया क्योंकि धारा 153 ए में अव्यवस्था पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के इरादे की आवश्यकता होती है। इरादे को मुख्य रूप से पुस्तक की भाषा और उन परिस्थितियों से आंका जाना चाहिए जिनमें पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई थी।

64. धारा 153 ए (बी) के संदर्भ में हम यह मानेंगे कि

तीन साल तक के कारावास की सजा के रूप में परिणाम की प्रकृति को देखते हुए शांति को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के पर्याय के रूप में सीमित अर्थों में पढ़ा जाना चाहिए, न कि सामान्य कानून और व्यवस्था के रूप में।

ऐसे मुद्दे जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को खतरे में नहीं डालते हैं। इसे व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है ताकि तर्कसंगतता की आवश्यकता को गलत समझा जा सके जो एक संवैधानिक जनादेश है। इसलिए, संवैधानिक अधिदेश को संतुष्ट करने के लिए धारा 153 ए के खंड (बी) को तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए। हम खंड (बी) में 'सार्वजनिक शांति' शब्दों की व्याख्या करेंगे जिसका अर्थ होगा सार्वजनिक आदेश एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है सार्वजनिक शांति की अनुपस्थिति।

विद्रोह, दंगा, अशांति या हिंसा के अपराध और इसमें वे सभी कार्य भी शामिल होंगे जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे, लेकिन ऐसे कार्य नहीं जो केवल शांति को बाधित करते हैं, और कानून और व्यवस्था के तीसरे और व्यापक दायरे में आते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था में स्थानीय महत्व के कार्य भी शामिल हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने या खतरे में डालने वाले विभिन्न प्रकार के आचरण को शामिल करते हैं। अनुच्छेद 19 के खंड (2) में सार्वजनिक व्यवस्था और न ही वैधानिक प्रावधान विशेष क्षेत्र की आबादी के संदर्भ में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के बीच कोई अंतर करते हैं, हालांकि जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि यह कुछ प्रासंगिकता का हो सकता है। जब हम स्थानीय महत्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो एक अनुक्रम के रूप में हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के पास, किसी दिए गए मामले में, स्थानीय क्षेत्र का संदर्भ हो सकता है।

65. दंड संहिता की धारा 295 ए और धारा 505 का खंड (2) इस प्रकार हैः

" 295 - ए. जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को भड़काने के इरादे से

अपने धर्म का अपमान करके किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएँ या धार्मिक मान्यताएँ। जो कोई भी, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से

भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा, शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा, अपमान या अपमान करने का प्रयास।

114 बिलाल अहमद कालू को प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश भुट्टो बनाम में एक अलग बिंदु पर खारिज कर दिया गया था। गुजरात राज्य, (2005) 2 एस. सी. सी. 409 अमीश देवगन बनाम।

उस वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं को दंडित किया जाएगा।

एक अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास के साथ जो हो सकता है तीन साल तक बढ़ाएँ, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

XX

XX

XX

505. सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान।

XX

XX

XX

(2) शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान

कक्षाओं के बीच। ▬▬▬ जो कोई भी बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है

इरादे के साथ बयान या रिपोर्ट जिसमें अफवाह या खतरनाक खबर हो

बनाने या बढ़ावा देने के लिए, या जो बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है,

क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों को दंडित किया जाएगा कारावास जो तीन वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ, या

दोनों के साथ।

इन दोनों प्रावधानों की व्याख्या पहले कई बार की जा चुकी है -

रामजी लाल मोदी, केदार नाथ, बिलाल अहमद कालू सहित मामले। यह.

यह कहना सही हो सकता है कि दंड संहिता की धारा 295 ए सभी तीन तत्वों को समाहित करती है, अर्थात्, यह सामग्री-आधारित तत्व को संदर्भित करती है जब यह बोले गए या लिखे गए शब्दों को संदर्भित करती है, या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा द्वारा। हालाँकि, यह केवल सामग्री के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं बनाता है। पहला भाग संदर्भित करता है

धार्मिक अपमान करने के लिए निर्माता की ओर से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे

भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की भावना। धारा 295 क का अंतिम भाग हानि-आधारित तत्व को संदर्भित करता है, अर्थात उस वर्ग के धर्मों या धार्मिक विश्वास का अपमान या अपमान करने का

प्रयास। इसी तरह, धारा 505 की उप-धारा (2) किसी भी बयान को प्रकाशित या प्रसारित करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करती है या

व्यक्ति का इरादा जो बनाना या बढ़ावा देना चाहिए और फिर नुकसान-आधारित तत्व को संदर्भित करता है, जो कि उस पर बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है। धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति आदि का आधार, विभिन्न धर्मों, जातीय भाषा, धार्मिक समूहों या जातियों या समुदायों आदि के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना।

66. बिलाल अहमद कालू के मामले में इस अदालत ने एक विशिष्टता दिखाई थी

उप-धारा (2) से धारा 505 और खंड (क) से धारा 153 क [2020] 14 एस. सी. आर.

दंड संहिता का यह अवलोकन करते हुए कि प्रकाशन में आवश्यक नहीं है

उत्तरार्द्ध जबकि यह धारा 505 के खंड (2) के तहत अनिवार्य है। दंड संहिता की धारा 505 के खंड (2) की अलग-अलग व्याख्या नहीं की जा सकती है। और 'जो कोई भी बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है' शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। एकल संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक ही विषय के दो अलग-अलग खंड प्रदान करने में विधायिका की मंशा से पता चलेगा कि वे एक ही रंग के दो अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल करते हैं।

67. दंड संहिता की धारा 153ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में क्रमशः 'बढ़ावा' और 'संभावित' शब्दों का उपयोग किया गया है। इसी तरह,

धारा 295-ए में 'प्रयास' शब्द का उपयोग किया गया है और धारा 505 की उप-धारा (2) में 'सृजन या प्रचार' शब्दों का उपयोग किया गया है। जैसा कि ऊपर समझाया गया है, शब्द 'संभावित', हमारी राय में, अर्थ व्यक्त करता है, कि घटना होने की संभावना वास्तविक होनी चाहिए और काल्पनिक या दूरस्थ नहीं होनी चाहिए (टिलमैन बुचरीज़ पीटीवाई) लिमिटेड वी. ऑस्ट्रेलियाई मांस उद्योग कर्मचारी संघ "15)। 'असंभव नहीं' का मानक बहुत कमजोर है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उचित प्रतिबंध और परीक्षण का उल्लंघन करेगा और गलत होगा।

आनुपातिकता। यह जनादेश संवैधानिक पीठों के निर्णयों से आता है जिनका हमने पहले उल्लेख किया है और श्रेया सिंघल में भी निर्णय के बीच अंतर करते हुए

वकालत, चर्चा और उकसाना और केवल बाद वाला, यानी उकसाना, दंडनीय है, जबकि पहले वाले दो अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता के क्षेत्र में आते हैं। 'उत्तेजना' अमेरिकी भाषण कानून के तहत एक प्रतिबंधित शब्द है जिसे हमारे द्वारा अपनाया गया है और ब्रांडेनबर्ग के अनुसार तब लागू होता है जब उत्तेजना आसन्न या लगभग अपरिहार्य होती है। कुछ आलोचना की गई है कि उक्त परीक्षण बहुत मजबूत है, फिर भी, यह बताता है कि मानक सख्त होना चाहिए। उकसाना अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से परिणामों का संकेत होना चाहिए। परिणामों को उकसाने के लिए पर्याप्त निश्चितता को उकसाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को दिखाना और स्थापित करना है कि मानक का उल्लंघन किया गया है

प्रमुख साक्ष्य द्वारा, जो मौखिक और दस्तावेजी दोनों हो सकते हैं। 'प्रचार' का अर्थ केवल किसी तथ्य का वर्णन और वर्णन करना, या किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण या कार्यों की आलोचना करने वाली राय देना नहीं है-इसके लिए आवश्यक है कि वक्ता को दर्शकों को सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से उकसाना चाहिए। इस सक्रिय उत्तेजना का अंदाजा भाषण की सामग्री, संदर्भ और आसपास की परिस्थितियों और वक्ता के इरादे से लगाया जा सकता है। हालाँकि, यदि वक्ता सक्रिय रूप से अवरोहण को नहीं उकसाता है

115 (1979) 27 ए. एल. आर. 380 अमीश देवगन बनाम।

सार्वजनिक अव्यवस्था, और केवल यह इंगित कर रहा है कि एक निश्चित व्यक्ति या समूह एक विशेष तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है, उनकी मांगें और उनका दृष्टिकोण क्या है, या जब वक्ता ऐसे व्यक्ति या समूह का साक्षात्कार करता है, तो यह

तथ्यों और विचारों का एक निष्क्रिय वितरण होगा जो पदोन्नति के बराबर नहीं हो सकता है।

68. हालांकि दंड संहिता की धारा 153-ए और 295-ए में 'प्रयास' शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, न्यायिक हैं

व्याख्या है कि एक 'अपराध का गठन करने का प्रयास' एक ऐसा कार्य है जो किया गया है या कृत्यों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जो इसके वास्तविक रूप का गठन करेगा।

अपने आप में एक चोट है, और अपराधी का नैतिक अपराध वही है जैसे कि वह सफल हुआ था। नैतिक अपराधबोध को सही ठहराने के लिए चोट के लिए एकजुट होना चाहिए सजा। इसके अलावा, राज्य v. मोहम्मद. याकूब, 1 1 7 इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 13 ..... एक प्रयास का गठन कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो काफी हद तक किसी विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। "प्रयास" एक सटीक और सटीक परिभाषा की अवहेलना करता है। मोटे तौर पर सभी अपराध जिनमें सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, कुछ गुप्त या खुले आचरण से पहले होते हैं जिन्हें विभाजित किया जा सकता है।

तीन चरणों में। पहला चरण तब होता है जब अपराधी पहली बार अपराध करने के विचार या इरादे का मनोरंजन करता है। दूसरे चरण में वह इसे करने की तैयारी करता है। तीसरे चरण में तब पहुँच जाता है जब अपराधी जानबूझकर अपराध करने के लिए स्पष्ट कार्य या कदम उठाता है। 'आपराधिक' होने के लिए इस तरह के स्पष्ट कार्य या कदम को अपराध करने के लिए अंतिम कार्य होने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है यदि इस तरह के कार्य जानबूझकर किए गए थे, और उचित रूप से अपराध करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट इरादे को प्रकट करते हैं। अपराध की समाप्ति के निकट "।

निकटता के दायरे पर, यह स्पष्ट किया गया था कि निकटता का माप समय और स्थान के संबंध में नहीं है, बल्कि इरादे के संबंध में है। 'घृणापूर्ण भाषण' के संदर्भ में, जिसमें वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने और धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने से संबंधित अपराध शामिल हैं, निश्चित रूप से इसके लिए वास्तविक आधार की आवश्यकता होगी।

116 (2004) 4 एस. सी. सी. 379 117 (1980) 3 एससीसी 57.

शब्दों का उच्चारण या विचार से अधिक कुछ जो होगा

सामग्री का गठन करें। वास्तविक उच्चारण आदि के बिना यह केवल विचार होगा, और बिना प्रत्यक्ष कार्य के विचार दंडनीय नहीं हैं। 'प्रकाशन' के मामले में, फिर से एक मात्र विचार कार्रवाई योग्य नहीं होगा, भले ही या नहीं, 'प्रकाशित' करने का प्रयास तथ्यों पर निर्भर करेगा। आक्षेपित कार्य केवल तैयारी से अधिक होना चाहिए और अपराध की समाप्ति के लिए यथोचित रूप से निकट होना चाहिए, जिसे बाधित किया गया है। इरादे का सवाल प्रासंगिक होगा। हानि के तत्व के प्रश्न पर, वही परीक्षण और सिद्धांत, जो 'संभावित' के मामले में लागू होता है, इस तथ्य को छोड़कर लागू होगा कि मध्यवर्ती कारणों या आधारों के लिए सार्वजनिक अव्यवस्था या हिंसा नहीं हुई होगी।

69. प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हमने 'हित के हित' के सिद्धांत को प्रधानता दी है।

सार्वजनिक व्यवस्था 'और' आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई 'सिद्धांत पर भरोसा करके, लक्षित और गैर-लक्षित दोनों समूहों पर प्रचार के रूप में' घृणा 'भाषण के दीर्घकालिक प्रभाव को उचित महत्व नहीं दिया गया है। यह गरिमा की अवधारणा को कमजोर करने के लिए नहीं है, जो मूल आधार है जिसके आधार पर नागरिकों को अपने और राज्य के बीच बातचीत करनी चाहिए। यह संविधान पीठ के निर्णयों सहित पिछली घोषणाओं का सुविचारित दृष्टिकोण है जिनसे हम बंधे हैं।

इसके अलावा, 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे' या 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' के मानदंडों को पूरा करने वाला 'घृणापूर्ण भाषण' अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक नकारात्मक होगा।

प्रभाव पड़ता है। अंत में, हम दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई से निपट रहे हैं और इसलिए, जवाबी आपराधिक कार्यवाही के साथ अभिव्यक्ति और बोलने के अधिकार को संतुलित करना होगा। हमें दुरुपयोग को भी रोकना होगा और दुरुपयोग को रोकना होगा। यह

उक्ति किसी भी तरह से इस स्थिति को कमजोर नहीं करती है कि हमें नस्ल, धर्म, जाति, पंथ या क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव के प्रसार के किसी भी प्रयास की निंदा और जांच करनी चाहिए। हमें इसके साथ काम करना चाहिए घृणित और अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित करके सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। यह स्वयं प्राप्त किया जा सकता है।

प्रतिबंध, संस्थागत जाँच और सुधार, साथ ही स्व-विनियमन या वैधानिक विनियमों के तंत्र के माध्यम से, यदि लागू हो। यह केवल दंडात्मक खतरा नहीं है जो हमें समूहों के बीच समानता प्राप्त करने और सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। सभी जातियों, पंथ, धर्म और क्षेत्र के नागरिकों की गरिमा सबसे अच्छी है।

गैर-लक्षित समूहों से संबंधित साथी नागरिकों द्वारा संरक्षित और लक्षित समूह भी। जैसा कि पहले कहा गया है, बहुलवाद के लिए प्रतिबद्ध राजनीति में, घृणापूर्ण भाषण किसी भी वैध तरीके से योगदान नहीं कर सकता है

लोकतंत्र और वास्तव में, समानता के अधिकार को अस्वीकार करता है।

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

70. याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित अधिकांश मामले ऐसे मामले थे जिनमें आरोप पत्र और मुकदमे के बाद, यह न्यायालय

यह निष्कर्ष निकालना कि दंड संहिता की धारा 153 ए, 295 ए या धारा 505 की उप-धारा (2) के तहत कोई अपराध साबित और स्थापित नहीं किया गया था। हम उन निर्णयों के तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझते हैं और

वर्तमान मामले में उनका अनुपात लागू करें। हालाँकि, हम उन फैसलों का उल्लेख करना चाहते हैं जहाँ इस अदालत ने प्रारंभिक चरण में ही एफ़. आई. आर. से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिनके नाम हैं, मंज़ार सईद खान, महेंद्र सिंह धोनी, रमेश के साथ-साथ बलवंत सिंह अनुपात को स्पष्ट करने के लिए।

अच्छी तरह से तर्क दिया गया, दूसरे में स्वीकार्य होना चाहिए, और इसलिए बलवंत सिंह में अनुपात को सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए जैसा कि निर्णय में था अभियोजन पक्ष की विफलता पर आगे बढ़े। एक चर के रूप में 'कौन' कारक ने अदालत को प्रभावित किया था। इसके अलावा कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ।

72. मंजार सईद खान एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलकर्ताओं ने 'शिवाजीः इस्लामी भारत में हिंदू राजा '

द्वारा लिखित प्रो. जेम्स डब्ल्यू. लेन, मैकालेस्टर कॉलेज, संयुक्त राज्य अमेरिका में धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर, जिसके कारण भारतीय प्रकाशक और एक संस्कृत विद्वान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसका नाम पुस्तक की स्वीकृति में लेखक की पुणे की यात्रा के दौरान कुछ जानकारी प्रदान करके उनकी मदद करने के लिए आया था। हमारे अनुसार प्राथमिक कारण कि अपील की अनुमति क्यों दी गई और प्रारंभिक चरण में प्राथमिकी से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द कर दिया गया, निर्णय के पैराग्राफ 19 में परिलक्षित होता है जिसमें कहा गया है कि लेखक एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने व्यापक [2020] 14 एस. सी. आर. किया था।

पुस्तक प्रकाशित करने से पहले शोध करें। इसके अलावा, उन्होंने भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (बीओआरआई), पुणे में सामग्री और अभिलेखों पर भरोसा किया था। यह स्वीकार करना बहुत असंभव था कि कोई भी गंभीर और गहन विद्वान जैसे लेखक की समुदायों के बीच किसी भी वैमनस्य को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के प्रयास में खुद को शामिल करने की कोई इच्छा या उद्देश्य होगा,

राज्य के भीतर जातियाँ या धर्म। सद्भावना और (नहीं) वैध उद्देश्य सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। इन सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा रमेश के मामले में भी लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि टी. वी. धारावाहिक 'तमस' में सांप्रदायिक तनाव या हिंसा को दंड संहिता की धारा 153 ए के उल्लंघन के रूप में नहीं दर्शाया गया था और/या यह दंड संहिता की धारा 153 बी के तहत आने वाले राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल था। रिलायंस को ऊपर उल्लिखित 'क्लैफम ऑम्निबस' के परीक्षण पर भी रखा गया था। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा मामला था जिसमें धारा 295 ए के तहत इस आधार पर एक निजी शिकायत दर्ज करके अभियोजन शुरू किया गया था कि प्रसिद्ध क्रिकेटर की तस्वीर, जैसा कि पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 'गॉड ऑफ बिग थिंग्स' शीर्षक के साथ थी। यह स्पष्ट था कि सामग्री के आधार पर अभियोजन बेतुका था और किसी भी मानक से बहुत दूर था, भले ही हम इरादे या आहत तत्व की अनदेखी करें।

(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) की वैधता

73. संक्षिप्त नाम एफ. आई. आर. या प्रथम सूचना रिपोर्ट को न तो आपराधिक संहिता में परिभाषित किया गया है और न ही इसमें इसका उपयोग किया गया है, हालांकि यह जानकारी को संदर्भित करता है।

संज्ञेय अपराध करने से संबंधित। यह जानकारी, यदि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो लिखित रूप में कम करना अनिवार्य है। लिखित रूप में दर्ज की जाने वाली जानकारी अनिवार्य रूप से एक चश्मदीद गवाह द्वारा नहीं होनी चाहिए, और इसलिए, इसे केवल अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

क्योंकि यह सुनी सुनाई बात है। धारा 154 दंड संहिता के अन्य प्रावधानों को अनिवार्य नहीं करती है और न ही यह आवश्यकता प्रकट होती है। इसके अलावा, एफ़. आई. आर. एक विस्तृत दस्तावेज़ नहीं है जिसमें सभी जटिल और सूक्ष्म विवरणों का इतिहास हो। धर्म राम भागरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 118 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक एफ. आई. आर. को साक्ष्य का एक ठोस टुकड़ा भी नहीं माना जाता है और इसका उपयोग केवल अदालत में सूचना देने वाले के साक्ष्य की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है।

74. ललिता कुमारी के मामले में, इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया है कि दंड संहिता की धारा 154, स्पष्ट रूप से

शर्तों के अनुसार, सभी संज्ञेय अपराधों की प्राप्ति पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, अपवादों के अधीन जिसमें प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होती है।

118 (1973) 1 एस. सी. सी. 537 अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

याचिकाकर्ता ने यह तर्क नहीं दिया है कि वर्तमान मामला ऐसे किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है। स्पष्ट रूप से, आपराधिक संहिता की धारा 41 के तहत एक आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करने के बीच अंतर है, जो आपराधिक संहिता की धारा 154 में प्रकट समाज के हित के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो संज्ञेय अपराधों के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देता है।

उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिनका नाम शिकायत में लिया गया है। संविधान पीठ ने तपन कुमार सिंह मामले में इस अदालत के फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि प्राथमिकी का खुलासा करने वाला विश्वकोश नहीं है

अपराध से संबंधित सभी तथ्य और विवरण। अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने वाले सूचना देने वाले को पीड़ित या हमलावर का नाम या अपराध कैसे हुआ, यह भी नहीं पता होगा। जरूरी नहीं कि वह एक चश्मदीद गवाह हो। आवश्यक बात यह है कि जानकारी को संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करना चाहिए और जानकारी को पुलिस अधिकारी को अपराध के होने का संदेह करने के लिए आधार प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार, इस स्तर पर, यह पर्याप्त है यदि पुलिस अधिकारी संदिग्धों को दी गई जानकारी पर-हालांकि वह आश्वस्त या संतुष्ट नहीं हो सकता है-कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है। जानकारी की सच्चाई जांच का विषय होगी और केवल तभी पुलिस सच्चाई या अन्यथा के बारे में रिपोर्ट कर पाएगी। महत्वपूर्ण रूप से, तपन कुमार सिंह में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही जानकारी सभी विवरण प्रस्तुत नहीं करती है, यह जांच अधिकारी पर है कि वह जांच के दौरान उन विवरणों का पता लगाए और आवश्यक सबूत एकत्र करे। इस प्रकार, किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाली जानकारी केवल आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने और उसके बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करने की दृष्टि से जांच तंत्र को सक्रिय करती है। जैसा कि ललिता कुमारी में निर्धारित किया गया है, एक वैध एफ. आई. आर. के लिए सही परीक्षा केवल यह है कि क्या प्रस्तुत की गई जानकारी किसी अपराध के होने पर संदेह करने का कारण प्रदान करती है, जिसकी जांच करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को आपराधिक संहिता की धारा 156 (1) के तहत अधिकार दिया गया है। यह सवाल कि क्या रिपोर्ट सच है; क्या यह घटना के तरीके के बारे में पूर्ण विवरण का खुलासा करती है; क्या आरोपी का नाम लिया गया है; या क्या आरोप का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, ये सभी ऐसे मामले हैं जो इस सवाल पर विचार करने के लिए अलग हैं कि क्या रिपोर्ट एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। आपराधिक संहिता की धारा 157 के खंड (1) (बी) और (2) के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी जांच से पहले एक एफ. आई. आर. को बंद कर सकता है यदि वह

उसे लगता है कि जाँच करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पंजीकरण के प्रारंभिक चरण में, कानून यह आदेश देता है कि अधिकारी तब जांच शुरू कर सकता है जब उसके पास अपराध करने का संदेह करने का कारण हो।

धारा 157 के आक्षेप आपराधिक संहिता की धारा की आवश्यकताओं से अधिक हैं। इसके अलावा, एक पुलिस अधिकारी किसी मामले में अभियोग के बाद आपराधिक दंड संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर कर सकता है।

मामले को बंद करने की मांग।

(vi) निष्कर्ष और राहत

75. इस स्तर पर और अपने अंतिम निष्कर्ष को दर्ज करने से पहले, हम पिरथी चंद में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना चाहते हैं जिसमें उसने कहा थाः

संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाह चार्ज-शीट। उस स्तर पर अभियोजन मामले के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना या विचार करना न्यायालय का कार्य नहीं है।

प्रावधानों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता जो हैं

अनिवार्य माना जाता है और इसका गैर-अनुपालन का प्रभाव। यह मुकदमा समाप्त होने के बाद किया जाएगा। न्यायालय को प्रथम दृष्टया आरोप पत्र में दिए गए कथनों और उसके समर्थन में अभिलेख पर गवाहों के बयानों पर विचार करना होगा कि क्या न्यायालय उस साक्ष्य पर अपराध का संज्ञान ले सकता है और मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकता है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनाया गया है, तो रद्द करने के अलावा कोई और कार्य नहीं किया जा सकता है।

निजी प्रतिशोध [दंड प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया का मुद्दा कोड का उपयोग किया जाता है। किसी शिकायत या एफ़. आई. आर. को पढ़ने से ही किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है जिसे अदालत शुरू कर सकती है।

उस पर विचार करने और शक्ति का प्रयोग करने पर।

13. जब धारा 482 के तहत उपाय उपलब्ध होगा, तो उच्च न्यायालय अपने असाधारण अमिश देवगन v का प्रयोग करने के लिए अनिच्छुक और चौकस होगा।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

धारा 226 के तहत प्रभावी उपचार के रूप में शक्ति

482 कोड उपलब्ध है। जब न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करता है, तो मुख्य विचार केवल

क्या शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा या यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कब

जाँच अधिकारी को इकट्ठा करने में काफी समय लगता है

सबूत और अदालत के सामने आरोप पत्र रखता है, आगे

आरोप पत्र को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करके कार्रवाई को शॉर्ट-सर्किट नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करके विनियमित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से पहले इस मूल सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। आर्थिक अपराध में शामिल अभियुक्त अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है और राज्य की आर्थिक योजना पर गंभीर प्रभाव डालता है। जब विधायिका पुलिस अधिकारी को संगठित आयोग को रोकने की शक्ति सौंपती है

नैतिक अधमता या गंभीर प्रकृति के अपराधों से जुड़े अपराध या अपराध और उन्हें दुर्गम इलाकों में और गुप्त तरीके से अपराध की जांच करने की शक्ति सौंपी गई है, जिसमें अधिक सावधानी और सावधानी बरती जानी चाहिए। उच्च न्यायालय जब अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे ध्यान में रखें। अन्यथा सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

और गंभीर जोखिम के लिए। अभियुक्त के पास संबंधित प्रावधानों के तहत विनियमित राज्य की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए कार्य दिवस होगा।

उपरोक्त अनुपात का पालन इस न्यायालय ने ओ. पी. शर्मा मामले में किया।

76. अर्नब रंजन गोस्वामी के मामले में, यह न्यायालय लगभग समान है

mstance ने इस सवाल की जांच करने से इनकार कर दिया था कि क्या

एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. से उत्पन्न होने वाले संस्करणों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संपादित किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए।

आपराधिक संहिता के तहत गंभीर उपचार, यह देखते हुए किः

" 49. हमारा मानना है कि अदालत के लिए मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच के तहत 2020 की एफ. आई. आर. 164 को रद्द करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित होगा। इस दृष्टिकोण को अपनाने में, हम इस तथ्य से निर्देशित होते हैं कि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित होते हैं।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका की विचारणीयता और क्या उस पर विचार किया जाना चाहिए, के बीच अंतर। इस तरह की स्थिति में, और ऊपर बताए गए कारणों से, यह न्यायालय मुंबई के एन. एम. जोशी पुलिस स्टेशन में जांच की जा रही प्राथमिकी को रद्द करने की राहत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहेगा, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता को उन उपायों का लाभ उठाने के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए जो सक्षम अदालत के समक्ष सीआरपीसी के तहत उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय। "

77. हम सम्मानपूर्वक उपरोक्त अनुपात से सहमत हैं। आम तौर पर हम याचिकाकर्ता को निर्वासित कर देते और उससे संपर्क करने के लिए कहते

संबंधित उच्च न्यायालय, यद्यपि वर्तमान मामले में, उचित राहत के लिए

विचाराधीन एफ. आई. आर. की स्थिरता और गुण-दोष पर दोनों पक्षों द्वारा विस्तृत तर्कों को संबोधित किया गया है और इसलिए, हमारे द्वारा निपटा गया और इस स्तर पर खारिज कर दिया गया। हम, इस विशिष्ट परिस्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता को एक और दौर शुरू करने की अनुमति देना उचित नहीं समझते हैं।

78. हम याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित बहस की प्रतिलिपि के प्रासंगिक भागों को पहले ही पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता केवल एक मेजबान के बजाय एक समान सह-प्रतिभागी था। अनुलेखन, जिसमें अपमानजनक भाग भी शामिल है, 'विषय-वस्तु' का एक हिस्सा होगा, लेकिन किसी भी मूल्यांकन के लिए परिवर्तनीय 'संदर्भ' के साथ-साथ 'आशय' और 'हानि/प्रभाव' की जांच और विचार की आवश्यकता होगी। इन्हें अमीश देवगन बनाम होना चाहिए।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

न्यायालय के समक्ष मूल्यांकन इस बात पर एक राय बना सकता है कि क्या कोई अपराध बनाया गया है। इन पहलुओं पर मूल्यांकनकारी निर्णय तथ्यों पर आधारित होगा, जिनकी पुलिस जांच द्वारा जांच और पता लगाया जाना है। परिवर्तनीय सामग्री ',' आशय 'और' हानि/प्रभाव 'कारक, जैसा कि सूचना देने वालों और राज्य की ओर से दावा किया गया है, तथ्यात्मक रूप से विवादित हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा। वास्तव में, याचिकाकर्ता अपनी माफी पर निर्भर करता है, जो उत्तरदाताओं/मुखबिरों के अनुसार उसके कृत्यों की एक संकेत या निहित स्वीकृति है।

79. सावधानीपूर्वक और गहराई से विचार करने के बाद, हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर प्राथमिकियों को रद्द करना और इस प्रकार सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच को रोकना उचित होगा। लेकिन हमारे

इस निर्णय में वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर टिप्पणियों को किसी भी तरह से पुलिस द्वारा जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग को लागू करेंगे और सभी सामग्री और प्रासंगिक पहलुओं पर सही और सही तथ्यों का पता लगाएंगे। इसी तरह, सक्षम

यदि पुलिस अधिकारी मंजूरी मांगते हैं तो प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाएगा और यह तय करेगा कि उसे मंजूरी दी जाए या नहीं। आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के मामले में भी यही स्थिति होगी। अदालत अपना मन लगाएगी कि संज्ञान लेना है या नहीं और समन जारी करना है या नहीं। एक अंतरिम आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को 15.06.2020 पर प्रसारित कार्यक्रम से उत्पन्न और उससे संबंधित दंडात्मक कदमों के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त है। याचिकाकर्ता द्वारा जाँच में सहयोग करने के अधीन, हम निर्देश देते हैं कि जाँच के दौरान पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए कोई दंडात्मक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि और यदि आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो अदालत इन निर्देशों के साथ-साथ इस फैसले में दर्ज तथ्य के किसी भी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना जमानत देने के सवाल की जांच करेगी।

80. हम भजन लाल, पी. पी. शर्मा मामले में इस अदालत के फैसलों और आर. पी. कपूर मामले में पहले के फैसले से अवगत हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय, अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित मामले में कार्यवाही को रद्द कर सकता है। ये ऐसे मामले हो सकते हैं जहां, स्पष्ट रूप से, अभियोजन या कार्यवाही को स्थापित करने या जारी रखने के खिलाफ कानूनी रोक है, जैसे कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता के कारण; या जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं है; या जहां प्राथमिकी में लगाए गए आरोप किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।

संज्ञेय अपराध; या जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप [2020] 14 एस. सी. आर.

वे इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि पर्याप्त है।

जमीन

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए। जिन मामलों में आरोप-पत्र दायर किया जाता है, उनमें एक अन्य अर्हता श्रेणी वह होगी जहां अभियुक्त के खिलाफ आरोप कथित अपराध का गठन करते हैं, लेकिन मामले के समर्थन में या तो कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया जाता है या आरोप को साबित करने में स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से विफल रहता है। इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है। आवश्यकताओं के रूप में सख्त और प्रतिबंधित, वे इस स्तर पर वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं हैं।

डी. दूसरी प्रार्थना-एफ. आई. आर. की बहुलता और क्या

उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए और पी. एस. दरघा, अजमेर, राजस्थान में दर्ज पहली प्राथमिकी के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

81. अब हम याचिकाकर्ता की दूसरी प्रार्थना की जांच करेंगे।

अर्थात्। राजस्थान राज्यों में कई एफ. आई. आर. दर्ज की जा रही हैं।

महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश (अब उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित) इसी प्रसारण से संबंधित हैं। सौभाग्य से, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह मुद्दा टी. टी. एंटनी मामले में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है। जिसका पालन अर्नब रंजन गोस्वामी के मामले में किया गया है। इसलिए इस संबंध में अर्नब रंजन गोस्वामी के मामले में टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

" 28 ..... कई आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कानून

इस निर्णय में कार्रवाई के एक ही कारण का विश्लेषण किया गया है।

टी. टी. एंटनी बनाम में न्यायालय। केरल राज्य (टी. टी. एंटनी)। बोलते हुए।

धारा 154 के प्रावधानों और संज्ञानात्मक प्रावधानों की व्याख्या धारा 173 सहित सी. आर. पी. सी. की और कहा गया:

" 20 ..... धारा 154,155 के प्रावधानों की योजना के तहत,

156 , 157 , 162 , 169 , 170 और 173 सी. आर. पी. सी, केवल सबसे पहले या

कोई दूसरी एफ़. आई. आर. नहीं हो सकती और इसके परिणामस्वरूप कोई एफ़. आई. आर. नहीं हो सकती। हर बाद की जानकारी प्राप्त होने पर नए सिरे से जांच

एक ही संज्ञेय अपराध या उसी के संबंध में

एक या अधिक संज्ञेय घटना या घटना

या संज्ञेय अपराध या अपराधों को जन्म देने वाली घटना और स्टेशन हाउस डायरी में एफ. आई. आर. दर्ज करने पर, अधिकारी अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी को न केवल प्राथमिकी में दर्ज संज्ञेय अपराध की बल्कि अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होती है।

एक ही लेन-देन या एक ही घटना के दौरान किए गए अपराध पाए गए और एक या अधिक फाइल किए गए

धारा 173 सी. आर. पी. सी. में दी गई रिपोर्ट।

अदालत ने कहा कि "कोई दूसरी प्राथमिकी नहीं हो सकती" जहां जानकारी पहली प्राथमिकी में कथित एक ही संज्ञेय अपराध या एक ही घटना या घटना से संबंधित है जो एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है। इसका कारण यह है कि

जाँच न केवल कथित संज्ञेय अपराध के दायरे में आती है, बल्कि किसी भी अन्य संबंधित अपराध को भी शामिल करती है जो किए गए पाए जा सकते हैं। इस अदालत ने कहा कि एक बार एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी धारा 154 के प्रावधानों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जाँच शुरू होने के बाद प्राप्त कोई भी जानकारी दूसरी एफ़. आई. आर. का आधार नहीं बन सकती क्योंकि ऐसा करने से सी. आर. पी. सी. की योजना का पालन नहीं होगा। अदालत ने कहाः

" 18 ..... संज्ञेय अपराध की जाँच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से दी गई अन्य सभी जानकारी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से प्रकट की गई है और पुलिस अधिकारी द्वारा स्टेशन हाउस डायरी में दर्ज की गई है या ऐसे अन्य संज्ञेय अपराध जो जाँच के दौरान उसके संज्ञान में आ सकते हैं, वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत आने वाले बयान होंगे। ऐसी किसी भी जानकारी/बयान को उचित रूप से एक एफ़. आई. आर. के रूप में नहीं माना जा सकता है और स्टेशन हाउस डायरी में फिर से दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से दूसरी एफ़. आई. आर. होगी और वही एफ़. आई. आर. में नहीं हो सकती है।

सी. आर. पी. सी. की योजना के अनुरूप।

इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच न्यायसंगत संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्ववर्ती की ओर रुख करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 27 ..... जांच की व्यापक शक्ति किसी नागरिक को हर बार एक ही घटना के संबंध में पुलिस द्वारा नए सिरे से जांच के अधीन करने की गारंटी नहीं देती है, जो एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर करने से पहले या बाद में लगातार एफ. आई. आर. एस. दर्ज किए जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 156 के दायरे से बाहर होगा, न कि वैधानिक [2020] 14 एस. सी. आर. के दुरुपयोग का मामला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी मामले में जाँच की शक्ति। हमारे विचार में एक मामला

दूसरे या लगातार एफ. आई. आर. एस. के आधार पर नए सिरे से जांच, एक प्रति-मामला नहीं होने के कारण, उसी के संबंध में दायर किया गया या

संबंधित संज्ञेय अपराध कथित रूप से किया गया है

उसी लेन-देन के दौरान और जिसके संबंध में

पहली एफ. आई. आर. के अनुसार या तो जाँच चल रही है या

धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट को भेज दिया गया है

मजिस्ट्रेट, के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है

धारा 482 सी. आर. पी. सी. या अनुच्छेद 226/227 के तहत

संविधान "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन स्थितियों को छोड़कर जिनमें एक जवाबी मामला दायर किया जाता है, उसी या संबंधित संज्ञेय अपराध के आधार पर एक नई जांच या दूसरी प्राथमिकी "जांच की वैधानिक शक्ति का दुरुपयोग" होगी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।

29. टी. टी. एंटनी का निर्णय उपकार सिंह बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। वेद प्रकाश (उपकार सिंह)। न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए राम लाल नारंग बनाम में इस न्यायालय के पहले के फैसलों को स्वीकार किया। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (राम लाल नारंग), कारी चौधरी बनाम। एमएस. सीता देवी ("कारी चौधरी") और राज्य

बिहार का बनाम। जेएसी सल्दान्हा ("सल्दान्हा")। न्यायालय ने कहा कि कारी चौधरी में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 11 ..... बेशक कानूनी स्थिति यह है कि दो नहीं हो सकते हैं।

एक ही मामले के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ एफ. आई. आर. एस।

जांच दोनों के तहत एक ही तरीके से की जा सकती है। जाँच एजेंसी "।

30. सल्दान्हा में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति प्रभावित नहीं करती है धारा 173 (8) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी मामले

की आगे की जांच करने की जांच अधिकारी की शक्ति। उपकार सिंह में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि राम लाल नारंग में निर्णय "अमीश देवगन बनाम में है।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

कारी चौधरी और सल्दान्हा में निर्णयों के समान ही "और यह अभिनिर्धारित किया कि टी. टी. एंटनी में निर्णय में बाधा नहीं है

उसी घटना के संबंध में जवाबी शिकायत के रूप में दूसरी शिकायत दर्ज करना और न ही दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा इस कार्रवाई को प्रतिबंधित किया गया है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 23. वह जो भी हो, यदि इस न्यायालय द्वारा टी. टी. में निर्धारित कानून।

एंटनी के मामले को यह मानते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए कि दूसरा

जवाबी शिकायत के रूप में दर्ज की गई उसी घटना के संबंध में शिकायत संहिता के तहत निषिद्ध है, तो हमारी राय में, इस तरह के निष्कर्ष से गंभीर परिणाम होंगे। यह होगा।

नीचे दिए गए काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट हो कि यदि वास्तविक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के संबंध में वह पहली बार झूठी शिकायत दर्ज करने का अवसर लेता है और वह क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है तो ऐसे अपराध का पीड़ित पीड़ित घटना का अपना विवरण देते हुए शिकायत दर्ज करने से वंचित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह -

वास्तविक अभियुक्त को लाने के अपने वैध अधिकार से वंचित

किताब। यह संहिता का उद्देश्य नहीं हो सकता है।

इन सिद्धांतों को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने बाबूभाई बनाम में दोहराया था। गुजरात राज्य। डॉ. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान ने कहाः

" 21. ऐसे मामले में अदालत को दोनों एफ. आई. आर. को जन्म देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होती है और यह पता लगाने के लिए समानता का परीक्षण करना होता है कि क्या दोनों एफ. आई. आर. एस. एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में हैं जो दो या दो से अधिक भाग हैं।

उसी लेन-देन से। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी एफ़. आई. आर. रद्द की जा सकती है। हालाँकि, यदि इसके विपरीत साबित होता है, तो दूसरी एफ़. आई. आर. में कहा गया है अलग-अलग और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, दूसरी एफ़. आई. आर. स्वीकार्य है। मामले में

एक ही घटना में पहली प्राथमिकी में आरोपी एक अलग संस्करण या प्रतिवाद के साथ आगे आता है, दोनों पर जांच एफ. आई. आर. की जानी चाहिए। "

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रासंगिक जांच यह है कि क्या दो या दो से अधिक

एफ. आई. आर. एस. एक ही घटना से संबंधित है या उन घटनाओं से संबंधित है जो एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं। यदि न्यायालय का समापन [2020] 14 एस. सी. आर. में होना था।

सकारात्मक रूप से, बाद की प्राथमिकियों को रद्द किया जा सकता है। हालांकि, जहां बाद की प्राथमिकी विभिन्न घटनाओं या अपराधों से संबंधित है या जवाबी दावे के रूप में है, तो जांच की जा सकती है।

आगे बढ़ें। [इस संदर्भ में चिर्रा शिवराज बनाम को भी देखें। की स्थिति

आंध्र प्रदेश और चिराग एम पाठक बनाम। डॉलीबेन कांतिलाल

पटेल]।

उपरोक्त उद्धरण बाबूभाई बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करता है। गुजरात राज्य और अन्य "जिसमें परीक्षण करने के लिए

एफ. आई. आर. की समानता का निर्धारण करने के लिए स्पष्ट किया गया है कि जब एफ. आई. आर. की विषय वस्तु एक ही घटना, एक ही घटना या एक ही स्थिति में हो।

ऐसी घटनाओं के संबंध में जो एक ही लेन-देन के दो या दो से अधिक भाग हैं। यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी एफ. आई. आर. के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

82. अर्नब रंजन गोस्वामी के मामले में, बाद की प्राथमिकियों में कार्यवाही को रद्द कर दिया गया क्योंकि उक्त मामले में शिकायतकर्ताओं के वकील ने याचिकाकर्ता के साथ मिलकर उक्त प्रार्थना की थी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम टी. टी. एंटनी में अनुपात का पालन करना चाहेंगे। जिसका प्रभाव यह है कि बाद की प्राथमिकियों को दंड संहिता की धारा 162 के तहत बयान के रूप में माना जाएगा। टी. टी. एंटनी के निम्नलिखित कथन से यह स्पष्ट हैः

" 18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत दी गई जानकारी को आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) के रूप में जाना जाता है।

हालाँकि इस शब्द का उपयोग संहिता में नहीं किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और जैसा कि इसके उपनाम से पता चलता है कि यह एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए संज्ञेय अपराध की सबसे पहली और पहली जानकारी है। यह आपराधिक कानून को गति देता है और जांच की शुरुआत को चिह्नित करता है जो धारा 169 या 170 सीआरपीसी के तहत राय के गठन के साथ समाप्त होता है, जैसा भी मामला हो, और धारा 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट को आगे बढ़ाता है। यह बहुत संभव है और ऐसा कभी-कभी नहीं होता है कि एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों से जुड़ी एक ही घटना के संबंध में एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को एक से अधिक जानकारी दी जाती है। ऐसे मामले में उन्हें स्टेशन हाउस डायरी में उनमें से हर एक को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और यह धारा 154 सीआरपीसी में निहित है। एक फोन कॉल या एक अस्पष्ट जानकारी के अलावा

119 (2010) 12 एस. सी. सी. 254 अमीश देवगन बनाम।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

गुप्त तार, सूचना सबसे पहले स्टेशन में दर्ज की गई एक प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखी गई हाउस डायरी

पुलिस स्टेशन की प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है-एफ़. आई. आर.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 द्वारा अभिनिर्धारित। संज्ञेय अपराध की जाँच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से की गई अन्य सभी जानकारी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से प्रकट की गई है और पुलिस अधिकारी द्वारा स्टेशन हाउस डायरी में दर्ज की गई है या ऐसे अन्य संज्ञेय अपराध जो जाँच के दौरान उसके संज्ञान में आ सकते हैं,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत आने वाले बयान। ऐसा नहीं है।

जानकारी/बयान को उचित रूप से एक एफ. आई. आर. के रूप में माना जा सकता है और स्टेशन हाउस डायरी में फिर से दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से दूसरी एफ. आई. आर. होगी और यह सी. आर. पी. सी. की योजना के अनुरूप नहीं हो सकती है। एक ऐसा मामला लें जिसमें आई. पी. सी. की धारा 307 या 326 के तहत संज्ञेय अपराध का उल्लेख किया गया हो और जांच एजेंसी को जांच के दौरान पता चलता है या प्राप्त होता है। ताजा जानकारी कि पीड़ित की मृत्यु हो गई है, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत कोई नई एफ़. आई. आर. दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है जो अनियमित होगी; ऐसे मामले में पहली एफ़. आई. आर. में कानून के प्रावधान में बदलाव करना उचित तरीका है। आइए हम एक अलग स्थिति पर विचार करें

एच के खिलाफ ताजा एफ. आई. आर.-असली अपराधी जो हो सकता है रिपोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) या 173 (8) के तहत आरोपित किया गया है, जैसा भी मामला हो। यह निश्चित रूप से अनुमत है

जांच अधिकारी इससे पहले भी संबंधित मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजे कि आरोपी होने का संदेह रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ जांच का निर्देश दिया जा रहा है।

83. यह उन अन्य शिकायतकर्ताओं के लिए उचित और न्यायसंगत होगा जिन पर

अन्य प्राथमिकियों को दर्ज करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वे पुलिस द्वारा समापन/अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने की स्थिति में विरोध याचिका दायर करने की स्थिति में होंगे। इस तरह की विरोध याचिका दायर करने पर, मजिस्ट्रेट उनके तर्कों पर विचार करने के लिए बाध्य होगा, और समापन/अंतिम रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर सकता है और अपराध का संज्ञान ले सकता है और उन्हें समन जारी कर सकता है। अभियुक्त। अन्यथा, ऐसे शिकायतकर्ताओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष समापन रिपोर्ट को चुनौती देने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, भले ही अपराध करने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री हो।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84. अंत में, हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपराधिक संहिता की धारा179 उस अदालत में मामलों के अभियोजन की अनुमति देती है जिसके भीतर

स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है या इसके परिणाम सामने आए हैं। आपराधिक संहिता की धारा 186 उन मामलों से संबंधित है जहां अलग-अलग एफ. आई. आर. एस. के आधार पर दो अलग-अलग आरोप-पत्र दायर किए गए हैं और यह अभिनिर्धारित करती है कि अभियोजन पक्ष आगे बढ़ेगा जहां पहली बार एफ. आई. आर. के आधार पर पहला आरोप-पत्र दायर किया गया है। धारा 186 में अंतर्निहित सिद्धांत को आरोप पत्र के पूर्व चरण में, यानी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, लेकिन आरोप पत्र जमा करने से पहले लागू किया जा सकता है।

मजिस्ट्रेट के पास। ऐसे मामलों में आम तौर पर पहली एफ़. आई. आर., यानी पहले दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को मुख्य एफ़. आई. आर. के रूप में माना जाना चाहिए और आपराधिक संहिता की धारा 162 के तहत बयान के रूप में अन्य। हालाँकि, असाधारण मामलों में और अच्छे कारणों से, उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के लिए, जैसा भी मामला हो, बाद में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को प्रमुख एफ़. आई. आर. के रूप में मानना खुला रहेगा। हालांकि, इससे पीड़ितों, गवाहों या आरोपी व्यक्ति को कोई पूर्वाग्रह, असुविधा या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हमने उक्त पहलू पर किसी भी संदेह या बहस से बचने के लिए उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

85. हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम पिछली संशोधित रिट याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और क्रम संख्या 2 से 7 में सूचीबद्ध सभी प्राथमिकियों को स्थानांतरित करते हैं।

पैराग्राफ 4 (ऊपर) पुलिस स्टेशन दरगाह, अजमेर, राजस्थान, जहाँ पहली एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी। हमें कोई अच्छा या विशेष आधार नहीं मिलता है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एफ. आई. आर. स्थानांतरित करने का कारण। स्थानांतरित एफ. आई. आर. के आधार पर शिकायत/सूचना देने वाले का बयान होगा

दंड संहिता की धारा 162 के तहत बयान के रूप में माना जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। संबंधित पुलिस थाना द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने पर चार सप्ताह के भीतर कागजातों के हस्तांतरण के लिए उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त निर्देश उसी प्रसारण/प्रकरण पर आधारित किसी भी अन्य प्राथमिकी/शिकायत पर समान रूप से लागू होंगे।

E. तीसरी प्रार्थना

86. याचिकाकर्ता द्वारा की गई तीसरी प्रार्थना के संबंध में, अर्नब रंजन गोस्वामी में निर्धारित अनुपात का पालन करते हुए हम राज्य को निर्देश देते हैं उत्तर प्रदेश याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए खतरे की धारणा की जांच करेगा और आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाएगा। इसी तरह का आकलन राजस्थान राज्य द्वारा किया जाना चाहिए और इसकी एजेंसियों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर सामान्य शर्तों पर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

अमीश देवगन बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

कार्यात्मक दिशा-निर्देश

87. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार और अस्वीकार करते हैं, लेकिन अंतरिम मंजूरी दे दी है याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, बशर्ते वह ऊपर पैराग्राफ 79 और 85 में हमारे निर्देशों के संदर्भ में जांच पूरी होने तक जांच में शामिल हो और सहयोग करे। हालाँकि हमने सभी लंबित प्राथमिकियों को स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है।

15 जून 2020 के प्रसारण/प्रकरण से संबंधित और उससे उत्पन्न पी. एस. दरगाह, अजमेर, राजस्थान, जहाँ पहली एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। तीसरी प्रार्थना पर, हमने संबंधित राज्यों से याचिकाकर्ता और परिवार के सदस्यों की खतरे की धारणा की जांच करने के लिए कहा है।

आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाएँ। 88. तदनुसार, रिट याचिका और सभी लंबित आवेदनों का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान

लिखित

याचिका का निपटारा किया गया।